

Peer reviewed Journal

Impact Factor: 7.265

ISSN-2230-9578

# *Journal of Research and Development*

*A Multidisciplinary International Level Referred Journal*

**November 2022    Volume-14    Issue-18**

**Chief Editor**

**Dr. R. V. Bhole**

**'Ravichandram' Survey No-101/1, Plot  
No-23, Mundada Nagar, Jalgaon (M.S.)**



## **Address**

**'Ravichandram' Survey No-101/1, Plot, No-23, Mundada Nagar, Jalgaon (M.S.) 425102**

# **Journal of Research and Development**

*A Multidisciplinary International Level Referred and Peer Reviewed Journal*

*November -2022    Volume-14    Issue-18*

## **Chief Editor**

**Dr. R. V. Bhole**

'Ravichandram' Survey No-101/1, Plot, No-23,  
Mundada Nagar, Jalgaon (M.S.) 425102

### **EDITORIAL BOARD**

<i>Nguyen Kim Anh [Hanoi] Vietnam</i>	<i>Prof. Andrew Cherepanow Detroit, Michigan [USA]</i>	<i>Prof. S. N. Bharambe Jalgaon[M.S]</i>
<i>Dr. R. K. Narkhede Nanded [M.S]</i>	<i>Prof. B. P. Mishra, Aizawal [Mizoram]</i>	<i>Prin. L. N. Varma Raipur [C. G.]</i>
<i>Dr. C. V. Rajeshwari Pottikona [ AP]</i>	<i>Prof. R. J. Varma Bhavnagar [Guj]</i>	<i>Dr. D. D. Sharma Shimla [H.P.]</i>
<i>Dr. AbhinandanNagraj Benglore[Karnataka]</i>	<i>Dr. VenuTrivedi Indore[M.P.]</i>	<i>Dr. ChitraRamanan Navi ,Mumbai[M.S]</i>
<i>Dr. S. T. Bhukan Khiroda[M.S]</i>	<i>Prin. A. S. KolheBhalod [M.S]</i>	<i>Prof.KaveriDabholkar Bilaspur [C.G]</i>

Published by-Chief Editor, Dr. R. V. Bhole, (Maharashtra)

The Editors shall not be responsible for originality and thought expressed in the papers. The author shall be solely held responsible for the originality and thoughts expressed in their papers.

© All rights reserved with the Editors

### CONTENTS

Sr. No.	Paper Title	Page No.
1	यशवंत ग्राम समृद्धी योजना : आर. आर. पाटील यांची भूमिका डॉ. महेशकुमार नारायण मोटे, दत्तात्रय यशवंत साखरे	1-3
2	आपदा प्रबन्धन में पंचायत की भूमिका डॉ. कल्पना बंडीवार डॉ. रविंद्र सहारे	4-7
3	चुनावी राजनीति में बिगड़ती भारतीय संस्कृति अजय कुमार ओझा	8-12
4	रोहतास जिला में कृषि विकास की समस्याएं एवं समाधान का सिंहावलोकन अनिल कुमार सिंह	13-17
5	पाली साहित्यातील सामाजिक विचारधारा प्रा. डॉ. रेखा वानखडे	18-20
6	सतत विकास के दृष्टिकोण से सामुदायिक विकास में ग्राम सभा की भूमिका का अध्ययन सचिन पाटीदार, डॉ. रश्मि जैन	21-23
7	भारतीय प्रवासी समुदायों के सामने चुनौतियां और अवसर यशवंत कुमार सिंह	24-27
8	स्पर्धा परीक्षेतील गणिती क्रिया करताना येणाऱ्या समस्यांचा अभ्यास श्री.विश्वंभर लवटे	28-35
9	किशोरावस्थेतील विद्यार्थ्यांचे जीवन कौशल्य शिक्षण : एक आव्हान श्री.सुनील चांगदेव आदलिंगे	36-40
10	बाघ सुरक्षा और आँगनवाड़ी केन्द्र - एक समीक्षा सुलोचना कुमारी, डॉ० शशिबाला झा	41-43
11	शिलाहार राजा दुसरा केशिदेव याचा चौधरपाडा (बापगाव) शिलालेख शक संवत् ११६१ (इ.स. १२३९) डॉ. रुपाली मोकाशी	44-45
12	समस्तीपुर जिला में जैविक कृषि का कृषकों के आर्थिक विकास पर प्रभाव संतोष कुमार, डॉ. संतोष कुमार	46-50
13	डॉ. अरुण मोहन 'भारवि' के अयस्कीय व्यक्तित्व राजेश कुमार	51-54
14	प्लेटो के शिक्षा दर्शन के ग्राह्य तत्व डॉ गीता श्रीवास्तव	55-58
15	बिहार के सिवान जिले में पंचायती राज व्यवस्था के सामाजिक भागीदारी इंजमालउल अहमद अंसारी, डॉ० मो० शाहब उद्दीन	59-61
16	आधुनिक न्यायिक प्रणाली: चुनौतियां एवं समाधान (भारत के विशेष संदर्भ में) विकाश रंजन	62-65
17	भारतातील राजकीय स्थिरता आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे योगदान डॉ दत्ताजी हुल्लप्पा मेहत्रे	66-70
18	अण्णाभाऊंच्या कादंबरीतील आंबेडकरवाद प्रा.डॉ.विलास अण्णाराव गाजरे	71-75

## यशवंत ग्राम समृद्धी योजना : आर. आर. पाटील यांची भूमिका

डॉ. महेशकुमार नारायण मोटे<sup>१</sup> दत्तात्रय यशवंत साखरे<sup>२</sup>

<sup>१</sup>मार्गदर्शक सहयोगी प्राध्यापक संशोधन केंद्र पदवी व पदव्युत्तर, राज्यशास्त्र विभाग माधवराव पाटील महाविद्यालय, मुरुम ता. उमरगा जि. उस्मानाबाद (महाराष्ट्र)

<sup>२</sup>संशोधक सहाय्यक प्राध्यापक, पद्मभूषण डॉ. वसंतरावदादा पाटील महाविद्यालय, तासगाव ता. तासगाव जि. सांगली

DOI- 10.5281/zenodo.7431392

### प्रस्तावना :

आधुनिक महाराष्ट्राच्या राजकीय व सामाजिक विकासात एक जबाबदार लोकप्रतिनिधी म्हणून आर. आर. पाटील यांनी अत्यंत म्हत्वाची भूमिका बजावली. १९९० ते २०१५ पर्यंतच्या एकूण राजकीय कारकिर्दीत त्यांनी ग्रामविकास व पाणी पुरवठा मंत्री, उपमुख्यमंत्री, गृहमंत्री म्हणून त्यांनी विधायक समाजकार्याला प्राधान्य देवून विविध नाविन्यपूर्ण शासकीय योजनांची लोकसहभागतातून मांडणी करून त्या यशस्वीपणे महाराष्ट्रात राबविल्या.त्यांनी राबविलेल्या योजनांची दखल आंतरराष्ट्रीय स्तरावर घेण्यात आली.त्यांनी राबविलेल्या विविध योजनांमध्ये संत गाडगेबाबा ग्राम स्वच्छता अभियान, तंटामुक्त गाव अभियान, शिवकालीन पाणीपुरवठा योजना, महिलासाठी स्वयंसहाय्यता बचत गट योजना, झोपडपट्टी मुक्त गाव, डान्सबार बंदी, महात्मा फुले जलभूमी संधारण अभियान, ग्रामीण निवारा योजना, विविध पाणीपुरवठा योजना, पारदर्शक पोलीस भरती, नक्षलवाद्यांसाठी आत्मसमर्पण योजना, महाराष्ट्र दर्शन सहल योजना अशा विविध शासकीय योजना प्रभावीपणे राबवून ग्रामीण विकासाला चालना दिली.

आर. आर. पाटील यांनी पंचायतराज संस्थांच्या सक्षमीकरणासाठी, लोकशाही शासनाच्या राजकीय सत्तेचे विकेंद्रीकरणद्वारे संवैधानिक उद्दीष्ट साध्य करण्यासाठी, नियोजनामध्ये जनसहभाग वाढवून शासनाचे कल्याणकारी राज्याचे स्वप्न साकार करण्यासाठी, यशवंत ग्राम समृद्धी योजनेची निर्मिती करण्यात आली. या योजनेची सुरुवात २००२-२००३ या आर्थिक वर्षात सुरु करण्यात आली. यासाठी या योजनेला तत्कालीन ग्रामविकास मंत्री आर. आर. पाटील यांच्या काळात २००२-०२ साठी १५१.८५ कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले. या योजनेला मिळणारा अभूतपूर्व प्रतिसाद अधिक होता २००३-०४ साठी ५० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली. गावातील विविध समस्या सोडविण्यासाठी, गावात विविध विकास कामे गावक-यांच्या सहकार्यातून यशस्वीपणे पूर्ण करण्यासाठी या योजनेची भूमिका महत्वाची मानली जाते.

### संशोधन अभ्यासाची उद्दीष्टे :

१. यशवंत ग्राम समृद्धी योजनेचा अभ्यास करणे.
२. यशवंत ग्राम समृद्धी योजनेचा यशस्वीतेसाठी आर. आर. पाटील यांनी घेतलेल्या धोरणात्मक निर्णयांचा आढावा घेणे.
३. यशवंत ग्राम समृद्धी योजने मार्फत महाराष्ट्राच्या ग्रामीण भागात लोकसहभागतातून, लोकवर्गणीतून झालेल्या विविध विकास कामाचा अभ्यास करणे.

ग्रामीण भागाच्या सर्वांगीण विकासासाठी महत्वपूर्ण भूमिका बजावणा-या पंचायत राज व्यवस्थेला शासनाने जादा अधिकार देवून या संस्थांच्या सक्षमीकरणावर भर दिल्यास पंचायत राज व्यवस्था ग्रामीण भागात गुणवत्तापूर्ण विकास कामे प्रभावीपणे करताना दिसतात यासाठी यशवंत ग्राम समृद्धी योजनेचा अभ्यास करण्यावर भर दिला आहे.

### संशोधन अभ्यास पद्धती :

प्रस्तुत संशोधन अभ्यासाकरिता यशवंत ग्राम समृद्धी योजनाबाबत विविध लेखकांनी लिहिलेले संदर्भ ग्रंथ, विविध वर्तमान पत्रातील लेख, विविध मासिके व शासनाने, कांही खाजगी संस्थांनी प्रकाशित केलेले अहवाल, शासन निर्णय अशा द्वितीय माहिती स्रोतांच्या अध्ययनात अवलंब करण्यात आला आहे.

### संशोधन अभ्यासाची गृहीतके :

प्रस्तुत संशोधन अभ्यासासाठी पुढील गृहीतके मांडण्यात आली आहेत.

१. यशवंत ग्राम समृद्धीमुळे गावाच्या विकास कामांना चालना मिळाली
२. शासकीय विकास कामासाठी गावातील जनतेची लोकवर्गणी, श्रमदानातून गावात गुणवत्ता पूर्वक कामे होण्यास मदत झाली.
३. या योजनेमुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांना विशेषतः ग्रामसभेला जादा अधिकार प्राप्त झाले.

### यशवंत ग्राम समृद्धी योजना शासन निर्णय :

यशवंत ग्राम समृद्धी योजना राज्यात प्रभावीपणे राबविण्यासाठी तत्कालीन ग्रामविकास मंत्री श्री. पाटील यांच्या पुढाकाराने राज्यात ही योजना राबविण्यात आली. या योजनेची सुव्यवस्थित अंमलबजावणी व्हावी यासाठी शासन स्तरावरून पुढील परिपत्रके काढण्यात आली काढण्यात आले.

१. शासन निर्णय ग्रामविकास व जलसंधारण विभाग, क्र. यं.ग्रा.वी, २००१/प्रक्र-१९४/पं .रा.-६ (४७), मंत्रालय मुंबई-३२, दिनांक २७ ऑगस्ट २००२.

२. शासन शुद्धीपत्रक क्र. यंग्रावी, २००१/प्रक्र-१९४/पं.रा.-६ (४७), मंत्रालय मुंबई-३२, दिनांक १९ ऑक्टोबर २००२.

३. शासन शुद्धीपत्रक क्र. यंग्रावी, २००१/प्रक्र-१९४/पं.रा.-६ (४७), मंत्रालय मुंबई-३२, दिनांक २४ ऑक्टोबर २००२.

**यशवंत ग्राम समृद्धी योजनेचा उद्देश :**

यशवंत ग्राम समृद्धी योजना ही महाराष्ट्र शासनाची महत्वाची योजना असून या योजनेचा उद्देश याप्रमाणे-

१. गावच्या विधायक समाज कार्यात गाव क-यांचा सहभाग वाढवणे.
२. ग्राम विकास कार्यात ग्रामीण जनतेचा निर्णय प्रक्रियेत सहभाग वाढवणे.
३. गावची गरज लक्षात घेऊन गावच्या विकास कामाना प्राधान्य देणे.
४. ग्रामसभेचे महत्व वाढवणे.
५. गावच्या विकास कार्यासाठी गावातून निधी उपलब्ध करणे.
६. लोकसहभागातून ग्रामसमृद्धी करणे.

संत गाडगेबाबा ग्राम स्वच्छता अभियानात जनतेचा मिळालेला अभूतपूर्व लोकसहभागातून आर.आर.पाटील यानी वरील उद्देशाने यशवंत ग्राम समृद्धी योजनेची मांडणी केली. गावातील विविध विकास कामावर गावाकऱ्या मार्फत कामाची आखणी करूनअपेक्षित खर्चाचे अंदाजपत्रक गावाने तयार करून त्या कामाच्या पुर्नत्वासाठी लागणारी १५% रक्कम लोकवर्गणीतुन तर उर्वरित ८५ % रक्कम ही शासना मार्फत उपलब्ध करून गावात विविध विकास कामे यशस्वीपणे पूर्ण करण्यासाठी आर. आर. पाटील यानी यशवंत ग्राम समृद्धी योजनेची निर्मिती केली. स्थानिक स्वराज्य संस्था मधील जिल्हा परिषद, पंचायत समिती व ग्रामपंचायत यांना बळकट करण्याचा मुख्य

हेतुसाठी, राजकीय सत्तेचे विकेंद्रकरण व्हावे म्हणून आर. आर. पाटील यांच्या पुढाकाराने महाराष्ट्र शासनाच्या सहकार्याने ऑक्टोबर २००० मध्ये ७३ वी घटना दुरुस्ती लक्षात घेऊन ९ प्रशासकीय विभागांच्या सुमारे ११६ योजना स्थानिक स्वराज्य संस्थाकडे हस्तांतरित करण्यात आल्या असून यशवंत ग्राम समृद्धी योजने नुसार प्राप्त निधी स्थानिक स्वराज्य संस्थाना देण्याचे धोरण ठरले. यानुसार १५ टक्के रक्कम गावच्या लोकसहभागातून पंचायत समितीकडे जमा केल्यावर शासनाचे अनुदान देण्यात येते. या योजनेचा मुख्य उद्देश 'गावच्या विकास कार्यात गावकऱ्यांचा सहभाग वाढवून,विधायक समाज कार्यातील निर्णय प्रक्रियेत गावातील जनतेचा क्रियाशील सहभागामुळे लोकशाही तत्वांची जोपासना होऊन गावची समृद्धी वाढवी यासाठी ही योजना राबविण्यात आली'.

यशवंत ग्राम समृद्धी योजनेच्या यशस्वीतेसाठी विविध ठिकाणी ग्रामसभा घेवून गावच्या सर्वांगीण विकासासाठी नियोजनावर भर देण्यात आला. याचाच एक भाग म्हणून पुणे विभागातील ५ हजार ६४४ गावापैकी ३ हजार २३८ गावांनी ग्रामसभा घेतल्या. या योजनेद्वारे नियोजन व लोकवर्गणी व्हावी यासाठी १५ टक्के लोकवर्गणी भरलेल्या गावांची एकुण रक्कम ९५८.९५ लाख रूपये असून या ग्रामपंचायतीनी १४७० कामे सुचविली आहेत.

**यशवंत ग्राम समृद्धी योजनेची आर्थिक तरतूद :**

यशवंत ग्राम समृद्धी योजना ही व्यवस्थितपणे राज्यात राबविण्यासाठी या योजने मार्फत विविध उत्पन्न मर्यादा असलेल्या ग्रामपंचायतीसाठी पुढील आर्थिक तरतूद करण्यात आली ती पुढीलप्रमाणे-

**तक्ता क्रमांक - २३**

यशवंत ग्राम समृद्धी योजना ही महाराष्ट्र शासनाची महत्वाकांक्षी योजना असून या योजनेची सुव्यस्थितपणे अंमलबजावणी करण्यासाठी राज्य, जिल्हा व तालुका पातळीवर विविध समित्यांची स्थापना करण्यात आली. गावस्तरावर ग्रामसभेने गावातील जनतेच्या गरजेनुसार विकास कामाना प्राधान्य दिले जाते.

ग्राम पंचायत	१०,००० उत्पन्नमर्यादा	१०,०००ते ३०,००० उत्पन्न मर्यादा	३०,००१ पेक्षा अधिक उत्पन्न मर्यादा
	२ लाख	३ लाख	५ लाख

संदर्भ :लोकराज्य आक्टो/नोव्हें २००३ पृ. क्रं. ३१.

यशवंत ग्राम समृद्धी योजनेसाठी महाराष्ट्र शासनाने मे २००० रोजी घेतलेल्या शासन निर्णयानुसार वरीलप्रमाणे आर्थिक तरतूद करण्यात आली. या योजनेद्वारे गावात पुढील विकास कामास प्राधान्य देण्यात आले. पंचायतराज संस्थांच्या शाळासाठी इमारती, स्वच्छतागृहे, क्रीडांगणे,

कुंपणे, हात पंपाद्वारे पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था, जलसंधारण, अंगनवाडी इमारती, ग्रामपंचायत कार्यालये, गावांतर्गत रस्ते, गावातील सार्वजनिक स्वच्छतागृहे, स्मशानभूमी, गटारे, बसथांबा शेड, गाव, वाडी वस्तीवरील विद्युतीकरण, सार्वजनिक वाचनालये, व्यायामशाळा, सभागृहे, लघु सिंचन, सामजिक वनीकरण, पाळणाघर,

दलित वस्ती सुधारणा, ग्रामस्वच्छता अशा विविध गावच्या विकास कामांना यशवंत ग्राम समृद्धी योजनेत प्राधान्य देण्यात आले. यामुळे गावात लोकसहभागताून जलसंधारणाच्या विविध कामांना चालना मिळाली. संत गाडगेबाबा ग्राम स्वच्छता अभियान लोकसहभागताून गावागावात यशस्वी पणे राबविण्यात आले. गावातील शालेय विद्यार्थ्यांसाठी शाळेच्या इमारती निर्माण करण्यात आल्या. गावातील अंतर्गत रस्ते, गटार व्यवस्था सुव्यस्थित झाल्यामुळे गावातील रोगराईचे, साथीच्या रोगाचे प्रमाण कमी होण्यास मदत झाली. विविध जाती धर्माच्या लोकांसाठी गावात स्मशान भूमीची व्यवस्था करण्यात आली. गावात सार्वजनिक वाचनालये, व्यायामशाळा, सार्वजनिक सभागृहे निर्माण करण्यात आली. एकूणच या योजनेमुळे गावातील जनतेचा गावच्या विधायक कामासाठी एकसंधपणे, लोकसहभागताून ग्रामविकासाला चालना मिळाली. सद्यस्थितीत या योजनेसाठी शासनस्तरावरून पुरेशा प्रमाणात निधीप्राप्त न झाल्यामुळे वर्ष २००६-०७ पासून या योजनेस स्थगिती देण्यात आली.

सारांश यशवंत ग्राम समृद्धी योजना ही शासनाची महत्वाकांक्षी योजना असून ग्रामीण भागाचा विकासकार्यासाठी गावातील ग्राम सभेला व्यापक अधिकार या योजनेमुळे आर. आर. पाटील यांच्या पुढाकाराने दिलेले आहेत. गावात कोणती विकास कामे प्रथम प्राधान्याने करणे आवश्यक आहे याबबत संपूर्ण गावातील जनतेनी एकत्र येऊन लोकसहभागताून ग्रामीण विकास कार्याला चालना देण्यासाठी ही योजन प्रभावीपणे राबविण्यात आली. गावच्या विविध कामासाठी गावचा १५ टक्के लोकवर्गणी अथवा श्रमदान देणा-या गावात शासनामार्फत विकास कामांना सुरुवात करण्याचे धोरण ठरविण्यात आले. गावच्या विविध कामाचे नियोजन, प्रशासन, अंदाजपत्रक तयार करून त्या कामावर देखरेख ठेवण्याचे, कामाची गुणवत्ता तपासण्याचे अधिकार या योजनेमुळे ग्रामसभेला या योजनेमुळे ग्रामीण जनतेची विकासकामाबाबत उपक्रमशीलता व सहभाग वाढला तसेच पूर्वी शासन जि कामे ८-१० लाखात करीत होती तीच विकास कामे गावच्या लोकवर्गणी व लोक सहभागामुळे २-३ लाखात होवून कामाचा दर्जा वाढला देण्यात आले.

#### संदर्भ सूची :

१. विधानसभेतील, दि.१५ जूलै २००३ रोजी, मुंबई ग्राम पंचायत सुधारणा विधेयक प्रसंगी आर. आर. पाटील यांचे भाषण.
२. पंचायत महिला शक्ती अभियान, प्रकाशक यशवंतराव चव्हाण विकास प्रशासन प्रबोधिनी (यशदा), पुणे, ४११००७.
३. भावे मधुकर, यशवंतराव ते विलासराव, मनोरमा प्रकाशन, २००७, पुणे.
४. धायगुडे अनिता कुमार, अपराजित योद्धा, संस्कृती प्रकाशन, आवृत्ती दि.२१ जून २०१५, पुणे.

५. देशमुख एल. जी. (संपा), उज्वल महाराष्ट्रासाठी भाग-१, डायमंड पब्लिकेशन,
६. ऑक्टोबर २००८, पुणे.
७. पाटील आर. आर. 'मी कसा घडलो' प्रकाशक पवार सुनिताराजे संस्कृती प्रकाशन, २०१०, पुणे.
८. भोंगळे सुधीर, 'बिकट वाट नाजुक गाठ आर. आर. पाटील भाषणे आणि मुलाखती', संपादन, प्रकाशक, अशोक भोंगळे, सुज्ञान प्रकाशन, २०१३, पुणे, ८.
९. साळुंखे श्रीधर, ना. आर. आर. पाटील (आवा) सहृदय योद्धा संस्कृती प्रकाशन, २००७, पुणे.

## आपदा प्रबंधन में पंचायत की भूमिका

डॉ. कल्पना बंडीवार<sup>१</sup> डॉ. रविंद्र सहारे<sup>२</sup>

अनिकेत समाजकार्य महाविद्यालय, वर्धा

DOI-10.5281/zenodo.7431408

### प्रस्तावना -

आपदाओं के होने के कारण पता लगाए सावधानी बरतें और हानि होने से बचाए। उपरोक्त कथन, अचानक आने वाली आपदाओं से बचने और उनके कारण का पता लगाने की ओर जोर देता है। आपदाएँ अक्सर अचानक आती हैं। और जान का और माल का नुकसान करती हैं। विश्व जोखिम रिपोर्ट २०२० के अनुसार भारत प्राकृतिक आपदाओं के प्रति अधीक संवेदनशील है और भारत विश्व जोखिम सूचकांक में १८१ देशों में से ८९ वे स्थान पर है। आपदा के समय स्थानीय समुदायी की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। क्योंकि वे आसपास के क्षेत्र और भौगोलिक स्थानों को अच्छी तरह से जानते हैं। ऐसी कोई भी प्राकृतिक घटना जिससे मनुष्य के जीवन को हानी पहुंचे प्राकृतिक आपदा कहलाती है। आपदाएँ प्राकृतिक या मानव निर्मित कारणों का परिणाम हैं जो जान और माल दोनों के नुकसान करके सामान्य जीवन को अस्तव्यस्त कर देती हैं। आपदा प्रबंधन आपदा के होनेवाले प्रभाव को कम करने का एक निरंतर प्रयास है।

आपदा अंतरीक और बाहरी कारकों के कारण प्रभाव से उत्पन्न होती है। जो संयुक्त होकर घटना को भारी विनाशकारी घटना के रूप में परिवर्तित करती है।

वर्तमान में हम प्राकृतिक संसाधनों का अनुसंधान इस्तमाल कर रहे हैं। आपदाओं के कारण मानव का बड़ी संख्या में हानी होती है। इसीलिए आपदाओं के कारण घटनाओं को रोकने या आपत्ती को नियंत्रण, व्यवस्थापन करना जरूरी है। आपदाओंके व्यवस्थापन में मानव के हित जुड़े हैं। आपदा व्यवस्थापन में प्राकृतिक आपदाओं के निर्माण हुए नुकसान की आपदा व्यवस्थापन में विशेष सुचना जानकारी मिली तो जीवितहानी कम हो सकती है। आपदा व्यवस्थापन में आपदाओं का सामना करने की क्षमता प्राप्त करने और क्षमताओं को बढ़ाने के कार्य करती है। आपदा शब्द को संदर्भा में अलग-अलग व्याख्या मिली है। लेकिन आपदाओं के बारे में मौलिक धारणा मानव जाती के कल्याण और या पर्यावरणीय नुकसान को प्रभावीत करने वाली प्रतिकूल घटनाओं की है। प्राकृतिक आपदा यह एक बहुत ही भयंकर और खतरनाक घटना है जो अचानक से होती है, मानवीय भूलों के कारण यह दिन प्रतीदिन बढ़ती जा रही है क्योंकि मानव द्वारा पर्यावरणीय संसाधनों का दुरुपयोग किया जा रहा है। मानव निर्मित आपदा एक आपदा है जो मानवीय त्रुटियों, लापरवाही और जानबुझकर की गई गलती के कारण होती है। सभी प्रकार की मानव निर्मित आपदाएँ मनुष्य को नुकसान पहुंचाती हैं। मानवनिर्मित आपदाओं के वजह से लोगों की जान का खतरा बन जाता है। आपदाओं की पूर्व सुचना मिलजाती है तो आपदासे संभावित जान-माल की कमी बचा सकती है। अथवा उसको कम कर सकते हैं। इसी सोच के आधारपर किए गये प्रयासों को आपदाप्रबंधन कहा जाता है।

### आपदा प्रबंधन के उद्देश्य -

- १) नुकसान और मौतों को कम करना
- २) व्यक्तिगत दुख को कम करना
- ३) आपदा के बाद चिकित्सा सहायता और प्राथमिक चिकित्सा प्रदान करना
- ४) सुरक्षा और जल्दी में सही निर्णय लेना
- ५) पीड़ितों की रक्षा करना
- ६) महत्वपूर्ण जानकारी और रिकार्ड को सुरक्षित रखना
- ७) आपदा तैयारी और आपदा नियोजन की संस्कृति को बढ़ावा देना

### आपदा प्रबंधन की आवश्यकता -

आपदाएँ ये ऐसी घटनाएँ हैं जिनका मनुष्यों और पर्यावरण पर बहुत प्रभाव पड़ता है। आपदाएँ तो

अनिश्चित हैं कब और कहा हो कोई जानता नहीं है। आपदा प्रबंधन के लिए सरकारी हस्तक्षेप और सही योजना के साथ, साथ फंड की आवश्यकता होती है।

आपदा की स्थिति को किस तरह से रोकना है। उसके लिए प्रशिक्षण दिया जाता है। और वे नुकसान को कम करना और स्थानीय लोगों को सामान्य जीवन में वापस लाने में मदद करने के लिए टीम के रूप में काम करते हैं।

### सारांश -

जब प्रकृति में असंतुलन की स्थिति निर्माण होती है, तब आपदाएँ आ जाती हैं। आपदा यह एक ऐसी स्थिति है जो अचानक से मनुष्य जीवन को तहस-नहस कर देती है। जिसके कारण विकास

एवं प्रगती बाधक होती है। प्राकृतिक आपदाओं के अतिरिक्त कुछ विपत्तियाँ मानवजनित भी होती हैं। प्राकृतिक आपदाएँ जैसे सुखा, बाढ़, भुकम्प, सुनामी भूस्खलन, ज्वालामुखी, हिमखंडों का पिघलना, पहाडीयों का गीरना, (धैय, विवेक, परस्पर, सहयोग प्रबंधन से ही इन आपदाओं से पार किया जाता है। आपदा प्रबंधन दो प्रकार से किया जाता है आपदा से पूर्व एवं आपदा के पश्चात्) आपदाएँ तब होती हैं। जब प्रतीकूल पर्यावरणीय घटना आबादी के साथ बातचित करती है। जो घटना के प्रती संवेदनशील होती है। आपदा प्रबंधन में पूर्व नियोजित गतिविधियाँ का समावेश होता है, जिसके दौरान जारी रहता है। और आपदा के प्रभावों का कम करने के लिए आपदा की घटना के बाद किया जाता है। जिससे प्रतिकूल प्रभावों को रोका जा सके।

आपदा प्रबंधन ये घामील चरणों में रोकथाम, तैयारी घमन क्षमता निर्माण, प्रतिक्रिया पुनर्निर्माण और पुनर्वास घामील है। भारत में आपदाओं की अधिक संभावना है। भारत ये आपदा प्रबंधन के लिए सर्वोच्छ निकाय राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन पृथकीकरण है। सामुदाय की प्रतिक्रिया क्षमता को बढ़ाती है। और एजेंसी प्रतिक्रिया की आवश्यकता होती है। भारत में प्रषीक्षण और क्षमता विकास कार्यक्रम के लिए प्रमुख संस्थान राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान है। 'आपदामित्र' स्थानीय लोगोंकी भुमीका को मजबुत करने के लिए सरकार व्दारा की गई एक पहल है। इसके अंतर्गत युवा स्वयंसेवकों को प्रषीक्षित किया जाता है। और आपदा मित्र के रूप में बुलाया जाता है। और ये आपदा के समय सहायता करते हैं। इस प्रकार स्थानीय लोगों को जागरूक करना और आपदा के समय प्रतिक्रिया के लिए उन्हें तैयार करना, किसी भी संबधीत कार्यक्रम का उचित निवपादन तब तक संभव नहीं है जब तक कि उसमें स्थानीय समुदाय घामील न हो।

#### उद्देश-

- 1) आपदा प्रबंधन में पंचायत की भुमीका के बारे में अध्ययन करना
- 2) आपदा प्रबंधन से स्थानीक संस्थानों की भुमीकाओं के बारे में जानना
- 3) आपदा प्रबंधन में योजनाओं के बारे में अध्ययन करना

#### तथ्य संकलन -

तथ्य संकलन में दुस्यम स्रोतों का उपयोग किया है इसमें पुस्तकें, मासिकें, वृत्तपत्रे, इंटरनेट आदी साहित्यों को समावेश किया है।

#### स्थानीय संगठन एवं संस्थाओं की भुमीका-

कभी कभी गाँवों में कई प्रकार की दुर्घटनाएँ या प्राकृतिक प्रकोप होते रहते हैं। इन आपदाओं के कारण प्रतीवर्ष हज़ारों लोग अकालीन मृत्यु के शिकार होते हैं। मरने वालों से कहीं ज्यादा लोग घायल और बीमार भी हो जाते हैं। इन पर काबू पाने के लिए प्रषासनीक तंत्र एवं पुलिस के पहुँचने से पहले ही काफी जन-धन की हानी हो जाती है। आपदा प्रबंधन में पूर्व तैयारी के समय जनसहयोग और कहीं संस्थाओं की आवश्यकता पडती है। पहले के जमाने में भी गाँवों में हम सामाजिक सहयोग से इस तरह की व्यवस्था करते थे। बरसात के समय सुखी लकड़ी आदी की व्यवस्था, अचार नाशे के सामान हालकी भोजन सामुग्री पापड आदी की व्यवस्था पहले से ही करके रखने की व्यवस्था की जाती थी। जिससे की बरसात या बाढ़ आने पर कोई परेषानी ना हो। यहा तक के उँची जगह के मकान में रहने वाले निची जगह लोगों के लिए रहने की व्यवस्था करते थे। इसी तरह आपदा प्रबंधन में समाज और इसप्रकार समुदाय के लिए बड़े पैमाने पर सारी व्यवस्था करना पंचायत की एक प्रमुख जिम्मेदारी है। हमारे में ग्रामीण स्तर पर पंचायत गठीत की गई है। अनेक सामाजिक संगठन सहायता एवं सहयोग के लिए कार्य करते हैं। यदि ये सभी आपदा के समय मिलकर उनका सामना करें तो ऐसे संकटों का प्रभाव हटाया जाना संभव है। आमतौर पर यह समझा जाता है कि, आपदा प्रबंधन सरकार का काम है। इसलिये कोई व्यवती इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते दुख की बात यह है। की आपदाओं का मुख्य शिकार तो आम आदमी होता है। इसलिये जरूरी है कि हम नागरीक पहल करके आपदाओं पर काबू पाने का प्रयास करें। आपदा के समय एवं बादमें लोगों के पुनर्वास का उचित प्रबन्ध करें।

आपदा प्रबंधन में निगरानी और मुल्यांकन भी एक महत्वपूर्ण घटक है। यदी कम आपदा का सही मुल्यांकन कर सके तो रहत भी सही तरीके से पहुँचा सकते हैं। आपदाओं में हम धीरज, विवेक सहनशीलता से निपटना चाहिए। आपदाओं



से बचने के लिए मानव समाज का संवेदनशील होना बेहद जरूरी है। गाँवों में स्थायी आपदा समन्वय समितियों का गठन किया जाना आवश्यक है। छोटी या बड़ी आपदाओं में समन्वय की कमी के कारण राहत और मदद समय पर प्रभावीत स्थान या व्यक्ति तक नहीं पहुँच पाती। राहत एजेंसियों के बीच समुचित तालमेल से अभाव की वजह से राहत कार्य ठीक से नहीं चल पाते और जादातर राहत सामग्री भी बर्बाद हो जाती है। सरकारी और गैरसरकारी संस्थाओं में समन्वय होना बेहद जरूरी है। यह निर्देश दिया जाना चाहिए कि प्रत्येक प्रखण्ड तथा जिले के प्रमुख अपने क्षेत्र में स्वयंसेवा संस्थाओं व सरकारी कर्मचारीयों को मिलाकर एक प्रभावी तंत्र पहले ही तैयार रखें। यह तंत्र हर आपदा की स्थिति में समन्वित व आपसी सहयोग से काम करे। समन्वय समिति में अवकाश प्राप्त सैनिक, अधिकारी विकीत्सक इंजीनीअर योजनाकार आदी जो थी हो गाँवों में घामील रहे जिससे इनके विषीष्ट ज्ञान एवं कौशल का उपयोग आपदा प्रबन्धन में किया जा सके। समिति के सदस्यों को समय, समय पर प्रषीक्षण की आवश्यकता रहेंगी। दृढ संकल्प एवं योजना बनाकर समुदाय की सक्षमता बढ़ाई जा सकती है। जिससे की समुदाय जोखिम का मुकाबला कर सके। पंचों और संपंचों का यह दायित्व है। की व अपने क्षेत्र में आनेवाली आपदाओं के समय लोगों की सहायता के लिए जल्दी आगे आए। पंचायत, ब्लॉक एव जिला स्तर पर उपलब्ध साधनों को भी गाँव तक लाकर उससे लोगों की मदद करे, गाँवों में आनेवाली आपदाएँ मानकृत आपदाएँ हो सकती हैं। आपदाओं के कारण जन-धन की हानी होती है। गाँवों में विकास के लिए पंचायत संस्था अपने कार्य व्यवस्थित रूप से करती है। उसी तरह गाँवों में प्रषीक्षण दीनाके लोगों को हमेशा तयार रखना चाहिए। आपदा स्थिति में पंचायत न कुछ नये योजनाओं पर ध्यान देकर स्वयं-सहायता एवं स्थानीय सहायता के आधार पर कुछ कदम उठाने चाहिए।

आपदा नियोजन के समय जो संपर्क सुत्र व फोन नंबर पंचायत ने इकट्ठे किए थे, उनपर संपर्क करके संबंधित कार्यदल व प्रशासनीक व्यवस्था को इसके बारे में सुचना पहुँचाना जिससे की त्वरित राहत कार्यवाही की जा सके जब तक विषीष्ट आपदा बचाव कार्य में लगाना था पंचायत

का प्राथमीक सहायता की भुमीका होती है। यदी बाढ का खतरा बढ़ रहा है। तो पहले से सुरक्षीत जगहों पर महीला एवं बच्चों को प्राथमीकता के आधार पर और बादमें अन्य लोगों की सुरक्षीत स्थान पर ले जाने का कार्य पंचायत को करना चाहिए। विभीन्न संबंधीत विभागों से संपर्क साध कर भोजन, पेयजल, दवाओं व अन्य आवश्यक सामग्री का प्रावधान करना पंचायत की भुमीका है। कार्य है। आपदा के घटीत होने पर पुलिस, अस्पताल, एंबूलन्स अग्निषामक, सेवा, बुलाने का कार्य पंचायत को करना चाहिए। आपदा के दौरान माइक आदी का प्रयोग करके लोगों को विपलीत होने के बचाव सुरक्षीत निकालने की घोशणाएँ करते रहना चाहिए। यदी भुंकप आया है। तो सबसे पहले बाहर खुले स्थान में आने की घोशणा हो यदी कोई घर में ही रह गया तो घर काम में प्रस्थापीत खडा रहने, किसी मजबुत सामान के नीचे छुपने, खिडकी दरवाजों से दुर रहने की घोशणा करते रहे। इस अवस्थाओं में पंचायत को चाहिए की सभी बीजली घरे से बीजली प्रवाह रोक दीया जाए जिससे अफरा-तफरी में करंट लगने से बचा जा सके।

आपदा के घटीत होने या उसके पश्चात के प्रबन्धन से भी अधिक महत्त्वपूर्ण है, इसके सम्बन्ध में जलय इसके लिए सामान्य नागरीको को आपदा प्रबन्धन की प्रषीक्षा देना और चेतना जागृत करना आवश्यक है। आपदापूर्व प्रषीक्षण एक ऐसा कार्यक्रम है, जिससे न केवल व्यवती मनोवैज्ञानीक रूपसे आपदा सहनीय बनता है। अपीतु यह आपदा के समय स्वयं को और अन्य को बचा सकता है। तथा सम्पती की हानी को रोक सकता है। इसके दीर्घकालीण सामुदायीक कार्यक्रम बनाना आवश्यक है। कीसी भी आपदा प्रबन्ध योजना की सकल्पना के लिए जनभागीदारी, अती आवश्यक है वर्योकी अमस्था होने पर अधीकांष व्यवती उसे सहने की स्थीती नहीं होते और इस डर तथा भयावहता का अधिक कर देते हैं। संचार माध्यम भी निरीमत प्रसरणी से यह जागृती पैदा कर सकती है। आपदा पीडीतो मनोवैज्ञानीक और सामाजीक प्रस्थाव को कम करने के लिए एक काऊंसलींग सेंटर होना चाहिए। आपदा के गुजर जाने के बाद पंचायत सबसे पहले प्रस्थापीत होने वाली लोगों के बारे में आंकडोका संकलन करना और आपदा से होने वाली नुकसान का आकलन करना पंचायत का

कार्य है। आपदा में होने वाले जन नुकसान, पशु नुकसान से फैलने वाली बीमारीयों से बचने के लिए षवों और कंकालों को हटाना पंचायत की प्राथमिकता है। दोबारा से उन सभी सुविधाओं को प्रदान करवाना जीवनका नुकसान आपदा कालमें हुआ है। मारे गए लोगों के परिवार को मुआवजा व क्षतिपूर्ण का प्रबंधन करना पंचायत के कार्य है। सरकार द्वारा प्रदान की गई रहत सामुग्री को सुव्यवस्थित ढंगसे निवारण का प्रबंधन करना येह भी पंचायतकी भूमिका है। ये सभी कार्य संभव है जब हमारे पंचायत प्रतीनीधी पढे-लीखे हो। संवेदनशील हो । और अपने कार्य के प्रती सजग रहे। ये पंचायतों मान व निमत आपदा से बचाव रास्ता अपनी सजगता से घटने वाली आपदा को रोक सकती है। पंचायतों अपने गाँवों में समय-समय पर संगोश्टी, कार्यषाला, ग्रामीणों में जागरूकता फैला सकती है। बीमारीयों से संबधीत कॅंप लगाकर इनसे बचने के उपायों का प्रबंध कर सकती है। जिस प्रकार केंद्र व राज्य सरकार अपने क्षेत्र में कार्य करती है, उसी प्रकार स्थानीय स्थर पर पंचायत भी उतनी ही महत्वपूर्ण है।

आपदा की स्थिती में बाहरी आपदा में स्थानीय सहायता ही सबसे पहले काम आती है। इसलीए स्थानीय सहायता का होना आवष्यक है। आपदाए कई प्रकार की होती है। जैसे महामारिया, अकाल बाढ, भुकम्प, जानवरों की बीमारी, फसल की बीमारीयों, बीजली गीरना, आगलगना, ऐसी स्थिती में स्थानीक संम्सारे ही स्थिती में मदद कार्य बन सकती है। पंचायतों में या घर में फोन की सुविधा हो एव प्रषासनीक कार्यालयों पुलरस नीयंत्रण कक्ष अस्पताल अग्निषामक केन्द्र के दुर भाषा नम्बर की सुवी लगी होनी चाहीए लोगों को सडक पर चलने तथा बाहन चलने के नियमों का ज्ञान होना चाहीए। सडको पर मार्ग एवं मोडों पर जरूरी सांकेतांक लगाना चाहीए जिससे की लोगों को ध्यान रहना चाहीए। कीटकनाषक दवाओं के प्रती सावधानी रखने की जानकारी दी जानी चाहीए। गाँव के उत्साही तथा सेवा-भावी नौजवान कत एक दल बनाना चाहीए । इन्हे दुर्घटनाओं एवं आपदाओं से निपटने केलीए पुरी तरह प्रषीक्षीत किया जाना चाहीए आपदा में फसे लोगों के लीए भोजन एवं आवास की व्यवस्था की जानी चाहीए। गाँवों में स्थायी आपदा समन्वय समितीयों का गठन किया जाना आवष्यक है। अवसर छोटी या बडी आपदाओं में समन्वयको की

कमी के कारण रहत और मदद समय पर प्रषाक्षीत स्थान या व्यवित तक नहीं पहुँचपाती रहत एजेंसियों के बीच समुचीत तालमेल के अभाव की वजह से रहत कार्य ठीकसे नहीं चल पाते है। जादा तर रहत सामग्री भी बर्बाद हो जायेगी गाँवों की या आपदा प्रबन्धन करते समय गाँवों को विशेष महत्व होना चाहीए। आपदा की स्थिती देखते हुए हम गाँवों में भी पुनर्वास केंद्र स्थापीत कीये जाने चाहीए। हमारे यहाँ जिस प्रकार की व्यापदा आने की संभावना रहती है। वहाँ उन केंद्रों पर उसी के अनुरूप तयारीया होनी चाहीए।

### निष्कर्ष-

आपदाओं से बचा नहीं जा सकता है, इसलीए हमें हमेषा उसके लिए पहलेसे ही तैयार रहना पडेगा। राज्य और केंद्र सरकार के बीच में समन्वय बढ़ाना चाहीए और संचार की कमी को पुरा करना चाहीए और संसाधनों की जो कमी है। उससे प्राथमिकता देकर संसाधनों में उपलब्धी करानी चाहीए। आपदा से बचाने के लीए हमें नये, नये तकनीकों के साथ अदयामीत रहने की आवष्यकता है। ताकी होने वाले आपदा संकटों से लोगों को जानवरों और पौधों के जीवन पर प्रभाव को कम किया जा सके। आपदाओं में होनेवाले जोखीम और नुकसान को कम करने के लीए संस्थान संभावित आपदाओं व उनके जोखीम की तकनीकी व वैज्ञानीक तरीके से पहचान कर सकते है। ऐसे अध्ययन के आधार पर बचाव की रणनीती बनाई जा सकती है। आपदाओंपर अध्ययन करने वाले अकादमीक व षोध संस्थान अलग-अलग होकर काम करने के बजाय एक दुसरो को आंकडे और अध्ययन को साझा करे और इसके दौहराव से बचे।

### संदर्भ -

- 1) पर्यावरण अभ्यास - प्रा.किषोर भुते, डॉ. अमीर धमानी, डॉ. अरविंद लोणकर, डॉ. सुरेष बाकरे
- 2) आपत्ती व्यवस्थापन संकल्पना आणी कृती - प्रा.व्ही.जे. गोडबोले
- 3) आपदा प्रबंधन बचाव व निराकरण - ए. श्रीवास्तव
- 4) <https://hi.vikaspedia.in>,  
5½ <https://www.drishtilas.com>,  
6½ <https://hi.m.wikipedia.org>,  
7½ <https://www.doubtnut.com>

## चुनावी राजनीति में बिगड़ती भारतीय संस्कृति

अजय कुमार ओझा

शोधार्थी, राजनीति विज्ञान वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय आरा

Email : [Ojhaajay019@gmail.com](mailto:Ojhaajay019@gmail.com)

DOI- 10.5281/zenodo.7431441

### सारांश:-

भारतीय संस्कृति विश्व की सबसे प्राचीन लोकप्रिय, अमिट, निरंतर गतिमान एवं समृद्ध संस्कृति है। इसे संसार की सभी संस्कृतियों की जननी के श्रेय से अलंकृत किया गया है, या यूँ कहा जाए कि संसार की समस्त संस्कृतियों की जननी भारतीय संस्कृति ही हैं। प्राचीन काल से भारतीय संस्कृति पर कुठाराघात होता रहा है। आर्यों की समृद्ध संस्कृति यवनो यहूदियों मुस्लिमों एवं अंग्रेजों के कुठाराघात का सामना करते हुए भी अपने आप को जीवंत एवं सर्वाधिक समृद्ध कायम करने में सफल रही है। जीने की कला हो या विज्ञान और राजनीति का क्षेत्र भारतीय संस्कृति का सदैव विशेष स्थान रहा है। हमारी संस्कृति को हमारे महापुरुषों, मनीषियों, वेदों, पुराणों, ब्राह्मणों एवं यहां की पुरातन कलाकृतियों ने सिंचित कर समृद्ध एवं शक्तिशाली बनाया है। वहीं अन्य देशों की संस्कृति तो समय की धारा के साथ साथ नष्ट होती रही है, किंतु भारत की संस्कृति आदिकाल से ही अपने परंपरागत अस्तित्व के साथ अजर अमर बनी हुई है। अंग्रेजों के भारत आगमन के बाद औपनिवेशिक संस्कृति ने भारत को जितना क्षत-विक्षत नहीं किया, उससे कहीं अधिक स्वतंत्र भारत में चुनावी राजनीति ने एक साथ मिलकर इसकी लगभग चुले हिला दी। चुनावी राजनीति ने भारतीय संस्कृति के मूल सिद्धांत से परे लालच स्वार्थ के वशीभूत होकर नैतिक पतन के मार्ग पर अग्रसर हो रहा है। हर पार्टी अपनी चुनावी लॉलीपॉप से जनता को भरमा कर अपने स्वार्थ साधन का मार्ग प्रशस्त कर रही है। आज चुनावी राजनीति ने मां- बाप, भाई- बहन, पति -पत्नी आदि रिश्तो को भी तार-तार कर के रख दी है। एन केन कारण से भारतीय संस्कृति को तख्ते पर रखकर पश्चिमी संस्कृति के वशीभूत होकर अपनी संस्कृति को नष्ट कर रहे हैं। इस लेख को पूरा करने में व्यक्तिगत चर्चा पत्र-पत्रिकाओं समाचार पत्रों एवं चुनावी प्रदर्शन तथा चुनावी मेनिफेस्टो का तार्किक मूल्यांकन कर पूरा किया जाएगा।

**कीवर्ड:-** भारतीय, संस्कृति, समृद्ध, श्रेष्ठ, संस्कार, राजनीति, चुनावी

### A-1-संस्कृति का परिचय:-

संस्कृति का साधारण अर्थ होता है संस्कार, सुधार, परिष्कार, शुद्धि, सजावट आदि। संस्कृति शब्द की उत्पत्ति संस्कार शब्द से हुआ है। वैदिक युग के वेद यजुर्वेद में संस्कृति को सृष्टि की उपमा दी गई जो कि पूरे संसार में वरण करने योग्य है, वही संस्कृति है, ऐसा माना जाता है। डॉ नगेंद्र ने लिखा है कि "संस्कृति मानव जीवन की वह अवस्था है, जहां उसके प्राकृतिक राग द्वेषों का परिमार्जन हो जाता है। इस तरह जीवन को परिष्कृत एवं संपन्न करने के लिए मूल्यों, स्थापनाओं और मान्यताओं का समूह संस्कृति है। संस्कृति किसी भी समाज में व्याप्त गुणों के समस्त स्वरूप का नाम है, जो उस समाज के सोचने, समझने, करने के स्वरूप में अंतर्निहित है। संस्कृति "कृ" करना धातु से बना है, इस धातु से तीन शब्द बनते हैं "प्रकृति" की मूल स्थिति यह संस्कृत हो जाता और जब बिगड़ जाता है तो विकृत रूप हो जाता है। अंग्रेजी में संस्कृति शब्द के लिए कल्चर शब्द का प्रयोग किया जाता है, जो लैटिन भाषा के 'काल्ट' या 'कल्टस' से लिया गया है, जिसका अर्थ होता

है जो तना, विकसित करना या परिष्कृत करना और पूजा करना संक्षेप में किसी वस्तु को यहां तक संस्कारित और परिष्कृत करना कि इसका अंतिम उत्पाद हमारी प्रशंसा और सम्मान प्राप्त कर सके। यह ठीक उसी तरह है जैसे संस्कृत भाषा का शब्द संस्कृति।

### A-2-संस्कृति की अवधारणा:-

संस्कृति हमारे जीवन की विधि है। जो कि हमारे खान - पान, रहन - सहन, बोल-चाल, की भाषा एवं पूजा - पाठ, करने की विधियों में अंतर्निहित हैं। सरल शब्दों में हम यह कह सकते हैं, कि संस्कृति उस विधि का सूचक है, जिसके आधार पर हम सोचते समझते और कार्य को करते हैं इसमें वे सभी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष भाव और विचार सम्मिलित हैं जो हमने एक परिवार और समाज के सदस्य होने का नाते उत्तराधिकार में प्राप्त करते हैं। एक समाज वर्ग के सदस्य के रूप में मानव की सभी उपलब्धियां उसकी संस्कृति से प्रेरित कही जा सकती है। इस प्रकार संस्कृति मानव जनित मानसिक पर्यावरण से संबंध रखती है जिसमें सभी अभौतिक उत्पाद एक पीढ़ी

से दूसरी पीढ़ी को प्रदान किए जाते हैं। संस्कृति हमारे जीने और सोचने की विधि में अंतर्निहित है। यह हमारे दैनिक क्रिया कलापो धार्मिक कार्यों में, साहित्य में मनोरंजन एवं आनंद प्राप्त करने के तरीकों में भी देखने को मिल जाती है। संस्कृति एक समाज से दूसरे समाज तथा एक देश से दूसरे देश में बदलती रहती है इसका विकास एक सामाजिक अथवा राष्ट्रीय संदर्भ में होने वाली ऐतिहासिक एवं ज्ञान संबंधी प्रक्रिया व प्रगति पर आधारित होता है। किसी भी देश के लोगों का अपनी एक विशिष्ट सांस्कृतिक परंपरा जिसके द्वारा उसे पहचाना जाता उदाहरण स्वरूप अभिवादन की विधियां हमारे पहनावे खाने की याद तो परिवारिक संबंधों सामाजिक एवं धार्मिक रीति-रिवाजों आदि से।

### **A-3-आध्यात्मिकता:-**

आध्यात्म भारतीय संस्कृति का प्राण है। आध्यात्मिकता ने भारतीय संस्कृति को अपने निर्मल जल से सिंचित किया है, तथा कर्म फल के सिद्धांत में भारतीयों का विश्वास दृढ़ किया है, तथा अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष के चार पुरुषार्थों का महत्व आध्यात्मिकता से ही उत्पन्न हुआ है।

### **A-4-सहिष्णुता की भावना:-**

भारतीय संस्कृति की यदि मूल भावना को समझने का प्रयास करते हैं, तो पाते हैं कि भारतीय संस्कृति की मूल भावना सहिष्णुता से ओत-पोत हैं। भारतीयों की सहिष्णुता का ज्ञान हमारे मनीषियों, पुराणों, धर्म ग्रंथों, महावीर, कबीर, नानक, चैतन्य महाप्रभु, गांधी, बुध एवं राम कृष्ण जैसे महापुरुषों ने दिया है। जो कि हमारे रग रग में रचा बसा है तभी तो हमारी संस्कृति अनेकानेक आक्रमणकारियों के अत्याचारों को सहन करने के बाद भी अपने आप को बचाने में सफल रही है।

### **A-5-कर्मवाद:-**

हमारे शास्त्रों धर्म ग्रंथों में कर्म की प्रधानता दी गई है। रामचरितमानस में तुलसीदास जी कहते हैं कि “कर्म प्रधान विश्व रचि राखा जो जस करहिं तस फल चिका” अर्थात् इस विश्व में कर्म ही प्रधान है। जो जैसा करता है वैसा ही उसे फल प्राप्त होता है। कर्म बाद हमें कर्म करने की प्रेरणा देता है गीता में कृष्ण भगवान कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचना” हमारी संस्कृति को इससे बल मिलता है। अथर्ववेद में कर्मज्यता मेरे दाएं हाथ में हैं, तो विजय निश्चित ही मेरे बाएं हाथ में होगी

ऐसी भावना से हमारी संस्कृति को बल मिलती है, तथा कर्म करने की प्रबल प्रेरणा मिलती है।

### **A-6-विश्व बंधुत्व:-**

भारतीय संस्कृति की मूल भावना वसुधैव कुटुंबकम की भावना है। जो कि सारे विश्व को एक परिवार (कुटुंब) मानते हुए समस्त जीवों के प्रति सुख आरोग्य एवं कल्याण की कामना करते हैं। तभी हमारे यहां शांति पाठ के रूप में हमेशा यह कामना करते हैं कि सर्वे भवतु सुखिनः सर्वे संतु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यंतु मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। जिसका भावार्थ होता है सभी सुखी रहें, सभी स्वस्थ रहें, सबका भला हो, किसी को भी कोई दुख न रहे।

### **A-7-संस्कार:-**

संस्कार का मूल रूप से अभिप्राय हैं कि किसी भी व्यक्ति को अपने समुदाय के लिए पूर्ण रूप से योग्य सदस्य बनने के लिए मन, मस्तिष्क एवं शरीर को पवित्र करने के लिए किए गए उपाय अर्थात् मन वाणी और शरीर को शुद्धीकरण करना संस्कार है। हिंदू धर्म में 16 प्रकार के संस्कारों का वर्णन मिलता है जो निम्नवत है 1-गर्भाधान संस्कार, 2-पुंसवन संस्कार, 3-सीमंतोन्नयन संस्कार, 4-जात कर्म संस्कार, 5-नामकरण संस्कार, 6-निष्क्रमण संस्कार, 7-अन्नप्राशन संस्कार, 8-मुंडन संस्कार, 9-विद्यारंभ संस्कार, 10-कर्णवेध संस्कार, 11-यगोपवित संस्कार, 12-वेदा रंभ संस्कार, 13-केशांत संस्कार, 14-समावर्तन संस्कार, 15-विवाह संस्कार, 16-अंत्येष्टि संस्कार आदि।

### **A-8-गुरु की महत्ता:-**

भारतीय संस्कृति में गुरु को भगवान से भी ऊंचा स्थान प्राप्त है। गुरु को मार्गदर्शक सिद्धीदाता एवं कल्याण करता के स्वरूप में देखते हैं। गुरु का शाब्दिक अर्थ अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला या यूं कहें कि गुरु अज्ञानता से ज्ञान की ओर पहुंचाने वाला प्रकाश पूंज है।

गुरु समान दाता नहीं, याचक सीस समान।

तीन लोक की संपदा, सो गुरु दीन्ही दान।।

### **A-9-शिक्षा का महत्व:-**

भारतीय संस्कृति में शिक्षा का अमिट प्रभाव है। भारतीय संविधान के अनुसार 0 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निशुल्क शिक्षा देने का प्रावधान किया गया है।

शिक्षा से व्यक्तित्व का निर्माण होता है। साथ ही साथ बालकों में आध्यात्मिक, नैतिक, मानसिक एवं चारित्रिक विकास होता है।

#### **A-10-अतिथि देवो भव :-**

भारतीय संस्कृति में आगंतुक, अतिथियों को ईश्वर के समान समझा गया है। हमारी भारतीय संस्कृति हमेशा से हमारे व्यवहारों का शोधन करके अच्छा व्यवहार करने की प्रेरणा देती है। बड़ों का आदर करना, असहायों को सहयोग करना, भूखों को भोजन एवं प्यासे को पानी देना आदि हमें सिखाती है। कुछ धार्मिक संस्कृतियां भी जैसे व्रत, त्यौहार करना, गंगाजल से जलाभिषेक करना, प्रकृति का पूजन करना, आदि आदि हमारे संस्कृति को अन्य से अलग एवं विश्व विख्यात बनाती है। आज इन सभी संस्कृतिक अंगों पर कहीं न कहीं चुनावी राजनीति हमें प्रभावित करती है। उसका विश्लेषणात्मक स्वरूप को समझने का एक प्रयास किया जा सकता है।

#### **B-1-भारत में चुनावी राजनीति:-**

गणतंत्र की जन्मस्थली भारत जहां पर गणतंत्र को कायम रखने के लिए चुनाव या निर्वाचन की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया से गुजर कर लोग (जनता) अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं। भारतीय लोकतंत्र में चुनाव प्रक्रिया के अलग-अलग स्तर हैं। भारतीय संविधान के भाग 15 के अनुच्छेद 324 से 329 तक निर्वाचन का स्वरूप प्रगट किया गया है। लोकसभा, विधानसभा का चुनाव भारत निर्वाचन आयोग के अधिनस्थ होता है। चुनाव आयोग के लाख प्रयास के बाद भी बहुदलीय चुनाव प्रणाली अपने स्वार्थ को साधने में सफल रहती है। और चुनाव आयोग मुख दर्शक बना रह जाता है। भारत की चुनावी राजनीति भारत के मूल संस्कृति को आहत कर पश्चिमी संस्कृति के तौर तरीकों को अपनाकर शासक की कुर्सी तक का सफर तय करती है।

#### **B-2-भारतीय चुनाव में जाति और धर्म की प्रबलता:-**

भारतीय संस्कृति सारे विश्व को एक परिवार मानते हुए समस्त प्राणियों के प्रति कल्याण, सुख एवं आरोग्य की कामना करती है। वहीं चुनाव आते ही जाति धर्म में वह बट कर स्वार्थ साधक समीकरण को तैयार करने में अपनी मूल संस्कृति से विचलित होकर अपने स्वार्थ की संस्कृति को अपनाकर आम जन को भरमा कर अपना स्वार्थ साधने में लग जाते हैं। आज विगत कुछ दशकों से जातीय समीकरण एवं धर्म की प्रबलता चुनाव पर हावी रहा है। जिसके चलते मानव से मानव वैमनस्यता उत्पन्न

हो रही है। जो की हमारी मूल संस्कृति को नष्ट कर रही है।

#### **B-3-भारतीय चुनाव में नैतिकता का लोप:-**

भारतीय चुनाव में पार्टियों और आमजन का संबंध स्वार्थ परक होकर रह गया है। जनता भी प्रतिनिधि को उसी नजर से देखती है, कि आए हैं तो अपना काम करा लें अन्यथा 5 वर्ष तक दर्शन दुर्लभ हो जाएगा प्रतिनिधि भी इसी भाव में रहता है, जिससे दोनों का नैतिक पतन हो रहा है। क्रय विक्रय की मानसिकता जन्म ले रही है। लोकतांत्रिक व्यवस्था की नईया विश्वास को खो रही है, और मुट्टी भर लोग शासन की बागडोर संभाल कर एन केन प्रकारेण कुर्सी पर हमेशा के लिए बने रहना पसंद कर रहे हैं। जिसके बदौलत नैतिकता का लोप हो रहा है, जो हमारे संस्कृति का अभिन्न अंग है।

#### **B-4-राजनीतिक अपराधीकरण:-**

राजनीतिक अपराधीकरण मुख्य रूप से राजनेताओं और अपराधियों के बीच सांठ-गांठ के कारण जन्म लेता है। इसका अर्थ राजनीति में अपराधियों की बढ़ती भागीदारी से है, जिसमें अपराधी चुनाव लड़ सकते हैं और संसद तथा राज्य विधायिका के सदस्य के रूप में चुने जा सकते हैं। एक आंकड़े पर ध्यान दिया जाए तो 1 दिसंबर 2021 तक देश भर की विभिन्न अदालतों में विधायकों से जुड़े कुल 4,984 अपराधिक मामले लंबित पड़े हुए हैं, कुछ तो अदालत के चौखट पर पहुंचने के पहले ही दम तोड़ देते हैं। ये सभी चीजें हमें विस्मित करते हैं, कि क्या हम उस देश के वासी हैं जिस देश में सीवी दधीचि जैसे त्यागमूर्ति ने जन्म लिया और दूसरों की भलाई के लिए अपने शरीर का त्याग किया वही आज के नेता अपने स्वार्थ साधने के लिए कोई भी अपराध करने को आतुर है। 2019 के एक आंकड़े पर ध्यान देते हैं तो पाते हैं कि अपराधिक मामले वाले उम्मीदवार में जीतने की संभावना 15.5 फीसदी थी जबकि साफ-सुथरी पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवार के लिए यह महज 4.7 फीसदी थी।

#### **B-5-राजनेता नौकरशाह और अपराधियों का गठजोड़:-**

लालफीताशाही तथा सरकार व प्रशासन में भ्रष्टाचार की समस्या के कारण नौकरशाहों, राजनेताओं, पुलिस अधिकारियों, अपराधियों और कारपोरेट के बीच एक गठजोड़ विकसित हो चुका है। तभी जो अपराधी पुलिस के भय से भागे भागे फिरते थे वह राजनेता बन कर पुलिस को पीछे पीछे घुमाते हैं, यह गठजोड़ गंगा जमुना सरस्वती का संगम सा हो गया है, जिसमें स्नान करते ही

सब शुद्ध हो जा रहा हैं, और वह प्रशासन का अंग बनकर अब बड़े बड़े खजाने को लूट कर अपनी तिजोरी को भर रहे हैं, यह हमारी संस्कृतिक मानसिकता के विपरीत है, जो कि पाश्चात्य संस्कृति के धाराओं में बहा कर अपने को ओत-पोत कर रही है।

#### **B-6-चुनाव आयोग की अक्षमता:-**

चुनाव आयोग के अधीनस्थ सभी चुनाव संपन्न होते हैं। यद्यपि चुनाव आयोग नामांकन के समय नामांकन पत्र जमा करते समय उम्मीदवारों से अपराध अदालत में लंबित मामलों, शैक्षिक योग्यता, उम्मीदवारों के चुनावी खर्च एवं संपत्ति का विवरण तो लेता है, तथापि उम्मीदवार कई बार गलत जानकारी देते हैं, परंतु चुनाव आयोग इस जानकारी पर उनके विरुद्ध किसी भी प्रकार की कार्यवाही को करने में उसका हाथ पैर बंधा हुआ है, या यूं कहें कि कार्यवाही करने में चुनाव आयोग असमर्थ है। यहां पर हमारी संस्कृति की संस्कारिता का पतन हो रहा है।

#### **B-7-चुनावी प्रलोभन:-**

हमारी संस्कृति हमें त्याग एवं प्रेम सिखाती हैं उसके विपरीत चुनाव में मतदाताओं को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए प्रतिनिधि एक से बढ़कर एक प्रलोभन देते हैं, तथा चुनाव प्रचार से जाति धर्म एवं अज्ञात भय को दिखाकर मतदाताओं में आपसी फूट डालकर प्रेम रूपी संस्कृति को तार-तार कर के अपने स्वार्थ को साधते हैं। इसका जीता जागता उदाहरण बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में देखने को मिलता है जहां एक पार्टी 1000000 नौकरियों का प्रलोभन देती है, वहीं दूसरी पार्टी 2000000 का प्रलोभन देकर सत्ता में काबिज हो जाती है।

#### **B-8-दल बदल की बढ़ती प्रवृत्ति:-**

कभी हमारी संस्कृति का उदाहरण त्रेता युग के चौपाई के अनुसार थी "रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई।" पर आज चुनावी राजनीति कहें या सत्ता का लोलुपता जो कि हर कार्य करने को मजबूर कर देती है। चाहे जनता का दिल हो या पवित्र गठबंधन या पाला बदलने की प्रवृत्ति विगत कुछ दशकों से बिहार इसी का सामना कर रहा है। आज उपरोक्त चौपाई के विपरीत राजनेताओं की चौपाई हैं

**"चुनावी राजनीति सदा चली आई, वचन जाए पर कुर्सी न जायी"**

आज की चुनावी राजनीति में जनता मूकदर्शक बनकर रह गई है। अपना मत देने के बाद 5 सालों में सारे दल

आपस में तालमेल करके सत्ता का रसास्वादन करते हैं। आज विधानसभा लोकसभा सभी जगहों पर दलबदल की प्रवृत्ति अपने प्रबल स्वरूप में आकर खड़ी हो गई हैं, जो कि हमारे मूल भावनाओं को आहत कर रही है।

#### **B-9-चुनाव में धन बल तथा बाहुबल का प्रयोग:-**

त्याग एवं योग्यता की प्राथमिकता वाली पावन भूमि धन बल तथा बाहुबल की रक्तरंजित धारा में लाल हो रही है। सत्ता लोलुप लोग एन केन कारण से हमेशा सत्ता में बने रहना चाहते हैं। इसके लिए वे चुनाव में मतदाताओं को प्रलोभित करने के लिए धन बल का प्रयोग करते हैं, जब उससे उनकी साधना पूरी नहीं होती नजर आती हैं, तो वह बाहुबल का प्रयोग करके मतदाताओं में भय उत्पन्न करके अपना स्वार्थ साधन करते हैं। स्वार्थ की प्रवृत्ति हमारी मूल संस्कृति को नष्ट करती है। जहां हमारी संस्कृति कमजोर असहाय को मदद करने की सीख देती है, वहीं चुनाव में भय एवं लालच का शिकार बनते नजर आ रहे हैं।

#### **B-10-पार्टी में लोकतंत्र का अभाव:-**

हमारा देश समृद्ध संस्कृति का घोटक है। जिसमें लोकतांत्रिक अनुशासनात्मक प्रक्रिया की बहुलता की प्रवृत्ति विद्वान है, लेकिन हमारे देश के पार्टियों में लोकतंत्र की कमी है। यहां पर पार्टी के शीर्ष नेतृत्व चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों पर निर्णय लेता है, इस प्रकार से जमीनी अस्तर के कार्यकर्ता संगठन के कार्य प्रणाली से दूर हो जाते हैं, और संगठन में आपराधिक रिकार्ड वाले राजनेता का प्रभाव ज्यादा हो जाता है, तथा संगठन के शीर्ष नेतृत्व चयन में आपराधिक तत्वों को प्राथमिकता देते हैं। साथ ही पार्टी में लोकतंत्र के अभाव से वंशवाद भाई भतीजावाद का जन्म होता है जो योग्यता एवं अयोग्यता से परे होकर संगठन का नेतृत्व करता है, तथा योग्य व्यक्ति कुंठित होता रह जाता है।

#### **C-निष्कर्ष:-**

कोई ऐसा समय था जब भारतवर्ष विश्व गुरु के उपाधि से सम्मानित होता था। मगर आज अपने संस्कृति से परे होते जा रहा है, हमारे देश में कभी भी एक संस्कृति पूर्ण रूप से व्याप्त नहीं रही, और ना ही शायद किसी बड़े प्रदेश में कभी एक ही संस्कृति रही है। हमारे देश में आध्यात्मिक संस्कृति की प्रबलता रही है, फिर भी हमारे देश में तमाम विदरभियों के आघात के उपरांत भी मूल संस्कृति कायम रही, लेकिन हमारे देश के चुनावी राजनीति ने मूल संस्कृति को विखंडित कर के रख दी है।

आवश्यकता है चुनावी राजनीति पर एक सख्त कानून तथा इसे क्रियान्वयन करने एवं सख्ती से पालन करने की इच्छा शक्ति की तभी हमारी संस्कृति की मूल भावना में मानवता फल फूल सकती है। और पुनः विश्व गुरु का ताज भारत माता के सर की शोभा बढ़ा सकती है।

#### **D-संदर्भ ग्रंथ सूची**

- 1-कल्याण पत्रिका गीता प्रेस गोरखपुर
- 2-दैनिक समाचार पत्र
- 3-हिंदुस्तान समाचार पत्र
- 4-प्रतियोगिता दर्पण पत्रिका
- 5-दैनिक भास्कर समाचार पत्र
- 6-दृष्टि आईएस का लेख
- 7-शर्मा मुंशीराम, वैदिक संस्कृति और सभ्यता, पृष्ठ 49
- 8-उपाध्याय बलदेव, भारतीय दर्शन, पृष्ठ 3
- 9-उपाध्याय बलदेव, पुराण विमर्श, पृष्ठ 3
- 10-भारतीय राजनीति में धान और अपराध की बढ़ती धमक “महासंग्राम लोकसभा चुनाव” राजस्थान पत्रिका , 22 मई 2019 पृष्ठ संख्या 9
- 11-राजनीति में बढ़ता अपराधीकरण लोकसभा और राज्यसभा टीवी डिबेट 18 फरवरी 2020
- 12-दिनकर रामधारी सिंह, संस्कृति के चार अध्याय, पृष्ठ 652
- 13-गुलाब राय, भारतीय संस्कृति , पृष्ठ 4
- 14 साक्षात्कार
- 14-1- अवधेश प्रसाद शोधार्थी सहायक प्राचार्य एमवी कॉलेज बक्सर
- 14-2-अजय चौधरी शोधार्थी राजनीति विज्ञान
- 14-3-दयानंद ओझा अध्यापक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय
- 14-4-विष्णु शंकर तिवारी शोधार्थी अध्यापक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय आरा
- 14-5-सुरेंद्र मिश्रा अधिवक्ता ग्राम प्रसौन्डा

## रोहतास जिला में कृषि विकास की समस्याएं एवं समाधान का सिंहावलोकन

अनिल कुमार सिंह

भूगोल विभाग वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय आरा भोजपुर बिहार

DOI- 10.5281/zenodo.7431455

### सारांश:-

हमारा भारत देश कृषि प्रधान देश है जहां की लगभग 80% आबादी गांव में निवास करती हैं एवं कृषि कार्यों से ही अपने जीविकोपार्जन का साधन तैयार करती है बिहार राज्य का रोहतास जिला कृषि के युग में चावल के कटोरे से संबोधित किया जाता बिहार कृषि विश्वविद्यालय में पराली प्रबंधन के रोहतास मॉडल को पूरे राज्य में लागू करने का निर्णय लिया कृषि विज्ञान केंद्र रोहतास के इस पराली प्रबंधन मॉडल को मई 2021 में एग्रीकल्चर अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है जैसे जिले में भी कृषि के विकास में समस्याएं उत्पन्न होना कहीं न कहीं हमारे राज्य व्यवस्था की लापरवाही को इंगित करता है जिसकी प्रभावी नीतियों का अभाव दृष्टिगोचर होता है हम उन कारकों को जानने का प्रयास करेंगे कि किन कारणों से हमारे युवा किसी से विमुक्त नौकरी को प्राथमिकता पर रखते हैं तथा आम जनों का कृषि कार्यों से मोहभंग क्यों हो रहा है साथ ही यह जानने का प्रयास किया जाएगा कि वह कौन सी व्यवस्था हैं जिस को लागू करने से पूर्व कृषि विकास से हमारा देश सोने की चिड़िया से अलंकृत हो सके समस्याओं इन समस्याओं को जानने के लिए पत्र-पत्रिकाओं समाचार पत्रों एवं आम जनों से साक्षात्कार करके इस लेख को पूरा किया जाएगा

**की वर्ल्ड:-** कृषि विकास उत्पादक प्राकृतिक संसाधन सुविधाएं आदि

### 1-रोहतास जिला का इतिहास:-

भारत देश के राज्य बिहार का 38 में से 1 जिला रोहतास हैं जो कि शाहाबाद प्रमंडल का अभीष्ट अंग है इतिहास के आईने में देखने पर पाते हैं कि इसका नामांकन सचिव की राजा हरिश्चंद्र के पुत्र रोहित के नाम पर हुआ था तथा वर्तमान में यह पूर्ण जिला हैं जो कभी शाहाबाद का एक अंग था जो 1972 में पृथक जिला का स्वरूप धारण कर लिया पुरातन काल से ही रोहतास कृषि विकास में अपना प्रमुख योगदान छोड़ता रहा जिसके बदौलत ही एक समृद्ध एवं हरा-भरा क्षेत्र बिहार के लिए नजीर साबित होता रहा है बाल्मीकि रामायण के बालकांड के अनुसार सिद्धाश्रम कैमूर की तलहटी में स्थित सहसरा में था जहां पर महर्षि कश्यप और पत्नी अदिति के गर्भ से वामन अवतार हुआ था

इतिहासकार डॉ श्याम सुंदर तिवारी के अनुसार यहां से शशांक देव की मुहर का सांचा भी मिला था। कालांतर में इस पर खरवार वंश के क्षत्रियों का शासन रहा बाद में अफगान शासक शेरशाह सूरी और उसके बाद जगदीशपुर के राजा वीर कुंवर सिंह का शासन था जो कि जमींदारी का एक समृद्ध साली इतिहास प्रकट किया ब्रिटिश काल में जो जल एवं नहरों का जाल बिछा हुआ था जिसका उपयोग अंग्रेज वहां आवागमन के लिए करते थे उन्हीं के काल में नारों का भी विकास हुआ जो कि आवागमन के साथ-साथ कृषि कार्य में उपयोग होता था जो कि आज भी वहां कृषि में सिंचाई हेतु नारों का उपयोग किया जाता है



## 2-रोहतास की भौगोलिक स्थिति:-

क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो रोहतास जिला का क्षेत्रफल 3851 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है इसे बिहार का चौथा सबसे बड़ा जिला होने का ताल मिला हुआ है रोहतास जिले को दो प्रमुख प्राकृतिक क्षेत्रों में विभक्त किया जा सकता है उत्तर और उत्तर पूर्व में सासाराम का मैदान जो कि एक जलोढ़ मैदान हैं जो उत्तर पूर्व की ओर धीरे-धीरे नीचे की ओर झुका हुआ है इसकी औसत ऊंचाई समुद्र तल से 72 मीटर से लेकर दक्षिण में समुद्र तल से 153 मीटर तक हैं मैदानी इलाकों में दिनारा दावत विक्रमगंज डेहरी ब्लॉक नोखा नासरीगंज के साथ-साथ शिवसागर सासाराम रोहतास ब्लॉक के कुछ हिस्से भी शामिल है सासाराम ब्लॉक के पूर्व दिशा में बिखरे हुए जंगल हैं जिले के दक्षिण भाग में रोहतास का पठार हैं जो कि विंध्य पठार का पूर्वी छोर है समुद्र तल से ऊंचाई 300 मीटर, इसके कुछ क्षेत्र पहाड़ी है जिसमें जंगल भी हैं दुर्गावती बाजारी कोयल और सुरा रोहतास का पठार असमान चट्टानी और बजरी वाली मिट्टी के साथ-साथ वनों के कारण कृषि के लिए कम उपयुक्त है। पूरे रोहतास जिले में मिट्टी को आमतौर पर इंस्टॉल पर्स वॉच लेटेस्ट और थिएटर प्रो लेटेस्ट और टैबलेट के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

## 3-रोहतास जिले की अर्थव्यवस्था:-

रोहतास जिले की अर्थव्यवस्था सामान्यता कृषि पर आधारित हैं यहां की उपजाऊ भूमि से धान गेहूं और दाल प्रमुख फसलें निकाली जाती है रोहतास जिले को बिहार का धान का कटोरा कहा जाता है डालमियानगर में रोहतास जिले का योगिक केंद्र हैं जो कि अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाती है।

## 4-1-ग्रामीण शहरी विभाजन:-

महात्मा गांधी जी करते थे कि भारत के गांव में देवताओं का मांस तथा शहरों में मानव का लेकिन देवताओं की विडंबना देखें कि वह मानव बनने के लिए शहरों के तरफ रुख कर रहे हैं वाह सरो से सटे सभी गांव अपने आप को सही ठहरा में बदल चुके हैं जिससे उनकी कृषि योग्य भूमि शहरीकरण का शिकार हो गई करगहर निवासी चंद्रमा सिंह के कचनानुसार साड़ी आय की वृद्धि दर तीव्र गति से वृद्धि कर रही है तथा उसके मुकाबले ग्रामीण आय की वृद्धि धीमी गति में है या यूं कहें कि ग्रामीण आए इस निर्माण ही है इसके चलते ग्रामीण लोग शहरी विभाजन के शिकार हो रहे हैं। शहर की चकाचौंध गांव को खतरे में डाल रखा है इसी चकाचौंध ने कृषि योग्य भूमि का शहरीकरण किया है।

## 4-2-कृषि में निवेश का अभाव:-

कृषि के क्षेत्र में युवा पीढ़ी निवेश करने से मुंहमोडती नजर आ रही है तथा अन्य व्यवसायिक औद्योगिक क्षेत्रों में निवेश करने के लिए हमेशा उत्सुक रहती है जिसके कारण कृषि की विकास की गति धीमी पड़ गई दीनानाथ सिंह ओटाराम बैरागी पाल हरी प्रसाद सिंह तथा ददन सेठ से इस विषय में चर्चा करने पर पाया गया कि शहरों के मकानों एवं व्यवसायियों में जो निवेश होता है उसकी विकास गति कृषि में निवेश करने के विकास की गति से कई गुना लाभप्रद लोग कृषि में निवेश करने के बजाय अन्य उद्योगों मकानों व्यवसाय में निवेश करना ज्यादा सुविधाजनक एवं सुरक्षित समझते हैं अतः लोग कृषि में निवेश करना उचित नहीं समझते हैं क्योंकि इसकी वापसी हमेशा संध्या आत्मक रहता है कभी मानसून के नाम पर कभी नहरों में जलना आने के कारणों पर

## 4-3-प्रभावी नीतियों का अभाव:-

हमारे यहां कृषि से संबंधित समस्याओं को हल करने के लिए सरकारों द्वारा किए गए कई प्रयासों के बावजूद हमारे यहां की सुसंगत कृषि नीति नहीं हमारे यहां कृषि में स्थिरता और उत्पादकता में वृद्धि के मुद्दे को लेकर एक सुसंगत कृषि नीति पर एक व्यापक समझौता की आवश्यकता है

राजनीतिक और आर्थिक दोनों ही कारणों से पिछले कुछ दशकों से व्यापक आधार पर कृषि कार्यों की उपेक्षा की गई है इसको देश एवं राज्य स्तर पर दृष्टिपात करने से पाते हैं कि विगत शताब्दी के उत्तरार्ध में स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद हमारे देश की तरह अधिकांश विकासशील देशों ने अपने कृषि क्षेत्र के संरचनात्मक विकास को नजरअंदाज किया है जिसके फलस्वरूप आज तक कृषि विकास के क्षेत्र में प्रभावी नीतियां नहीं आ पाई है।

#### **4-4-प्राकृतिक संसाधनों के सही उपयोग का अभाव:-**

हमारे यहां या अन्यत्र भी कृषि मानसून पर आधारित है प्राकृतिक है इसका मूल स्रोत जिसका समय से ना आना और सबसे कम होना और सबसे ज्यादा होना तथा इसको आगे तक संरक्षित रख पाने में हमारे संत संसाधन पर्याप्त नहीं हैं या यूं कहें कि नहीं सरकार नहीं हम लोग इस पर अपनी पकड़ बनाने में समर्थ कृषि कार्य पूर्णरूपेण प्राकृतिक संसाधनों पर ही आश्रित हैं जिसका उपयोग हमें उसके अनुकूल परिस्थिति में नहीं कर पाते हैं नारों का उपयोग करते हैं वह भी पर्याप्त रूप में होना संभव नजर नहीं आता कारण नहर के निकट वाले को जो सुविधा व जल प्राप्त होता है वह दूर वाले को नहीं हो पाता

#### **4-5-कीमतों पर अत्यधिक हस्तक्षेप:-**

हमारे देश में मूल्य नियंत्रण पर कई प्रकार के प्रतिबंध लगे हुए उन प्रतिबंधों को कृषि से मुक्त करना चाहिए इसके अलावा और कीमतों कृषि उत्पादों के आंदोलन पर प्रतिबंध और वैश्विक बाजारों तक पहुंच की कमी के कारण इस क्षेत्र में वाणिज्यिक जोखिमों को लेकर कुछ सुधारात्मक उपायों को लागू करने की आवश्यकता है कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि इस संकट का समाधान राज्य नियंत्रण की व्यवस्था को खत्म करने से कुछ हद तक हो सकता है एक साक्षात्कार में भाग लेने वाले बिदेश्वरी प्रसाद सिंह अहमद अंसारी रामेश्वर सिंह एवं पुरुषोत्तम प्रसाद गुप्ता की माने तो कृषि की उपज की कीमतों पर से सरकार को अपना नियंत्रण नहीं रखना चाहिए या किसानों की अपनी इच्छा पर छोड़ देनी चाहिए।

**4-5-सिंचाई सुविधाएं:-रोहतास जिला में अंग्रेजी काल से सिंचाई के लिए जल पार्क एवं नेहरू का उपयोग होता आ रहा है कुछ कमियों को नजरअंदाज कर दिया जाए तो सिंचाई का साधन पर्याप्त है बस इसके क्रियान्वयन पर ध्यान देने की आवश्यकता है कि समय पर नाहर में पर्याप्त जल मिलता रहे जिससे कृषि कार्य में बाधा ना आए।**

#### **4-6-शुष्क उर्वरक उद्योग:-**

रोहतास क्या पूरे देश में पिछले 15 वर्षों में उर्वरक क्षेत्र के अंतर्गत कोई निवेश नहीं हुआ है कुछ यूरिया निर्माता भी अपने सरकार को गिराने के विषय में गंभीरता से विचार कर रहे हैं यदि दुनिया की बात की जाए तो दुनिया में उर्वरक के मांग के अनुसार सबसे अधिक उत्पादन भारत में होता है लेकिन आजकल निर्यात के बजाय आयात दिनों दिन बढ़ता जा रहा है उत्पादन काफी हद तक स्थिर बना हुआ है।

#### **4-7-मानसून पर निर्भरता:-**

संभवतः ग्रामीण अर्थव्यवस्था मानसून पर ही आश्रित चाहे वह क्षेत्र सिंचित हो या बीज बोने का पैटर्न हमेशा उस क्षेत्र के मानसून पर निर्धारित होता है खराब मानसून के कारण खेती पर बुरा असर पड़ता है और किसान को बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ता है ऐसी ही स्थिति खरीफ फसलों के उत्पादन और उपज में उत्पन्न होती है

#### **4-8-किसान उत्पादक संगठनों की अक्षमता:-**

हमारे यहां किसान उत्पादक संगठनों एफपीओ को मजबूत किया जाना चाहिए क्या छोटे और सीमांत किसान 12 से लाभान्वित हो रहे हैं या नहीं इस मुद्दे पर विशेष ध्यान देना चाहिए एफ पी ओ एस द्वारा दूध सहकारी समितियों से सबक सिखाना चाहिए मूल्य श्रृंखलाओं के विकास के लिए कमोडिटी विशिष्ट ऐप को प्रोत्साहन दिया जा सकता है उदाहरण स्वरूप दालों के लिए एक बड़े पैमाने पर विकसित किए जा सकते हैं

#### **5-समाधान:-**

**5-1-किसानों को समय पर तकनीकी की जानकारी उपलब्ध कराना चाहिए**

**5-2-कृषि विभाग में अधिकारियों की कमी को पूर्ति करना चाहिए**

**5-3-सिंचाई नहरों में समय पर जल की उपलब्धता स्थापित करना चाहिए**

**5-4-कृषि क्षेत्र में निजी निवेश को भी प्रोत्साहन किया जाना चाहिए**

**5-5-कृषि में अनुसंधान और विकास पर खर्च को सकल घरेलू उत्पादन के लगभग 0 दशमलव 40% से बढ़ाकर 1% किया जाना चाहिए**

**5-6-समय-समय पर मिट्टी की गुणवत्ता की जांच करना चाहिए**

**5-7-कृषि क्षेत्र समावेशी विकास के लिए एक महत्वपूर्ण खंड और अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन प्रदान करता है खासकर तब जब अर्थव्यवस्था अच्छा प्रदर्शन न कर रही हो**

#### **6-निष्कर्ष:-**

कृषि के विकास के लिए रोहतास की धरती सर्वथा अनुकूल है। कुछ सुधारों के साथ इस धान के कटोरे की मर्यादा हमेशा के लिए बरकरार रखा जा सकता है, जब वहां पर कृषि पदाधिकारियों की कमी को दूर किया जाए तथा वहां पर समय अंतराल अवधि में मिट्टी का जांच एवं कृषि क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा दिया जाए तथा समय-समय पर किसानों को तकनीकी ज्ञान दिया जाय एवं कृषि में निवेश के लिए आम जनों एवं संगठनों को प्रोत्साहित किया जाना कृषि विकास गति को गतिमान बनाने में सहायक हो सकते हैं।

#### **7-संदर्भ ग्रंथ सूची**

1-रोहतास जिला का वेबसाइट

2-दैनिक जागरण समाचार पत्र

3-दृष्टि आईएस का लेख

4-हिंदुस्तान समाचार पत्र

5- दैनिक भास्कर समाचार पत्र

6-सोशल मीडिया

7-बिहार कृषि विभाग का वेबसाइट

8-यूट्यूब

9-बाल्मीकि रामायण

10-साक्षात्कार

11-विदेश्वरी प्रसाद सिंह पिता बंशरोपन सिंह

- 12-अहमद अंसारी पिता रसूल अंसारी
- 13-श्री रामेश्वर सिंह पिता श्री गुरु चरण सिंह
- 14-श्री पुरुषोत्तम प्रसाद शाह पिता अक्षैवर शाह
- 15-श्री चंद्रमा सिंह पिता राम नारायण सिंह
- 16-श्री दीनानाथ सिंह पिता रामदयाल सिंह
- 17-ओटर राम पिता स्वर्गीय राम नरेश राम
- 18-बैरागी पाल पिता गिरधारी पाल
- 19-ददन सेठ रामजन्म सेठ
- 20-हरिप्रसाद सिंह पिता रघुवीर सिंह

## पाली साहित्यातील सामाजिक विचारधारा

प्रा. डॉ. रेखा वानखडे

पाली- प्राकृत विभाग प्रमुख तक्षशिला महाविद्यालय, अमरावती

Email : [rekhawankhade440@gmail.com](mailto:rekhawankhade440@gmail.com)

DOI- 10.5281/zenodo.7431648

प्रस्तावना -

**भगवान बुद्धाचे जीवन :**

सिध्दार्थ गौतमाचा जन्म शाक्य कुळामध्ये इ.स. पूर्व ६ व्या शतकामध्ये झाला. त्यांचे पिता शुद्धोधन यांना शाक्यांचा राजा संबोधल्या जात होते. त्याच्या आईचे नाव मायादेवी जी सिध्दार्थाच्या जन्मानंतर एका आठवड्यामध्येच मरण पावली, नंतर सिध्दार्थाच्या पालनपोषणाची जबाबदारी मावशी प्रजापती गौतमीने स्विकारली. तरुण सिध्दार्थ हा सुरुवातीपासूनच विचार मग्न राहत असे, तो प्रज्ञा, शील, करुणाची मुर्ती जणू होता. त्याची प्रचिती त्याच्या बालपणातील विविध प्रसंगातून दिसून येते. सिध्दार्थाची विचार मग्नता पाहून, सिध्दार्थास संसारा पासून विरक्त पाहून, राजा शुद्धोधन चिंतामग्न असे, त्याचा पूत्र देखील साधूंच्या सहवासामध्ये येवून घर सोडून जाऊ नये याकरीता राजा शुद्धोधनाने अनेक उपाय योजले होते. त्यामधील एक उपाय शेजारील कोलीय गणची सुंदरी कन्या यशोधराशी सिध्दार्थ गौतमाचा विवाह करून दिला. सिध्दार्थ अधिक काही दिवस थांबला, त्याला एक पुत्र झाला. ज्याला त्यांनी त्यांच्या उठत्या विचारांना चंद्रमाला ग्रासनारा राहू समजून त्याला राहूल नाव दिले. सिध्दार्थाने वृद्ध, रोगी, मृतव्यक्ती, संन्याशी पाहले व शाक्य-कोलीयांच्या मध्ये रोहिणी नदीच्या पाण्याच्या वाट्याला प्रथम कुणी घ्यायचे यावरून उपस्थित झालेल्या युद्धाच्या परिणामास जाणून गृहत्याग केला. यानंतर सिध्दार्थ गौतमाने सहा वर्ष कठोर तपश्चर्या केली, आलार कालाम, उदकरामपुत्र सारख्या आचार्याजवळ विविध साधनेचा अभ्यास केला.

परंतु त्याला त्यातून समाधान प्राप्त झाले नाही. त्यांनी नंतर स्वतःचा श्वास जाणून घेण्याची साधना केली. जीला आनापान सती संबोधल्या जाते. स्मृती मध्ये अग्रेसर होऊन तो निरंतर साधनेचा अभ्यास करित राहिला, सर्व लक्ष साधने मध्ये लावले व मध्यमार्गाचा अविष्कार केला. त्याला बुद्धत्व प्राप्त झाले. त्यांनी आपल्या धम्माचा उपदेश सतत ४५ वर्ष पायी चालून विविध देशामध्ये केला. तत्कालीन समाज हा वैदिक संस्कृतीने प्रभावित होता. कर्मकांड, यज्ञामध्ये पशूबळी दिल्या जात होते, पशूबळीला स्वर्गप्राप्तीचे माध्यम मानीत होते. धर्म ग्रंथप्राप्ती, अंधविश्वास होता, नैतिकतेच्या दृष्टीने अंधकार होता, समाज चार वर्णामध्ये

विभक्त होता, बुद्धांनी या संपूर्ण अन्यायावर, अत्याचारावर, विषमतेवर आवाज उठविला व समतेचा पूरस्कार केला. भिक्षूसंघ स्थापन करून त्यांनी आपल्या भिक्षू संघामध्ये सर्वच वर्गातील, सर्वच वर्णातील व्यक्तिस प्रवेश दिला.

**भगवान बुद्धांच्या जीवनाचे दोन पैलू होते :**

१) वैयक्तिक २) सामाजिक

भगवान बुद्ध स्वतः मनुष्य आहेत. एक मार्गदर्शक आहेत. ते आपल्या धम्माचे शास्ता आहेत, ते स्पष्ट सांगतात मी उद्धारकर्ता नाही. हा त्यांच्या जीवनाचा प्रथम पैलू आहे. दुसरा सामाजिक म्हणजे त्यांनी आपल्या धर्मोपदेश हा बहुजनांच्या हिताकरिता, बहुजनांच्या सुखाकरिता दिलेला आहे.

तत्कालीन समाजातील चालीरीती, परंपरा यांच्या विरुद्ध त्यांनी विद्रोह केला प्रचलित, कुत्सित व हिंसक परंपरा यांच्या विरोधात त्यांनी कठोर सामाजिक व धार्मिक आंदोलनाच्या माध्यमातून नवीन चेतना जागृत केली व श्रमण संस्कृतिला लोकप्रिय बनविले. त्यांनी वर्ण व्यवस्था व जाती व्यवस्था विरुद्ध कार्य केले. गुलामगिरीची त्यांनी घृणा केली. ईश्वराचे अस्तित्व स्वीकारण्यात गुलामगिरी येते म्हणून ते विशुद्धिमग्न मध्ये म्हणतात.

**न हेतु देवो ब्रम्हा वा संसारस्सात्थिकारको ॥**

**सुध्दधम्मा पवत्तन्ति हे तुसम्भार पच्चया ॥**

**अर्थ :** जगचा कर्ता कोणी देव नाही तर हेतु प्रत्ययानुसार शुध्दधम्म प्रवर्तीत होत असतो, हे जाणले पाहिजे जेणे करुन माणसाच्या मनाला गुलामगिरीचे स्पर्श सुध्दा होणार नाही.

**सामाजिक सुधारणा विषयक कार्य :**

भगवान बुध्दांनी आपले कार्य सुरु केले तेव्हा सामाजिक परिस्थिती ही विविध विचारांच्या पगड्यांनी ग्रस्त होती. समाज चार वर्णांमध्ये फेऱ्या मारित खितपत पडला होता. शोषण करणारा व शोषित असा दोन वर्गांमध्ये समाज विभक्त होता. लोकांना सर्वच प्रकारचे व्यसन जडलेले होते. प्रियजातिकसुत्तातून आपणास जुगार खेळणाऱ्यांचा समुदाय दृष्टिस पडतो तर दूसरीकडे, पुत्राच्या मृत्यूने दुःखीत गृहस्थ विलाप करित दिसतो. एकंदरीत शारीरिक, मानसिक व दुर्गुणांनी मनुष्य दुःखी होता. यातून समाजास बाहेर काढण्याकरिता नितिमत्तेशिवाय पर्याय नाही, हे भगवान बुध्दांनी जाणले व आदेशापेक्षा आदर्श त्यांनी उपस्थित करुन दिला. त्यांनी स्वतः एक चांगले व विशुद्ध जीवन व्यतीत करुन सर्वांसाठी एक आदर्श प्रस्तुत केला. एवढ्यावरच न थांबता त्यांनी प्रत्येकच व्यक्तिस सदाचारी बनण्याचा उपदेश दिला. अत्त दिपो भवं ! (स्वयंम

प्रकाशित व्हा) चा संदेश देवून प्रत्येकाचा आत्मविश्वास जागा केला. सोबतच पंचशिल ग्रहण करण्याचा संदेश आपल्या भिक्षुंस दिला. सोबतच त्यांचा गृहस्थ उपासक वर्ग देखील मोठ्या संख्येने होता. त्यांना देखील बुध्दांनी काही नियम पाळण्यास संबोधले आहे.

**पंचशिल :**

१. पानातीपाता वेरमणी सिक्खापदं समादियामी (मी हिंसा करणार नाही)
२. अदिन्नदाना वेरमणी सिक्खापदं समादियामी (मी चोरी करणार नाही)
३. कामे सुमिच्छाचारा वेरमणी सिक्खापदं समादियामी (मी दुराचारापासून, काम वासनेपासून दुर राहिल)
४. मुसावादा वेरमणी सिक्खापदं समादियामी (मी खोटे बोलणार नाही.)
५. सुरामेरयमज्जपमादठ्ठाना वेरमणी सिक्खापदं समादियामी (मी मद्यपान करणार नाही)

हे पंचशिल गृहस्थकरिता होते तर यामध्ये अजून पाच वाढवून दहा शिल शिक्षूकरिता बुध्दांनी दिले होते. या शिलांची जणू आचारसंहिताच बनविली होती. त्यांचा सदाचरणी होण्यावर भर होता. सोबतच ते चांगला व्यक्ती होण्यास, पंचशिल पाळण्यास सांगतात व ते इतरांनाही सांगावे याचाही आग्रह धरतात. अशाप्रकारे भगवान बुध्दांनी सामाजिक स्वास्थासाठी चारित्र्य निर्मितीवर भर दिला. स्त्रियांच्या उध्दारासाठी देखील त्यांनी कार्य केले. त्यांनी वैदिक परंपरेला झुंगारुन, तत्त्वज्ञानाच्या पातळीवर, सामाजिक, सांस्कृतिक क्षेत्रामध्ये स्त्रीला समाजामध्ये समान दर्जा मिळवून दिला. तत्कालीन स्त्रियांचे मुख्य काम घरकाम होते, तर काही अभागी स्त्रियांना देह विक्रय किंवा नृत्य गायन करुन आपले जीवन यापन करावे लागत असे, अशा सर्वच

प्रकारच्या स्त्रीयांना जेव्हा भिक्षुणी संघामध्ये बुद्धांनी प्रवेश दिल्यामुळे भिक्षुणी संघामध्ये गणिकापासून नंतर मल्लिकाराणी पर्यंत सर्वच सामील वर्णातील वर्गातील स्त्रीया होत्या. त्या सुखी झाल्या व थेरिगाथा व ग्रंथामधून मोठ्या हर्ष उद्गार त्या गाथांना आपणास दिसतात. वासेस्तसुत्तामध्ये भगवान बुद्ध सांगतात की, मनुष्य विश्वामध्ये सर्वांकडे समान आहे. समान वर्णाचा, अंगाचा आहे. इतर प्राण्यांमध्ये मात्र भिन्नता आहे. त्यांनी स्पष्ट सांगितले की, मनुष्य कर्माने ब्राम्हण होतो, जन्माने नाही. धम्मपद ग्रंथामध्ये ब्राम्हण म्हणजे चित्ताचेक्लेश दूर झालेला सांगितले आहे. जाती प्रथेच्या विरुद्ध त्यांनी केवळ प्रचार न करता त्यांनी सर्वच वर्णातील लोकांना भिक्षुचा दर्जा दिला. सोबतच बुद्धांनी शेतकरी आणि मजूर यांना समान सामाजिक स्थान आणि प्रतिष्ठा मिळवून दिली. राजे -महाराजे यांनी धम्म स्वीकारल्यामुळे समाजामध्ये आपोआप समानता पसरली. ही क्रांती घडवून आणण्यास भगवान

**संदर्भ ग्रंथ :**

१. धम्मपद : स्वामी द्वारीकादास शास्त्री
२. विशुदीमग्न : स्वामी द्वारीकादास शास्त्री
३. भगवान बुद्ध आणि त्यांचा धम्म : डॉ.

भीमराव रा. आंबेडकर

४. माज्झिम-निकाय भाग -१-३ : राहुल सांकृत्यायन
५. थेरी गाथा : डॉ. विमल किर्ती
६. थेर गाथा : डॉ. विमल किर्ती
७. दिघानिकाय : स्वामी द्वारीकादास शास्त्री

बुद्धांच्या धम्माचा सिंहाचा वाटा आहे. बुद्धाचा धम्म सत्यावर आधारित असून तो वैज्ञानिकतेवर आधारित आहे. माणसास नितिमत्ता शिकवून सामाजिक बांधिलकी जपणारा आहे कारण बुद्धतत्वज्ञानाचा पायाच स्वातंत्र्य, समता, बंधुता व सामाजिक न्यायावर आधारीत आहे.

**निष्कर्ष :**

१. भगवान बुद्धांचा धर्मोपदेश नितीमूल्यांची शिकवण देणारा आहे.
२. मानवतावादी दृष्टीकोण निर्माण करणारा बुद्धविचार आहे.
३. मानवतावादाद्वारेच सुजन समाज निर्माण होऊ शकतो.
४. आज प्रत्येकास बुद्ध विचारांची आवश्यकता भासत आहे.
५. सत्याच्या कसोटीवर बुद्धविचार उतरलेला आहे.

## सतत विकास के दृष्टिकोण से सामुदायिक विकास में ग्राम सभा की भूमिका का अध्ययन

सचिन पाटीदार<sup>1</sup> डॉ. रश्मि जैन<sup>2</sup>

<sup>1</sup>शोधार्थी, समाज अध्ययनशाला, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर (म.प्र.)

<sup>2</sup>शोध निदेशक, समाज अध्ययनशाला, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर (म.प्र.)

DOI- 10.5281/zenodo.7431664

### सारांश-

यह अनुसंधान पत्र ग्राम सभा के माध्यम से सामुदायिक स्तर पर होने वाले विकास कार्यों पर आधारित वर्णनात्मक अनुसंधान पद्धति पर आधारित है। इस अनुसंधान का मुख्य उद्देश्य इस बात की चर्चा करना है कि सतत विकास के दृष्टिकोण से सामुदायिक स्तर पर ग्राम सभा के माध्यम से स्थानीय स्तर पर लोग किस प्रकार से योगदान दे रहे हैं। सतत सामुदायिक विकास में कौन-कौन सी बाधाएँ हैं और उनका समाधान किस प्रकार से किया जा सकता है। अध्ययन में ग्रामीण सामुदायिक विकास में स्थानीय स्तर पर सक्रियता, सहभागिता, समन्वय और सशक्तिकरण के संदर्भ में ग्राम सभा की भूमिका का वर्णन किया गया है। यह अनुसंधान स्थानीय स्वशासी की इकाई और सतत ग्रामीण सामुदायिक विकास के लिये ग्राम सभा को एक उपयोगी साधन के रूप प्रस्तुत करने के साथ ही अनुसंधान कर्ताओं, विशेषज्ञों, सामुदायिक विकास अभिकरण, शासन और प्रशासन, गैर शासकीय संगठनों के लिये एक उपयोगी होगा।

### अध्ययन की प्रासंगिकता -

“विकास” एक व्यापक अवधारणा है, जिसमें मनुष्य की उन्नति, कल्याण और बेहतर जीवन की इच्छाएं शामिल हैं। कोई भी समाज विकास के माध्यम से समाज की प्रगति के अपने दृष्टिकोण को प्रस्तुत करता है, यद्यपि विकास शब्द के इस अर्थ का प्रयोग आमतौर पर आर्थिक विकास दर में वृद्धि अथवा समाज के आधुनिकीकरण जैसे सीमित अर्थ तक ही सिमट कर रह गया है। भारत जैसे विशाल देश की कुल जनसंख्या का एक तिहाई भाग आज भी गाँवों में निवास करता है। भारत के स्वतंत्र होने से लेकर आज तक ग्रामीण क्षेत्रों के विकास को सुनिश्चित करने के लिये कई कदम उठाये गये जिनमें सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1953 से लेकर वर्तमान में चलाये जा रहे ग्राम स्वराज अभियान तक से प्रयास सम्मिलित है। और इसी कड़ी में 1992 में लाया गया संविधान का 73 वां संशोधन ग्रामीण स्वशासन को पंचायतों के पारम्परिक स्वरूप को आधुनिक बनाने, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के साथ साथ स्थानीय स्वशासन की इकाईयों को अनेक शक्तियों के साथ कार्य करने का दायित्व प्रदान करता है। जिस्मे ग्राम सभा को ग्राम स्तर पर होने वाले कार्यों के लिये नियोजन, निगरानी और कार्यों के निर्धारण सम्बंधित अनेक कार्य के लिये शक्तियाँ दी गयी हैं। सतत विकास की एक ऐसी स्थिति जो लम्बे समय तक के लिए बनी रहे। अब सवाल यह है कि यह इतना जरूरी क्यों है? यह भी समझना जरूरी है कि विकास की हमारी मौजूदा जरूरतें भविष्य को कितना फायदा या नुकसान पहुंचा रही हैं? बढ़ती आबादी, दिनों दिन बढ़ता शहरों का दायरा, खत्म होते जंगल और प्रकृति का सिमटता हुआ आंचल, पिछले चार-पांच दशकों में विकास बनाम विनाश की बहस तेज हुई है। एक तबका है जो शहरीकरण, कंक्रीट की सड़को, इमारतों, उद्योग और रफ्तार भरी जिंदगी को विकास का दर्जा देता है, लेकिन एक दूसरा तबका है, जो विकास की

अवधारणा को विनाश मानता है। इन लोगों का दावा है कि विकास की अंधी दौड़ हमारा भविष्य खतरे में डाल रही है। किंतु सतत विकास के लिये ग्राम सभा की भूमिका के सम्बंध में साम्प्रदायिक किये जाने वाले विकास कार्यों के कई सवाल किये जा सकते हैं-

क्या विकास की प्रक्रिया में क्या लोगों के अधिकारों का सम्मान किया जाता है?

क्या विकास के लाभ और दायित्वों का वितरण हुआ है? क्या विकास की प्राथमिकताओं के बारे में निर्णय लोकतांत्रिक तरीके से लिए गए हैं? इन सवालों के चलते ग्राम सभा के सम्बंध में अनुसंधान की आवश्यकता महसूस होती है।

### अनुसंधान के उद्देश्य-

1. ग्राम सभा में उपस्थित होने वाले सदस्यों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति का अध्ययन करना।
2. सामुदायिक विकास के लिए ग्राम सभा में लोगों की सहभागिता की स्थिति का अध्ययन करना।
3. सामुदायिक विकास के लिए ग्राम सभा के द्वारा किए गए कार्यों की स्थिति का अध्ययन करना।
4. सतत विकास के दृष्टिकोण से ग्राम सभा के समक्ष सामुदायिक विकास में आने वाली समस्याओं व चुनौतियों का अध्ययन करना।
5. सतत विकास के दृष्टिकोण से ग्राम सभा द्वारा सामुदायिक विकास के लिए किये जा कार्यों में समाज कार्य हस्तक्षेप की आवश्यकता व उपयोगिता का अध्ययन करना।

### अनुसंधान प्रविधि-

**अनुसंधान अभिकल्प -** उपरोक्त अनुसंधान हेतु वर्णनात्मक अनुसंधान अभिकल्प(Descriptive Research Design) का प्रयोग किया गया है,



**अध्ययन का समग्र-** अध्ययन के समग्र के रूप में मध्य प्रदेश के धार जिले की ग्राम पंचायतों की ग्राम सभाओं को सम्मिलित किया गया है।

**निदर्शन की इकाई-** प्रस्तावित अनुसंधान में ग्राम सभा के पात्र सदस्यों का चयन निदर्शन की इकाई के रूप में किया गया है।

**निदर्शन की पद्धति-** अध्ययन की प्रकृति और अध्ययन क्षेत्र की विविधता को ध्यान में रखते हुए बहुस्तरीय निदर्शन पद्धति का उपयोग किया गया-

अध्ययन क्षेत्र धार जिले की कुल 13 जनपद पंचायतों के अंतर्गत आने वाली पंचायतों में से प्रत्येक जनपद पंचायत से एक-एक ग्राम सभा का चयन लॉटरी विधि के द्वारा किया गया।

प्रत्येक ग्राम पंचायत से लगभग 30 उत्तरदाताओं का चयन उद्देश्य पूर्ण निदर्शन पद्धति का निदर्शन के द्वारा किया गया। प्रत्येक चयनित गांव को 5 भागों में विभाजित कर प्रत्येक भाग समानुपातिक निदर्शन से कुल 6 उत्तरदाताओं को चयनित किया गया, जिसमें 3 पुरुष और 3 महिला उत्तरदाता को चयनित किया गया। " सतत विकास अर्थात् विकास की एक ऐसी प्रक्रिया जो मौजूदा पीढ़ियों की आवश्यकताओं के साथ-साथ भविष्य की जरूरतों को भी ध्यान में रखती हो। "

**निष्कर्ष-**

1. अनुसंधान से ज्ञात होता है कि ग्रामीण परिवारों में 78.7% एकांकी परिवार, जबकि 15.03% उत्तरदाता संयुक्त परिवार से संबंधित है, जो कि यह दर्शाता है कि ग्रामीण पारिवारिक संरचना का आकार छोटा होता चला जा रहा है।
2. अनुसंधान से ज्ञात होता है कि अध्ययन क्षेत्र के अधिकतम जनसंख्या 38.21 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति से संबंधित है।
3. अनुसंधान में सम्मिलित अधिकतम उत्तर दाताओं की शैक्षणिक उपलब्धि का स्तर प्राथमिक है, जिसका प्रतिशत 35.38% है, जबकि न्यूनतम निर्भरता का प्रतिशत 2.28% है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है, ग्रामीण आबादी का एक बड़ा हिस्सा कम शिक्षित है।
4. अध्ययन से प्राप्त तथ्यों से ज्ञात होता है कि परिवार से संबंधित किसी भी सामाजिक आयोजन में 39.4% अधिकतम निर्णय मुखिया के द्वारा ही लिये जाते हैं, आर्थिक मामलों में भी लिए गए निर्णय में अधिकतम निर्णय का प्रतिशत मुखिया के द्वारा ही लिया जाता है, जो कि 44.7% है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि ग्रामीण परिवारों में आज भी ज्यादातर सामाजिक और

आर्थिक मामलों में घर के मुखिया की भूमिका मुख्य होती है।

5. अध्ययन से प्राप्त होता है कि कुल उत्तरदाता में से 48.21% लोग ग्राम सभा को पंचायत की बैठक के रूप में जानते हैं। जो लोगों के बीच ग्राम सभा की अवधारणा की सही जानकारी नहीं होने का संकेत देता है।

**सुझाव-**

1. समृद्ध, सुदृढ़ और आत्मनिर्भर समुदाय के निर्माण के लिए ग्राम सभा में अधिकतम लोगों की सहभागिता के लिए अधिक से अधिक जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया जाना चाहिए
2. ग्राम सभा की बैठकों में उपस्थित होने के लिए लोगों को विशेष प्रकार से प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, जिससे कि उनकी सूची सामुदायिक विकास के प्रति उनकी रुची बढ़ सके
3. ग्राम सभा का क्षेत्र के व्यापक होने के कारण इसका उपयोग सामुदायिक विकास के एक साधन के रूप में किया जाना चाहिए, जोकि न केवल पंचायती राज विभाग की योजनाओं को, बल्कि केंद्र एवं राज्य सरकार की सभी योजनाओं के क्रियान्वयन से संबंधित स्थानीय नियोजन, क्रियान्वयन, निरीक्षण एवं मूल्यांकन में जन सहयोग को बढ़ावा सकता है
4. ग्राम सभा की बैठक को सही ढंग से संचालित करने के लिए स्थानीय प्रशासन को प्रशिक्षित किए जाने की आवश्यकता है, जिससे कि वे इसके उद्देश्य के साथ-साथ सामुदायिक विकास को बढ़ावा दे सकें
5. ग्राम सभा स्थानीय स्तर पारदर्शिता को सुनिश्चित करने, विकास कार्यों को लक्षित समय पर पूर्ण करने एवं भ्रष्टाचार को रोकने के लिए भी ग्राम सभा एक सशक्त साधन के रूप में कार्य कर सकती हैं
6. स्थानीय स्तर पर सामुदायिक विकास को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न समितियों का निर्माण प्रथक प्रथक पर विषयों किया जाना चाहिए
7. पंचायत क्षेत्र में पाए जाने वाले प्रत्येक वार्ड के मुद्दों के समाधान के लिए और वार्ड सभा व महिला सभाओं का आयोजन किया जाना चाहिए
8. ग्राम सभा के माध्यम से तथा विकास के दृष्टिकोण से गरीबी उन्मूलन, भूखमरी निवारण, उत्तम स्वास्थ्य, स्वच्छ जल एवं स्वच्छता, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, महिलाओं का सशक्तिकरण एवं लैंगिक समानता, सस्ती और प्रदूषण मुक्त ऊर्जा, पर्यावरण एवं जैव विविधता संरक्षण जैसे मुद्दों के लिए जन जागरूकता, जन सहयोग के लिये स्थानीय समुदाय एवं लोगों में एक स्थाई दृष्टिकोण के विकास की आवश्यकता है, जिससे कि लोग न केवल इन मुद्दों के लिए

अपने विचार प्रकट करें, बल्कि व्यावहारिक रूप से व्यक्तिगत एवं सामाजिक स्तर पर अपना योगदान भी दें, जिससे कि एक संपूर्ण सशक्त और सुदृढ़ और स्थाई सतत समुदाय का निर्माण किया जा सके

#### संदर्भ ग्रंथ सूची-

1. Hunt, Diana.(1989), *Economic Theories of Development: An Analysis of Competing Paradigm*, Harvester Wheatsheaf, London,, p. 24;
2. Khan,Shadiullah.(2006) *Local Government and Participatory Rural Development: A Case Study of District Government in North-Western Pakistan*, Ph.D Dissertation, Gomal University,, pp. 14-15.
3. Seers, Dudley.(1975) "The Meaning of Development", *International Development Review*, Vol.2, No.6, 1969, pp. 2-6; Swedish Hammarskjold Foundation, "What Now, Another Development", *Special Issue of Development Dialogue*, Vol.1.,, p.7;
4. <https://world101.cfr.org/global-era-issues/development/what-development>
5. <https://www.sid-israel.org/en/Development-Issues/What-is-Development>
6. Corbridge, S. (ed.) (1995) *Development Studies a Reader*. London: Arnold.
7. Thomas, A. (2000) 'Development as practice in a liberal capitalist world', *Journal of International Development*, 12 (6): 773-787.
8. Thomas, A. (2004) *The Study of Development*. Paper prepared for DSA Annual Conference, 6 November, Church House, London.
9. Gore, C. (2000) 'The rise and fall of the Washington consensus as a paradigm for developing countries', *World Development*, 28 (5): 789-804
10. Meir, G. M. (1995), *Leading Issues in Economic Development*, Oxford University Press, Sixth Edition.
11. Sen, A.K. (1999), *Development as Freedom*, Anchor Books, New York.
12. Oxford English Dictionary. <http://oxforddictionaries.com>
13. Rabie M. (2016) Meaning of Sustainable Development. In: A Theory of Sustainable Sociocultural and Economic Development. Palgrave Macmillan, New York. [https://doi.org/10.1007/978-1-137-57952-2\\_3](https://doi.org/10.1007/978-1-137-57952-2_3)
14. [https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-1-137-57952-2\\_3](https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-1-137-57952-2_3)
15. Keiner, M.(2005). History, definition(s) and models of sustainable development Retrieved 15 september 2020 from <https://doi.org/10.3929/ethz-a-004995678>
16. Desai, A. R. (2009). Community development projects: A sociological analysis. In A. R. Desai (Ed.), *Rural Sociology in India*. Mumbai: Popular Parkashan.
17. <http://www.undp.org/content/dam/india/docs/DG/Governance%20in%20GP.pdf>
18. <http://legislative.gov.in/constitution-seventy-third-amendment-act-1992>
19. <https://in.one.un.org/sustainable-development-goal/>

## भारतीय प्रवासी समुदायों के सामने चुनौतियां और अवसर

यशवंत कुमार सिंह

शोधार्थी - स्नातकोत्तर भोजपुरी विभाग वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय, आरा  
ग्राम- सावना, पो०- गोरियाकोठी, जिला- सीवान (बिहार)

Email- [ojhaajay019@gmail.com](mailto:ojhaajay019@gmail.com)

DOI-10.5281/zenodo.7431682

भारतीय समुदायों के भिन्न-भिन्न देशों में भारतीयों की स्थिति अलग-अलग है। सर्वविदित है कि भोजपुरी भाषी इलाके के लोग मजदूरों के रूप में प्रवास पर गये। स्वभाविक रूप से उनकी स्थिति व्यापारी, शासक अथवा डॉक्टर, इंजीनियर के रूप में गये भारतीयों से भिन्न होगी। विदेश गये भोजपुरी इलाके के मजदूरों की स्थिति अथाह दुख से भरी है। इसे मॉरिशस के कवि वजेन्द्र भगत 'मधुकर' के निम्न पंक्तियों में सुना जा सकता है

सोनवा के लोभवा में देसवा विसरिले हो  
सोना सुन मरीचिया के नाम,  
सुन के कि पग-पग सोना सेर मिली  
करे के ना परी कवनों काम,  
खाय के मुफ्त मिली माखन, मिठाई मेवा  
पिये खातिर दुधवा बेदाम,  
नरम-नरम मिली सुते के गलइचा हो  
परी करी चाकरी सलाम,  
अइते मरिचिया से सोनवा सुदेहिया से  
बंधल गुलमिया जंजीर,  
खाई के त रात दिन लौर गारी, लात मिले  
पिये के नयनवा के नीर,  
माहुर माहुर भरल गोरवा के बतिया हो  
बिधले करेजवा के तीर,  
उखवा के खेतवा में गल गइले सोनवा के  
सोनवा समनवा सरीर।  
परती जमीनिया में उखवा उगाइके के  
सोनवा भरले खलिहान।  
लहुआ के बुंदवा से सिचले मरीचिया हो  
सोना नीयर कतने जवान।  
वीर नीयर काम कइले कुलियन के बांके लाल  
भारत के गरब गुमान।  
जेकरा कारन आज देसवा आजाद भइले  
चौरंगिया उड़े आसमान।१

किस प्रकार भारतीय समुदायों के मजदूरों को तरह-तरह का प्रलोभन देकर मॉरिशस ले जाया गया है और वहाँ जाने के बाद उन्हें किस तरह से अत्याचारों का सामना करना पड़ता है। वजेन्द्र भगत 'मधुकर' ने अपने इस गीत में सागों-पांग प्रस्तुत कर दिये हैं।

भारत से जो समुदाय प्रवास के लिए गया उसमें उत्तर भारत के बिहार, उत्तर प्रदेश राज्यों में ग्रामीण आबादी से भोजपुरी क्षेत्र के मजदूरों की

संख्या सबसे अधिक थी क्योंकि यहाँ के लोगों का जीविका का मूल आधार खेती थी। यहाँ उद्योग-धंधों की नित्यांत कमी थी। सन् १८३३ ई. में दास-प्रथा के उन्मूलन के पश्चात् यूरोपिय बगान मालिकों के श्रम मांग के आपूर्ति के लिए ब्रिटिश सरकार ने भारतीय मजदूर खास कर भोजपुरी क्षेत्र के मजदूरों को भारतीय-बंधुआ-मजदूर-प्रवासन-प्रथा ( दि इंडियन-इनडैचर्ड इमिग्रेशन सिस्टम ) के तहत सन् १८३४ ई. से भेजना शुरू किया। इनमें अधिकतर मजदूर, पिछड़ा वर्ग, दलित समुदाय, आदिवासी समूह तथा अन्य वर्ग से गरीब मजदूरों को शर्त बंद-प्रथा के तहत ले जाया गया। १८३४ ई. से १९२० ई. तक भारतीय शर्तबंदी बंधुआ-मजदूर अथवा कुली प्रथा या गिरमितिया प्रथा चला। उस समय भोजपुरी क्षेत्र से काफी मजदूर मॉरिशस, सूरीनाम, त्रिनिडाड, फिजी, गुयाना, सिंगापुर, दक्षिण अफ्रिका, युगांडा, वेस्ट इंडीज, नीदरलैंड गये। असल में इन देशों पर अंग्रेजों का ही शासन था। मॉरिशस, फिजी आदि देशों के मिट्टी और जलवायु ईश्वर की खेती के लिए उपयुक्त थी तूँकि भोजपुरी इलाके में ईश्वर की खेती होती थी। यहाँ के मजदूर ईश्वर की खेती करने में कुशल थे। रेजी-रोजगार के लिए भटकते मजदूरों को धोखे से हस्ताक्षर या ठेपा ले कर उन्हें मॉरिशस भेज दिया गया। यह सारा काम मजदूरों को रोजगार देने के लिए झूठा वादा कर के किया गया। हलाकि भारत में भी इन मजदूरों को कई तरह के कठिनाईयों का सामना करना पड़ता था। जिसमें बेरोजगारी, कृषि हेतु जमीन कम पड़ना, कृषि से खराब आमदनी, कम मजदूरी, मजदूरी के बदले वेतन नहीं के बराबर देना, मजदूरी समय पर नहीं देना इसके साथ

जात-धर्म, वर्ग-वर्ण में भेद-भाव तथा अन्य बहुत सारे कारण थे। भारतीय सामंती जमीनदारों के द्वारा सामाजिक-आर्थिक और शारीरिक उत्पीड़न से परेशान मजदूरों ने जीविका तथा प्रवासन के तलाश में कोलकाता, पंजाब, आसाम आदि शहरों में गये। इस बात केदारनाथ पाण्डेय अपने नाटक 'शुरुआत' में इस प्रकार व्यवत किये हैं - गाँवों के जमींदार सामंत के शोषण से बचने के लिए लोग शहर की ओर जाते। वहाँ वे उद्योग-धंधे या अन्य काम में लगते। पूंजीवाद का शोषण सूक्ष्म और जटिल था। जल्दी लोगों को समझ में नहीं आता।

अंग्रेजों के शासन काल में पहले कोलकाता राजधानी थी, जो उद्योग-धंधों या रेजी-रेजगार का केन्द्र था। कोलकाता में उद्योग के रूप में जूट मीलों की संख्या अधिक था। इन मीलों में भोजपुरी क्षेत्र के बहुत सारे मजदूर काम करते थे। वहाँ डग में मजदूरी तथा रेलवे स्टेशनों पर कुली का काम बहुत सारे मजदूर करते थे। उद्योग-धंधा, बंदरगाह तथा परिवहन एवं ट्रांसपोर्ट होने के वजह से अधिक रेजगार असाणी से मिल जाता था। कितने लोग ड्राइवर बन कर गाड़ी चलाना शुरू कर दिये। यह भी एक रेजगार का बहुत बड़ा हिस्सा बन गया। इसके अलावा कितने लोग घरेलू काम, दरबानी का काम, चमड़े का काम तथा गाड़ीवानी आदि काम करने लगे। कोलकाता के साथ असम और पंजाब में भी बिहार एवं उत्तर प्रदेश के भोजपुरी इलाके के बहुत सारे मजदूर जाते थे।

बिहार से १९१०-११ में बाहर जाने वाले श्रमिकों की संख्या ९०६११ थी, जो १९२१ में बढ़ कर १ लाख ७ हजार हो गई। बंगाल में १९२१ में काम करने वाले कुल श्रमिकों की संख्या ७३९,९२२ थी। कुल श्रमिकों में कुशल श्रमिकों की संख्या १८१,०७४ तथा अकुशल श्रमिकों की संख्या ५५८,४४८ थी। बंगाल में काम कर रहे बिहार, छोटानागपुर और उड़ीसा के श्रमिकों की संख्या ३४१,४३४ थी। २

अंग्रेजों ने पूरे देश की तरह भोजपुरी इलाके का भी अन-औद्योगिकरण किया। उस समय तक इस इलाके में कपास का कपड़ा कुटीर उद्योग के रूप में प्रचलित था। अंग्रेजों ने उन उद्योगों को धीरे-धीरे बंद करवा दिया। मजबूरन वहाँ के लोगों को रेजी-रेजगार के लिए कोलकाता, पंजाब, आसाम तथा अन्य जगहों पर जाना पड़ा। रेल

यात्रा होने से मजदूरों को कोलकाता जाना आसान था। इन भोजपुरी क्षेत्र के मजदूरों के बारे में राम नरेश त्रिपाठी कहते हैं-

“सन १९१४ ई. के आस-पास की बात है मैं जौनपुर से प्रयाग आ रहा था। एक स्टेशन पर कुछ स्त्रियाँ जो संभवतः अहीर या चमार जाति की थीं। कुछ मर्दों को जो कलकते जा रहे थे, पहुंचाने आई थी और रो रही थीं। ट्रेन स्त्रियों को रोती हुई छोड़ कर चल दी। कलकते जाने वाले मर्द संयोग से थर्ड क्लास के उसी डिब्बे में आ बैठे थे, जिसमें मैं था। उनके साथ दो-तीन स्त्रियाँ भी थी, जो अपने परदेशी पतियों के साथ या पास कलकते जा रही थीं। उसकी एक ही कड़ी मुझे याद है-

'रेलिया सवति मोर पिया लइके भागे।'

रेल की तुलना सौत से होती हुई सुन मैं रकायक चौक उठा। यह तो बिल्कुल नई उपमा है। ३  
उस समय प्रवासन काफी जोर पर था। देश-विदेश प्रवास के लिए लोग एक अवसर के भी रूप में जाते थे।

आज भी भारत के भोजपुरी इलाका भी कृषि पर आधारित है लेकिन यहाँ खेती करने के लिए प्रयाप्त सुविधा उपलब्ध नहीं होने के कारण किसान और मजदूर दोनों को खेती में काफी नुकसान होता है। जिसके वजह से किसान खेती करना धीरे-धीरे कम कर दिये हैं, इसका बहुत बड़ा प्रभाव मजदूरों के रेजगार पर पड़ा है। इस क्षेत्र से मजदूर पलायन करने पर मजबूर हो गए हलाकि सरकार 'महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रेजगार गारंटी योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्र के मजदूरों को रेजगार देने का प्रयास की परन्तु इस योजना के तहत मजदूरी न्यूनतम होने तथा नियमित रूप से नहीं होने के वजह से यह योजना मजदूरों को पलायन करने से नहीं रोक सका। यहाँ उद्योग-धंधा का नित्यांत कमी होने के कारण आज भी भोजपुरी इलाके के मजदूरों का दूसरे देश एवं विदेश जाना पड़ रहा है।

भोजपुरी क्षेत्र के भारतीय प्रवासी समुदाय के लिए मॉरिशस का आदर्श पेश किया जाता है। भारत के साथ आर्थिक व्यापार में मॉरिशस का आकड़ा सबसे आगे है। भारत में हुए पूंजी निवेश में मॉरिशस में अपना मुख्यालय खोले कम्पनियाँ सबसे आगे हैं। भारत में हुए एक समझौते के तहत मॉरिशस में अपने कम्पनी का कार्यालय

रखने वाले कम्पनीयों को दोहरे काराधान से मुक्त रखा गया है।

आजादी के बाद मॉरिशस में भारतीय मूल के लोग सत्तारूढ़ हैं। पक्ष और विपक्ष दोनों में भारतीय मूल का नेतृत्व है। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों भारतीय मूल के लोग होते आये हैं। इन सब के बावजूद भारतीय मूल के लोगों के सामने वहाँ अनेक चुनौतियाँ हैं। वहाँ अधिकांश सम्पत्ति फ्रांस की है। यह देश पहले इंग्लैंड और फिर बाद में फ्रांस का गुलाम रहा। फ्रांस से आजाद होते हुए समझौते में फ्रांसीसी भाषा को राज्यभाषा बनाये रखने और फ्रांस में निवेशित उद्योगपतियों की कम्पनीयों की सत्ता कायम है। इसी वजह से भारतीय मूल के लोगों के पास राजनैतिक सत्ता होने के बावजूद वे स्वतंत्र निर्णय नहीं ले पाते हैं।

मॉरिशस में भारतीय मजदूरों को कई तरह के प्रताड़ना का सामना करना पड़ता था। उन्हें तय समय से अधिक श्रम करना पड़ता था। उचित सुविधाएँ नहीं दी जाती थी। मजदूर अधिक काम करने के वजह से बीमार पड़ जाते तो उनका इलाज भी नहीं करवाया जाता था। इस तरह से मॉरिशस के जमींदारों ने भारतीय अप्रवासी मजदूरों पर काफी अत्याचार किये।

भारतीय अप्रवासन से पहले जहाँ चीनी उद्योग ने सन् १८३७ ई. के बाद कोई ढाई लाख टन चीनी तैयार करके दुनिया के मानचित्र पर मॉरिशस को प्रसिद्ध कर दिया था। ४

यह भारतीय समुदाय के प्रवासी मजदूरों के कठिन परिश्रम का ही देन था कि वहाँ के बंजर जमीन पर भी खेती कर अन उपजा दिये थे। फिर भी वहाँ के ब्रिटिश जमींदारों का अत्याचार रूकने का नाम ही नहीं लेता।

भारतीय मजदूरों के दुख से द्रवित होकर कुछ स्थानीय लोगों ने शर्त बंद प्रथा के विरुद्ध आवाज उठायी थी, जिसके फलस्वरूप मॉरिशस की सरकार अप्रवासियों की स्थिति की जाँच के लिए सन् १८३८ ई. में एक कमीशन की नियुक्ति की थी। जस्टिस आंडरसन ने जाँच के बाद जो प्रतिवेदन तैयार किया था, उससे शक के कोठी-मालिकों के अत्याचार का प्रदर्शाश हुआ था। इस प्रतिवेदन के छपते ही भारत सरकार सावधान हो गई और जब मॉरिशस के गोरे जमींदारों ने पुनः गये मजदूरों की मांग की तो भारत सरकार

ने अप्रवासन पर रोक लगा दी। यह रोक सन् १८३९ ई. से सन् १८४२ ई. तक जारी रही। ५

फिजी में भारतीय समुदाय की कथा सबसे अधिक दुखद है। फिजी में भारतीय मजदूर पहली बार सन् १८७९ ई. को शर्तबंध मजदूर के रूप में गये थे। उस समय फिजी अंग्रेजों के अधीन था। इधर भारत में भी अंग्रेजों का शासन था। भारतीय मजदूर हर तरह के काम करने में कुशल और मेहनती थे। यह देख फिजी गर्वनर सर आर्थर गॉडन भारत से मजदूरों को फिजी बुलवाया। वहाँ के भारतीय प्रवासी समुदाय को वहाँ के मूल निवासियों ने उत्पीड़ित कर के भगा दिया, पहली बार सन् १९८७ ई. और दूसरी सन् १९९० ई. में वहाँ के मूल निवासियों ने लोकतांत्रिकदम से चूनी हुई भारतीय मूल के नेतृत्व वाली सरकार को अपदस्थ कर दिया और भारतीय मूल के लोगों को दूसरे दर्जे का नागरिक बना दिया। जिसके फलस्वरूप भारतीय मूल के लोगों को फिजी छोड़ना पड़ा। इसके दुख भरी कहानी सुब्रमनी के उपन्यास 'डउका पुरान' में व्यवत है।

हलाकि फिजी दुख भरी जिन्दगी में भी आज भारतीय मूल के लोगों ने कुशल जीवन का अवसर ढुंढे हैं। ब्रिज. वी. लाल अपनी पुस्तक 'फिजी यात्रा आधी रात से आगे' में लिखते हैं- फिजी-भारतीय बच्चों के लिए, शिक्षा, सामाजिक परिवर्तन का एक अभूतपूर्व साधन बनी, जैसे शर्तबंध मजदूरी, गिरमिटियाओं के लिए। पदानुक्रम को समतल बनाने में स्कूल की कक्षाओं ने बहुत योगदान दिया। द्वितीय विश्वयुद्ध के पूर्व, शिक्षा पर विशेषकर उच्च शिक्षा पर, सम्पन्न और अच्छे संबंधों वाले फिजी-भारतीय संप्रदाय का एकाधिकार था। धन, सामाजिक स्तर और सत्ता, सम्पत्ति के स्वामित्व और अधिकारी जगत की निकटता से प्राप्त होता था। पहली पीढ़ी के नेता इसी अधिकारयुक्त पृष्ठभूमि के थे। परंतु शैक्षिक अवसरों के विस्तृत होने से निर्धन और साधारण घर के बच्चों के लिए भी रास्ता खुल गया। प्रवीणता और योगता, सफलता और शक्ति पाने में सोपान बन गए। यह स्थिति आज भी है। ६

इस प्रकार भारतीय समुदाय के मजदूर ब्रिटिश शासित कई देशों में गये और वहाँ प्रवासी बन कर अपने जीविका का पालन कर जीवन यापन कर रहे हैं।

**संदर्भ :**

1. वजेन्द्र भगत 'मधुकर' (१९१४), मधुबहार पृ. २३, भोजपुरी आकादमी, पटना।
2. श्रीकांत (२०२१), बिहार : पलायन की पृष्ठभूमि, पृ. सं. - २१, जेवियर इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल रिसर्च, पटना।
3. राम नरेश त्रिपाठी (१९७१), ग्राम साहित्य, भाग -१ पृ. सं. - १७-१८, प्रयाग : हिन्दी मंदिर।
4. प्रह्लाद रामशरण (२००४), मॉरीशस का इतिहास, पृ. सं. - ८१, वाणी प्रकाशन, नयी दिल्ली।
5. प्रह्लाद रामशरण (२००४), मॉरीशस का इतिहास, पृ. सं. - ८१, वाणी प्रकाशन, नयी दिल्ली।
6. ब्रिज वी. लाल (२००७), फिजी यात्रा: आधी रात से आगे, नेशनल बुक ट्रस्ट।
7. सुब्रमनी (२००१), डउका पुरान, स्टार पब्लिकेशंस प्रा. लि. ४/७ - बी. आसफ अली रोड, नई दिल्ली।
8. प्रह्लाद रामशरण (२००४,) मॉरीशस का इतिहास, वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली।
9. अभिमन्यु अनंत (१९७७), लाल पसीना, राजकमल प्रकाशन, दिल्ली।
10. राजीव कुमार (२०२०), भारतीय समाज और प्रवासन, समयांतर।
11. बिजेन्द्र (२०१८), प्रवासी साहित्य : एक सर्वेक्षण।

## स्पर्धा परीक्षेतील गणिती क्रिया करताना येणाऱ्या समस्यांचा अभ्यास

श्री.विश्वंभर लवटे

संशोधक विद्यार्थी, शिक्षणशास्त्र महाविद्यालय बार्शी, Political science Education

Email- [vaishalilawate1984@gmail.com](mailto:vaishalilawate1984@gmail.com)

DOI-10.5281/zenodo.7431689

### सारांश

'प्रज्ञावंत' हे राष्ट्राची मौलिक संपत्ती आहेत. प्रज्ञावंताचा शोध घेऊन त्यांचा विकास करण्याचा उद्देशाने शासकीय पातळीवर वेगवेगळे प्रयत्न केले जातात. त्यासाठी शालेय जीवनापासून स्पर्धा परीक्षांचे आयोजन केले जाते. शालेय जीवनामध्ये प्रथम स्पर्धा परीक्षांची ओळख करून देणारी व स्पर्धा परीक्षांचा पाया मानली जाणारी पूर्व माध्यमिक शाळा शिष्यवृत्ती परीक्षा (H.S.S) प्राथमिक शिक्षणाच्या टप्प्यातील अत्यंत महत्त्वपूर्ण स्पर्धा परीक्षा आहे. या परीक्षेत गणिती क्रिया करताना अनेक समस्या येतात. या समस्यांचे विश्लेषण करून त्यांच्या निराकरणाची उपाय शोधणे आवश्यक आहे. त्यासाठी सोलापूर जिल्ह्यातील माध्यमिक शाळेतील महाराष्ट्र शासनाचा अभ्यासक्रम असलेल्या मराठी माध्यमाच्या सांगोला तालुक्यातील शाळेतील विद्यार्थ्यांसाठी पूर्व माध्यमिक शाळा शिष्यवृत्ती परीक्षा या शालेय स्पर्धा परीक्षेतील गणिती क्रिया करताना येणाऱ्या समस्यांचा अभ्यास केला. तत्पूर्वी या विषयाशी संबंधित व साधर्म्य असणाऱ्या साधनांपैकी पीएचडी स्तरावरील एक, एम. एड. स्तरावरील तीन, कृती संशोधने चार अशा एकूण आठ संशोधन कृतींचा अभ्यास करण्यात आला. सर्वेक्षण पद्धतीचा वापर करताना माहिती संकलनासाठी संशोधकाने विद्यार्थी व शिक्षकांसाठी मिश्र प्रश्नावली तसेच शाळा प्रमुखांसाठी सारसंग्रह प्रश्न मुलाखती(Electik interview) या साधनांचा उपयोग केला. संभाव्यतेवर आधारित यादृच्छिक व गुच्छ नमुना पद्धतीने निवड करून पाच शाळांतील - 5 शाळा प्रमुख, 15 शिक्षक व 325 विद्यार्थी यांच्याकडून प्राप्त माहितीची सुसंगती लावली.

**सूचनात्मक (मुख्य) शब्द:** शालेय स्पर्धा परीक्षा, पूर्व माध्यमिक शाळा, शिष्यवृत्ती परीक्षा, गणिती क्रिया, विद्यानिकेतन शाळा

प्रश्नावली व मुलाखतीद्वारे प्राप्त माहितीचे अनुक्रमे शेकडेवारी या संख्याशास्त्रीय गुणात्मक साधन वापरून विश्लेषण (Creshwell,2011) तसेच अर्थनिर्वचन (परीक्षेची पूर्वतयारी, गणितीय क्रिया करताना येणाऱ्या समस्या, समस्यावरील उपाय योजना व सर्वसाधारण अभिप्राय या चार विभागात) केले. त्यावरून नफा तोटा, शेकडेवारी, सरळव्याज, दशमान परिमाणे, मसावी लसावी हे उपघटक अभ्यासणे व मार्गदर्शन करणे तुलनेने कठीण/ अवघड असून विद्यार्थ्यांना कठीण घटकांचा अभ्यास करताना कंटाळा येतो. संकल्पनांची स्पष्टता आणि दृढीकरण, पातळीचे प्रश्न सोडवण्याचा पुरेसा सराव नसणे, अचूकता व वेग यांचे योग्य संतुलन साधताना न येणे, वेगवान गणितीय क्रिया केल्यास उत्तर चुकणे, पर्यायातील उत्तर शोधताना व पर्याय नोंदवताना चुका होणे गणितीय क्रिया करताना लागणाऱ्या अधिकच्या वेळेमुळे प्रश्नपत्रिका पूर्णपणे सोडवता न येणे हे निष्कर्ष काढलेले आहेत. तसेच अवघड / कठीण वाटणाऱ्या उपघटकातील संकल्पना संबंधित घटक निहाय विद्यार्थ्यांना आणि अचूकता व वेग

यांचे योग्य संतुलन साधण्यासाठी शिक्षक व विद्यार्थी यांना मार्गदर्शनाची आवश्यकता आहे. या उपाययोजना सुचवल्या आहेत. या निष्कर्षाशी साम्यदर्शक निष्कर्ष इतर संशोधनाची आढळून आलेत. विद्यार्थ्यांना शाब्दिक उदाहरणाचे पटकन आकलन होत नाही. विद्यार्थ्यांची पूर्वतयारी कमी असते. तोच तोच घटक पुन्हा पुन्हा शिकवावा लागतो(मगर 2013). मूलभूत संकल्पना न समजणे व मूलभूत क्रिया करता न येणे ही अनुत्तीर्ण होण्याची प्रमुख कारणे आहेत. शाळांमध्ये प्रश्नपत्रिका सोडवून घेण्याचा सराव घेतला जात नाही (क्षीरसागर 2008) या दोन्ही संशोधनानुसार देखील अशा प्रकारच्या समस्या जाणवतात. शालेय स्पर्धा परीक्षा पूर्व माध्यमिक शाळा शिष्यवृत्ती परीक्षा हे विद्यार्थ्यांच्या भावी जीवनातील अनेक परीक्षेच्या दृष्टीने पायाभरणी असल्याने महत्त्वपूर्ण आहेत. या परीक्षेतील प्रश्नांचे स्वरूप वस्तुनिष्ठ बहुपर्यायी आहे. म्हणून यात प्रश्न सोडवण्याच्या पद्धतीपेक्षा अचूकता व वेगाला महत्त्व आहे. या संशोधनाच्या माध्यमातून यश मिळवण्यासाठी गणिती क्रिया करताना येणाऱ्या समस्यांचा अभ्यास केल्यामुळे

समस्यावरती मात करता येईल व यशोप्राप्ती मार्ग सुलभ होईल. तसेच मार्गदर्शक, पालक, प्रशासक या क्षेत्रात काम करणाऱ्या संस्था आणि संशोधक या सर्वांना हे संशोधन दिशादर्शक व उपयुक्त ठरेल.

## 1. प्रस्तावना

मानवी विकासासाठी स्पर्धात्मक वातावरणाची आवश्यकता असते. स्पर्धा ही सामाजिक प्रेरणा आहे. स्पर्धेमुळे जीवनात उत्साह निर्माण होतो. नैसर्गिक परिपक्वतेला व व्यक्ती सुधारणा घडवून आणण्यास स्पर्धा उपयुक्त ठरते. जीवनातील ध्येय साध्य करताना अनेक टप्पे पार करावे लागतात. यात व्यक्तिमत्व विकास हा महत्त्वाचा भाग आहे. व्यक्तिमत्व विकासात विविध गुणवैशिष्ट्यांचा समावेश होतो. व्यक्तिमत्व विकासात बुद्धिमत्ता हे अत्यंत महत्त्वाचे गुणवैशिष्ट्य आहे. बुद्धिमत्ता ही फक्त मानवालाच लाभलेली दैवी देणगी आहे.

प्रज्ञावंत हे राष्ट्राची मौलिक संपत्ती आहेत. प्रज्ञावंतांचा शोध घेऊन त्यांचा विकास करण्याच्या उद्देशाने शासकीय पातळीवरती वेगवेगळे प्रयत्न केले जातात. त्यासाठी शालेय जीवनापासून स्पर्धा परीक्षांचे आयोजन केले जाते. स्थानिक पातळीपासून आंतरराष्ट्रीय पातळीपर्यंत अनेक स्पर्धा परीक्षा आहेत. स्पर्धा परीक्षा वेगवेगळ्या उद्देशाने घेतल्या जातात. विविध खाजगी अथवा शासकीय आस्थापनावर उमेदवारांची निवड करण्यासाठी, शिक्षक पदासाठी पात्र उमेदवारांची निवड करण्यासाठी, राष्ट्रीय व राज्यस्तरावरील अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशासाठी, आंतरराष्ट्रीय पातळीवरती विज्ञान आणि गणित ऑलिम्पियाडसाठी तसेच केंद्रशासन व राज्य शासनामार्फत शालेय शिक्षणापासून उच्च शिक्षणापर्यंत प्रोत्साहन परीक्षा देण्यासाठी स्पर्धा परीक्षांचे आयोजन केले जाते.(म.रा.प.परिषद,2009) या स्पर्धा परीक्षांमध्ये गणिती क्रियावर आधारित प्रश्न सोडवताना विद्यार्थ्यांना येणाऱ्या समस्यावर मात करण्याची गरज असल्याच्या जाणिवेतून संशोधकाने प्रस्तुत संशोधन कार्य करण्याचे ठरवले.

## 2. संशोधनाची गरज व महत्त्व:

महाराष्ट्रात सन 1954 पासून पूर्व प्राथमिक व पूर्व माध्यमिक शाळा शिष्यवृत्ती परीक्षा शालेय स्तरावर घेतली जाते. शालेय जीवनात प्रथमच स्पर्धा परीक्षांची ओळख करून देणाऱ्या पूर्व माध्यमिक शाळा शिष्यवृत्ती

परीक्षा(H.S.S) आणि उच्च प्राथमिक शाळा शिष्यवृत्ती परीक्षा (M.S.S) या परीक्षा सर्व स्पर्धा परीक्षांचा पाया आहेत असे मानले जाते. म्हणून या परीक्षांचे विशेष महत्त्व आहे. या शिष्यवृत्ती परीक्षेपैकी माध्यमिक शाळांच्या टप्प्यातील माध्यमिक शाळा शिष्यवृत्ती परीक्षा ही अत्यंत महत्त्वपूर्ण स्पर्धा परीक्षा आहे. या परीक्षेत गणिती क्रिया करताना अनेक समस्या येतात.

आज ज्ञानाचे क्षेत्र झपाट्याने विस्तृत होत आहे. सर्वच क्षेत्रात ज्ञानाचा विलक्षण विस्तार झालेला आहे. वैज्ञानिक व इतर क्षेत्राप्रमाणेच शैक्षणिक क्षेत्रात देखील अनेक अडचणी व समस्या पुढे येत असतात. उद्दिष्ट संपादन करण्याकरीता या समस्यांचे विश्लेषण करून त्यांच्या निराकारणाचे उपाय शोधणे आवश्यक आहे. शिक्षण क्षेत्रातील विविध पैलूशी संबंधित सुधारण्याच्या कामे आवश्यक नियम, उपयुक्त पद्धती तत्त्वांचा शोध घेणे हे शैक्षणिक संशोधनाचे मुख्य ध्येय आहे. शिक्षण प्रक्रियेत निर्माण होणाऱ्या अनेक प्रश्नांची उत्तरे शैक्षणिक संशोधनाने सापडणे शक्य आहे. अशा संशोधनात नियोजन पूर्व व पद्धतशीरपणे आवश्यक माहिती गोळा करून तिचे शास्त्रशुद्ध विवेचन करून विद्यमान समस्येचे निरीक्षण करण्यासाठी विश्वासनीय उपाय शोधून काढले जातात.(मुळे व उमाटे ,2000)

## 3.संशोधन समस्येचे विधान

सोलापूर जिल्ह्यातील महाराष्ट्र शासनाचा अभ्यासक्रम असलेल्या मराठी माध्यमांच्या माध्यमिक शाळेतील विद्यार्थ्यांसाठी पूर्व माध्यमिक शाळा शिष्यवृत्ती परीक्षा या शालेय स्पर्धा परीक्षेतील गणिती क्रिया करताना येणाऱ्या समस्यांचा अभ्यास करणे.

## 4.संशोधनाची उद्दिष्टे

1. स्पर्धा परीक्षेतील गणिती क्रिया करताना येणाऱ्या समस्यांचा शोध घेणे.
2. स्पर्धा परीक्षेतील गणिती क्रिया करताना येणाऱ्या समस्यांचे वर्गीकरण करणे.
3. स्पर्धा परीक्षेतील गणिती क्रिया करताना येणाऱ्या समस्या संबंधी उपाय योजना सुचवणे.

## 5.संशोधन प्रश्न



स्पर्धा परीक्षेतील गणिती क्रिया करताना कोणत्या समस्या येतात ?

## 6. व्याप्ती, परिमर्यादा आणि मर्यादा व्याप्ती:

1. प्रस्तुत संशोधन सोलापूर जिल्ह्यातील सांगोला तालुक्यातील माध्यमिक शालेय स्पर्धा परीक्षा पूर्व माध्यमिक शाळा शिष्यवृत्ती परीक्षेस पात्र सर्व विद्यार्थ्यांसाठी आहे.

2. प्रस्तुत संशोधन हे पूर्व माध्यमिक चे वर्ग असणाऱ्या सर्व शाळांशी संबंधित आहे.

### परिमर्यादा:

1. प्रस्तुत संशोधन शालेय स्पर्धा परीक्षा पूर्व माध्यमिक शाळा शिष्यवृत्ती परीक्षापुरते मर्यादित आहे.
2. प्रस्तुत संशोधन शालेय स्पर्धा परीक्षा पूर्व माध्यमिक शाळा शिष्यवृत्ती परीक्षेतील गणित विषया पुरते मर्यादित आहे.
3. प्रस्तुत संशोधन हे सोलापूर जिल्ह्यातील सांगोला तालुक्यातील माध्यमिक शाळेच्या कार्यक्षेत्रापुरते मर्यादित आहे.
4. प्रस्तुत संशोधन हे सोलापूर जिल्ह्यातील सांगोला तालुक्यातील माध्यमिक शाळा पुरते मर्यादित आहे.
5. प्रस्तुत संशोधन हे 2022-23 या शैक्षणिक वर्षापुरते मर्यादित आहे.

### मर्यादा:

1. प्रस्तुत संशोधन शाळा प्रमुखांच्या मुलाखतीतील प्रतिसादांवर अवलंबून आहे.
2. प्रस्तुत संशोधन शिक्षक व विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नावर प्रश्नावलीतील प्रतिसादावर अवलंबून आहे.

## 7. संबंधित संशोधनाचा आढावा

पूर्व उच्च प्राथमिक शाळा शिष्यवृत्ती परीक्षा ही इयत्ता 5 वीच्या व माध्यमिक शाळा शिष्यवृत्ती परीक्षा ही इयत्ता 8 वीच्या विद्यार्थ्यांसाठी महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेकडून फक्त महाराष्ट्रातच घेतली जाते. त्यामुळे या परीक्षेच्या क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर संशोधन झालेली नाहीत.

राष्ट्रीय पातळीवर राष्ट्रीय शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद (N.C.E.R.T) नवी दिल्ली यांचे मार्फत राष्ट्रीय प्रज्ञाशोध परीक्षा (N.T.S.E), आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल असणाऱ्या घटकातील विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्ती परीक्षा (N.M.M.S.E) व नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा या परीक्षांचे राज्यस्तरावर आयोजन केले जाते.

स्पर्धा परीक्षांविषयी यापूर्वी झालेल्या संशोधनाचा आढावा घेण्यासाठी विविध विद्यापीठातून झालेली संशोधने विविध संकेतस्थळे, मासिके यांच्यामार्फत शोध घेतला. त्याचबरोबर महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद (M.S.C.E) पुणे, महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद (M.S.C.E.R.T) पुणे आणि महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद (M.P.S.P), मुंबई या राज्यस्तरीय संस्थांकडून या विषयाशी संबंधित व सादरमे असणाऱ्या संशोधनाचा आढावा घेतला आहे. यात पीएचडी स्तरावरील एक, एम. एड स्तरावरील तीन कृती संशोधने चार अशा एकूण आठ संशोधन कृतींचा अभ्यास करण्यात आला आहे.

## 8. संशोधन पद्धती:

प्रस्तुत संशोधनासाठी सर्वेक्षण संशोधन पद्धतीचा वापर केलेला आहे. प्रस्तुत संशोधनातील उद्दिष्टांच्या पूर्ततेसाठी सर्वेक्षण पद्धतीचा वापर करताना संशोधकाने त्यासाठी विद्यार्थी व शिक्षक प्रश्नावली अशा दोन प्रश्नावली विकसित केल्या. तसेच शाळा प्रमुखासाठी मुलाखतीचे आयोजन केले. सांगोला तालुक्यातील माध्यमिक शाळातील संभाव्यतेवर आधारित यादृच्छिक नमुना निवड पद्धत वापरून पाच शाळातील 5 शाळाप्रमुख 15 शिक्षक व 325 विद्यार्थी यांच्याकडून प्राप्त माहितीची सुसंगती लावली. प्रश्नावलीद्वारे प्राप्त माहितीचे शेकडेवारी हे संख्याशास्त्रीय साधन वापरून व मुलाखतीद्वारे प्राप्त माहितीचे गुणात्मक साधन वापरून विश्लेषण (Creshwell, 2021) तसेच अर्थनिर्वचन (परीक्षेची पूर्वतयारी, गणिती क्रिया करताना येणाऱ्या समस्या, समस्या वरील उपाययोजना व सर्वसाधारण अभिप्राय या चार विभागात केले.

## 9. जनसंख्या:

प्रस्तुत संशोधनासाठी सोलापूर जिल्ह्यातील सांगोला तालुक्यातील माध्यमिक शाळामधील शालेय स्पर्धा परीक्षा पूर्व माध्यमिक शाळा शिष्यवृत्ती परीक्षेस बसलेले सर्व विद्यार्थी ही जनसंख्या आहे.

### 10. नमुना निवड पद्धती:

प्रस्तुत संशोधनासाठी नमुना निवड करताना पुढीलप्रमाणे कार्यवाही केली.

1. सोलापूर जिल्ह्यातील सांगोला तालुक्यातील असंभाव्यतेवर आधारित सहेतुक नमुना निवड पद्धतीने 5 माध्यमिक शाळा निवडल्या.
2. विद्यार्थी व शिक्षक प्रश्नावली आणि शाळा प्रमुख मुलाखतीसाठी गुच्छ नमुना निवड पद्धतीने प्रत्येक शाळेतील पूर्व माध्यमिक शाळा शिष्यवृत्ती परीक्षेला प्रविष्ट झालेले/बसलेले 65 विद्यार्थी त्यांना गणित गणित विषयाचे मार्गदर्शन करणारे 3 शिक्षक व संबंधित शाळेचे शाळाप्रमुख यांची निवड करण्यात आली.

### संशोधनातील नमुना निवड

(सारणी क्र.1.1.)

अ.क्र.	नमुना	प्रत्येकी संख्या	माध्यमिक शाळांची संख्या	एकूण संख्या
1	विद्यार्थी	65	5	325
2	शिक्षक	03	5	15
3	शाळाप्रमुख	01	5	05

### 11. माहिती संकलनाची साधने

अ) प्रश्नावली :

मिश्र प्रश्नावली - प्रस्तुत संशोधनात संशोधकाने मिश्र प्रश्नावल्या विकसित केल्या

ब) मुलाखत : सारसंग्राहक मुलाखती

प्रस्तुत संशोधनात संशोधकाने शाळाप्रमुखांच्या सारसंग्राहक मुलाखती घेतल्या.

### 12. माहिती विश्लेषणाची साधने:

**संख्याशास्त्रीय साधन:**

**गुणात्मक साधन:**

प्रस्तुत संशोधनात मुलाखतीतून मिळालेल्या माहितीचे गुणात्मक विश्लेषण खालील प्रकारे केले.

(सारणी क्र.1.2)

अ.क्र.	टप्पे	तपशील
1	दृष्टीकोन व दृष्टिकोनाचे विश्लेषण	मुलाखतीतून प्राप्त माहिती संकलित केली व उद्दिष्टांच्या दृष्टीकोनातून प्राप्त माहितीचे विश्लेषण केले.
2	सांकेतिकरण व त्रिसांकेतिकरण	प्राप्त माहितीतून सर्वसाधारण माहिती काढली.
3	वर्गीकरण	सर्वसाधारण माहितीचे वर्गीकरण करून सारांश रूपाने माहिती एकत्र केली.
4	अर्थनिर्वचन	सारांश रूपातील माहितीच्या आधारे अर्थनिर्वचन केले.
5	निष्कर्ष	अर्थनिर्वचनाच्या आधारे निष्कर्ष काढले.

### 13. माहितीचे विश्लेषण व अर्थनिर्वचन:

या उद्दिष्टांच्या पूर्ततेसाठी विद्यार्थी प्रश्नावली व शिक्षक प्रश्नावली विकसित केली. प्रश्नावलींचे तज्ञाकडून पुनर्भरण करून घेतले. प्राप्त सूचना, दुरुस्त्या आणि योग्य

बदलांचा विचार करून अनुषंगिक बाबीत सुधारणा केल्यात. प्रश्नावली अद्यावत व अंतिम केली. विद्यार्थी व शिक्षकाकडून प्रश्नावली भरून घेतल्या. तसेच संबंधित शाळात शाळा प्रमुखांची मुलाखत घेतली.

**प्रश्नावलीतून प्राप्त माहितीचे विश्लेषण:**

संशोधन अभ्यासासाठी विकसित केलेल्या दोन्ही प्रश्नावलीतून माहिती प्राप्त केली आणि प्राप्त माहिती पैकी विद्यार्थी शिक्षक यांनी प्रश्नास 50% पेक्षा जास्त प्रतिसाद दिलेला आहे. त्याच प्रतिसादात्मक माहितीचा उपयोग करून माध्यमिक शाळा शिष्यवृत्ती परीक्षेतील गणिती क्रिया करताना येणाऱ्या समस्यांचा शोध घेतला. तसेच त्यावरील अपेक्षित उपाययोजनांची ही माहिती घेतली. या माहितीचे विश्लेषण करण्यासाठी शेकडेवारी या साधनांचा उपयोग झाला.

**मुलाखतीतून प्राप्त माहितीचे विश्लेषण:**

संशोधन अभ्यासासाठी संबंधित शाळा प्रमुखांच्या मुलाखती घेतल्या. त्यातून प्राप्त माहितीचा उपयोग करून माध्यमिक शाळा शिष्यवृत्ती परीक्षेतील गणिती क्रिया करताना येणाऱ्या समस्यांचा शोध घेतला तसेच त्यावरील अपेक्षित उपाययोजनांचीही माहिती घेतली. दृष्टिकोन व दृष्टिकोनांचे विश्लेषण, सांकेतिकरण व विसांकेतिकरण, वर्गीकरण, अर्थनिर्वचन व निष्कर्ष अशा गुणात्मक विश्लेषणाच्या टप्प्याने विश्लेषण करण्यात आले. दोन्ही प्रश्नावली आणि मुलाखत या तिन्ही बाबीतून प्राप्त माहितीचा उपयोग समस्यांचा शोध घेण्यासाठी झाला. प्राप्त माहितीचे विश्लेषण व अर्थनिर्वचन खाली दर्शवल्याप्रमाणे चार विभागांमध्ये केले आहे.

(सारणी क्र.1.3)

अ.क्र	तपशिल	विभाग				
		1	2	3	4	
अ	विद्यार्थी प्रश्नावली	परीक्षेची पूर्वतयारी	गणिती	क्रिया	समस्यावरील	सर्वसाधारण अभिप्राय
ब	शिक्षक प्रश्नावली		करताना	येणाऱ्या	उपाययोजना	
क	शाळाप्रमुख मुलाखत		समस्या			

गणिती क्रिया करताना येणाऱ्या समस्यांचे वर्गीकरण खालील प्रकारे केले आहे.

(सारणी क्र.1.3)

अ.क्र	समस्या
1	तुलनेने अवघड/कठीण वाटणारे उपघटक
2	अवघड/कठीण वाटणारया उपघटकाचा अभ्यास
3	संकल्पना प्राप्ती
4	आकलन
5	प्रत्यक्ष गणिती क्रिया करणे
6	प्रश्नाचे उत्तर काढणे व नोंदविणे
7	प्रश्नपत्रिकेचे स्वरूप

माध्यमिक शाळा शिष्यवृत्ती परीक्षेतील गणिती क्रियासंबंधीच्या विद्यार्थी/ शिक्षक प्रश्नावली आणि शाळा प्रमुखांच्या मुलाखती यातून प्राप्त प्रतिसादातून निदर्शनास आलेल्या बाबी खालील प्रमाणे आहेत परीक्षेची पूर्वतयारी:

1. माध्यमिक शाळा शिष्यवृत्ती परीक्षा या स्पर्धा परीक्षेची तयारीशी संबंधित वातावरण निर्मिती संबंधित शाळा झालेली आहे.
2. विद्यार्थी अभ्यास व शिक्षक मार्गदर्शन करीत असतात. तसेच शाळा प्रमुखांचे सहभाग असतो.
3. शिष्यवृत्ती परीक्षा हा शाळेचा एक उपक्रम आहे.

4. शिष्यवृत्ती परीक्षेसाठीच्या विहित अभ्यासक्रमाबाबत संदिग्धता असल्यामुळे मार्गदर्शनाची आवश्यकता आहे.

गणिती क्रिया करताना येणाऱ्या समस्या:

1. नफा तोटा, शेकडेवारी, सरळव्याज, दशमान परिमाणे, मसावी लसावी हे उपघटक अभ्यासणे व मार्गदर्शन करणे तुलनेने कठीण/अवघड आहे.
2. विद्यार्थ्यांना कठीण घटकाचा अभ्यास करताना उदाहरणांची आकलन, सोडविण्याचा कमी वेग, सरावाचा कंटाळा या समस्या जाणवतात.
3. संकल्पनांचे स्पष्टता आणि जोडीकरण याबाबत समस्या विद्यार्थ्यांना जाणवतात. तसेच प्रश्न प्रकार सोप्या भाषेत समजावून सांगणे आणि उदाहरण सोडविण्याचा वेग वाढवण्यासंबंधी विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन करणे याविषयी समस्या शिक्षकात आढळतात. उदाहरणांचे घाईत, अर्धवट वाचन, समजपूर्वक न केलेले वाचन या समस्या विद्यार्थ्यांमध्ये आढळतात.
4. सोपी उदाहरणे चुकणे, वेळेत उदाहरणे न सोडवणे, चुका होणे या समस्यांनी विद्यार्थ्यांचा आत्मविश्वास कमी होतो.
5. अयोग्य पर्याय, चुकीच्या प्रश्नासमोर पर्यायांची नोंद, अंदाजे उत्तर मांडणे या समस्या विद्यार्थ्यांना जाणवतात.
6. प्रश्नांची काठीण्य पातळी सोडविण्याचा वेग आणि त्यातून होणाऱ्या चुका हे विद्यार्थ्यांसाठी समस्येचे एक चक्र आहे.

#### समस्येवरील उपाय योजना:

1. परीक्षेत यश संपादन करण्यासाठी अवघड/कठीण वाटणाऱ्या उघटकातील संकल्पनासंबंधी घटक निहाय मार्गदर्शनाची आवश्यकता आहे. काठीण्य पातळीचे उदाहरण सोडवणे, सराव करणे आणि वेगवान गणितीयक्रिया करता याव्यात म्हणून जवळचे मार्ग, तंत्र, युक्त्या, कृत्या, नियम व सूत्रे याबाबतच्या मार्गदर्शनाची आवश्यकता आहे.

#### सर्वसाधारण अभिप्राय:

गणित विषयाचे जीवनातील महत्त्वपूर्ण स्थान लक्षात घेता सर्वांगीण विकासासाठी वैशिष्ट्यपूर्ण मार्गदर्शन करून विद्यार्थ्यांना विषयाची गोडी निर्माण करणे आवश्यक आहे.

#### 14. संशोधनाचे प्रमुख निष्कर्ष:

##### उद्दिष्ट क्रमांक 1

स्पर्धा परीक्षेतील गणिती क्रिया करताना येणाऱ्या समस्यांचा शोध घेणे.

##### उद्दिष्ट क्रमांक 2

स्पर्धा परीक्षेतील गणिती क्रिया करताना येणाऱ्या समस्यांचे वर्गीकरण करणे.

या उद्दिष्टाच्या पूर्ततेसाठी विद्यार्थी व शिक्षक यांना देण्यात आलेली प्रश्नावली तसेच शाळा प्रमुखांची घेतलेली मुलाखत यातून सर्वेक्षण पद्धतीने प्राप्त माहितीचे विश्लेषण केले. यावरून पुढील निष्कर्ष काढलेले आहेत.

#### गणिती क्रिया करताना येणाऱ्या समस्या:

1. नफा-तोटा, शेकडेवारी, सरळव्याज, दशमान परिमाणे, लसावी मसावी हे उपघटक अभ्यासणे व मार्गदर्शन करणे तुलनेने कठीण/अवघड आहे.
2. विद्यार्थ्यांना कठीण घटकांचा अभ्यास करताना कंटाळा येतो.
3. संकल्पनांची स्पष्टता आणि दृढीकरण याबाबत समस्या जाणवतात.
4. कठीण पातळीचे प्रश्न सोडविण्याचा पुरेसा सराव नसल्याची समस्या जाणवते.
5. अचूकता व वेग यांचा योग्य संतुलन साधता येत नाही ही समस्या जाणवते.
6. वेगवान गणितीय क्रिया केल्यास उत्तर चुकणे, पर्यायातील उत्तर ओळखताना व पर्याय नोंदवताना चुका होणे या समस्या जाणवतात.
7. गणिती क्रिया करताना लागणाऱ्या अधिकच्या वेळेमुळे प्रश्नपत्रिका पूर्णपणे सोडवता येत नाही हे समस्या जाणवते.

##### उद्दिष्ट क्रमांक 3

स्पर्धा परीक्षेतील गणिती क्रिया करताना येणाऱ्या समस्यासंबंधी उपाय योजना सुचवणे.

#### समस्येवरील उपाययोजना:

1. विद्यार्थ्यांना अवघड/कठीण वाटणाऱ्या उघटकातील संकल्पनासंबंधी घटक निहाय मार्गदर्शनाची आवश्यकता आहे.
2. अचूकता व वेग यांचे योग्य संतुलन साधण्यासाठी शिक्षक व विद्यार्थी यांना मार्गदर्शनाची आवश्यकता आहे.

## 15. निष्कर्षाची चर्चा:

प्रस्तुत संशोधन कार्य करताना प्राप्त माहितीचे विश्लेषण आणि अर्थनिर्वाचनानातून काढलेल्या निष्कर्षाची चर्चा संदर्भानुसार केली आहे.

**विद्यार्थी व शिक्षक प्रभावली तसेच शाळा प्रमुखांची मुलाखत यातून काढलेले निष्कर्ष गणिती क्रिया करताना येणाऱ्या समस्या व त्यावरील उपाय योजना:**

नफा तोटा, शेकडेवारी, सरळ व्याज, दशमान परिमाणे, लसावी मसावी हे उपघटक अभ्यासणे व मार्गदर्शन करणे तुलनेने कठीण/अवघड आहे. विद्यार्थ्यांना कठीण घटकांचा अभ्यास करताना कंटाळा येतो. संकल्पनांची स्पष्टता आणि दृढीकरण याबाबत समस्या जाणवतात. काठीण्य पातळीचे प्रश्न सोडवण्याचा पुरेसा सराव नसण्याची समस्या जाणवते. अचूकता व वेग यांचे योग्य संतुलन साधता येत नाही. ही समस्या जाणवते. वेगवान गणितीय क्रिया केल्यास उत्तर चुकणे, पर्यायातील उत्तर ओळखताना व पर्याय नोंदवताना चुका होणे या समस्या जाणवतात. गणिती क्रिया करताना लागणाऱ्या अधिकच्या वेळेमुळे प्रश्नपत्रिका पूर्णपणे सोडविता येत नाहीत ही समस्या जाणवते. हे निष्कर्ष काढलेले आहेत. तसेच अवघड/कठीण वाटणाऱ्या उपघटकातील संकल्पना संबंधी घटकनिहाय विद्यार्थ्यांना आणि अचूकता व वेग यांचे योग्य संतुलन राखण्यासाठी शिक्षक व विद्यार्थी यांना मार्गदर्शनाची आवश्यकता आहे. या उपाययोजना सुचवल्या आहेत. या निष्कर्षांशी साम्यदर्शक निष्कर्ष व इतर संशोधनातही आढळून आलेत. विद्यार्थ्यांना शाब्दिक उदाहरणांचे पटकन आकलन होत नाही. विद्यार्थ्यांची पूर्वतयारी कमी असते. तोच तोच घटक पुन्हा पुन्हा शिकवावा लागतो.(मगर 2013)

मूलभूत संकल्पना न समजणे व मूलभूत क्रिया करता न येणे ही अनुत्तीर्ण होण्याची प्रमुख कारणे आहेत. शाळांमध्ये प्रश्नपत्रिका सोडवून घेण्याचा सराव करून घेतला जात नाही.(क्षीरसागर 2008) या दोन्ही संशोधनानुसार देखील अशा प्रकारच्या समस्या जाणवतात.

## 16. संशोधनाचे ज्ञानात्मक योगदान:

शालेय स्पर्धा परीक्षा माध्यमिक शाळा शिष्यवृत्ती परीक्षा ही विद्यार्थ्यांच्या भावी जीवनातील अनेक परीक्षेच्या दृष्टीने पायाभरणी असल्याने महत्त्वपूर्ण आहे. या परीक्षेतील प्रश्नांचे स्वरूप वस्तुनिष्ठ बहुपर्यायी

आहे. म्हणून यात समस्या सोडवण्याच्या पद्धतीपेक्षा अचूकता व वेगाला महत्त्व आहे. यश मिळवण्यासाठी गणिती क्रिया करताना येणाऱ्या समस्यांचा अभ्यास केल्यामुळे त्यावर मात करता येईल व यशोप्राप्तीचा मार्ग सुलभ होईल. तसेच मार्गदर्शक, पालक, प्रशासक या क्षेत्रात काम करणाऱ्या संस्था आणि संशोधक या सर्वांना हे संशोधन दिशादर्शक व उपयुक्त ठरेल.

## 17. संदर्भ

1. Best John,W.Kahn James V. (1995). Research in Education.New Delhi : Prentice Hall Of India.
2. भिंताडे, वि. रा.(2004). शिक्षणातील संशोधन. पुणे: नूतन प्रकाशन.
3. जाधव, नितीन तुकाराम (2009). रत्नागिरी जिल्ह्यातील राजापूर तालुक्यातील अडीवरे केंद्राच्या माध्यमिक शिष्यवृत्ती परीक्षेतील अपयशाच्या कारणांचा चिकित्सक अभ्यास (अप्रकाशित, एम.एड.प्रबंध). नाशिक: यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठ.
4. जगताप, ह. ना. (1990) शैक्षणिक मानसशास्त्र. पुणे: नरेंद्र प्रकाशन
5. जोशी, डॉ. भीमसेन; पोंक्षे, डॉ. दत्तात्रय; जोशी, प्रा. सौ. भाग्यरेखा (जानेवारी 2007) सामाजिक शास्त्रांमधील संज्ञा सिद्धांताचा स्पष्टीकरणात्मक कोश 'शिक्षणशास्त्र'. पुणे: डायमंड पब्लिकेशन.
6. जोशी, लक्ष्मणशास्त्री; रेगे, पु.ग.; वाड, विजया(2008). मराठी विश्वकोश खंड - 4 व 16. पुणे: डायमंड पब्लिकेशन.
7. क्षीरसागर, राजेश गोपीनाथ (2008). माळीनगर परीक्षा केंद्रातील माध्यमिक शिष्यवृत्ती परीक्षेतील विद्यार्थ्यांच्या यशापयशाचा चिकित्सक अभ्यास (अप्रकाशित एम एड प्रबंध). नाशिक: यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठ
8. कुलकर्णी, के. वि.(1990). शैक्षणिक मानसशास्त्र. पुणे: श्री विद्या प्रकाशन.
9. मगदूम, यासीन समशेर(2005).पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ती परीक्षेत पासाचे प्रमाण कमी असण्याची कारणे शोध व उपाय (अप्रकाशित कृती संशोधन).

पुणे: महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद.

10. मुळे, रा.शं.: उमाटे, वि.तु.(2004). शैक्षणिक संशोधनातील मूलतत्वे औरंगाबाद: विद्या बुक्स.
11. पाटील, बाबुराव आत्माराम (2009). सन 2005-07 अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती मुलांचे शिष्यवृत्ती परीक्षा शुल्क व आवेदन शुल्क शासनाने भरणा केल्याने झालेल्या गुणवत्ता वाढीचा तुलनात्मक अभ्यास (अप्रकाशित. कृती संशोधन). मुंबई: महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद.
12. पाटील, लीला (1976). आजचे अध्यापन. पुणे: श्री विद्या प्रकाशन
13. पाटील, वाय. बी. (1972). 1980 साली शिष्यवृत्ती परीक्षेत बसणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या प्रगतीचा आढावा घेणे व परिणामकारक उपाय सुचविणे (अप्रकाशित, कृती संशोधन). पुणे: महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद.
14. सोहनी, चित्रा रघुनाथ (2008). अध्यापनाची प्रतिमाने.पुणे नित्यनुतन प्रकाशन. सोहोनी, श.कृ. (2008). शैक्षणिक टिपाकोश. पुणे: हिंदुस्तान मुद्रणालय.

## किशोरावस्थेतील विद्यार्थ्यांचे जीवन कौशल्य शिक्षण : एक आव्हान

श्री.सुनील चांगदेव आदलिंगे

एम.ए.,एम.एड.,नेट,सेट

Email- [suniladlinge1@gmail.com](mailto:suniladlinge1@gmail.com)

DOI-10.5281/zenodo.7431702

### सारांश

किशोरावस्था हा व्यक्तीच्या आयुष्यातील गंभीर व आव्हानात्मक टप्पा असतो. हा कालखंड एक प्रकारे वादळी कालखंड असतो. व्यक्तीच्या वाढ व विकासातील ही महत्त्वाची अवस्था असून यामध्ये शारीरिक, संज्ञानात्मक, भावनिक व सामाजिक बदल हे बालपणापासून प्रौढत्वापर्यंतच्या संक्रमणकालीन अवस्थेचे दर्शक असतात. जवळच्या आणि प्रिय व्यक्तीकडून नियंत्रण आणि समर्थनाच्या स्वरूपामध्ये समाजात अस्तित्वात असलेले अंतर्भूत घटक किशोरांना प्रौढ बनण्यासाठी मार्गदर्शन करतात. मात्र अलीकडच्या काळात औद्योगीकरण आणि जागतिकीकरणामुळे आपल्या पारंपरिक समाजात मोठे बदल झाले आहेत. किशोरवयीन मुलांसोबत त्याचा परिणाम संपूर्ण समाजावर झालेला आपणास दिसून येतो. आजच्या अत्यंत स्पर्धात्मक जगामध्ये आणि पारंपरिक नियम आणि समर्थनाच्या अनुपस्थितीमुळे अनावश्यक तणाव, रागाच्या समस्या आणि कमी आत्मसन्मान, कमी शैक्षणिक कामगिरी तसेच शाळेत व घरात व्यत्यय आणणारी वर्तणूक म्हणजे पालक व शिक्षकांना एक प्रकारे आव्हानच असते. या अवस्थेतील विद्यार्थ्यांचे जीवनकौशल्य शिक्षण म्हणजे आव्हानात्मक कार्य असते.

### प्रस्तावना

मानसशास्त्रज्ञांच्या मते जीवनकौशल्य ही समस्या सोडवण्याची वर्तणूक आहे. जी वैयक्तिक बाबींच्या व्यवस्थापनात योग्य आणि जबाबदारीने वापरली जाते. ते अध्यापनाद्वारे किंवा प्रत्यक्ष अनुभवाद्वारे, प्रात्यक्षिकाद्वारे आत्मसात केलेल्या मानवी कौशल्यांचा एक संघ आहे. ज्यांचा उपयोग दैनंदिन जीवनात सामान्यपणे येणाऱ्या समस्या व प्रश्न हाताळण्यासाठी केला जातो. जागतिक आरोग्य संघटना (WHO) ने 1993 साली जीवनकौशल्याची व्याख्या, "अनुकूल आणि सकारात्मक वर्तनाची क्षमता अशी केली आहे, जी व्यक्तींना रोजच्या जीवनातील मागण्या आणि आव्हानांना प्रभावीपणे सामोरे जाण्यास सक्षम करते". अनुकूलन म्हणजे लवचिक असणे आणि विविध परिस्थितीशी जुळवून घेणे. सकारात्मक वर्तन म्हणजे अत्यंत कठीण परिस्थितीतही सकारात्मक दृष्टिकोन किंवा कठीण परिस्थितीत देखील मार्ग काढण्याची अपेक्षा करणे. युनिसेफ (UNICEF) ने जीवनकौशल्याची व्याख्या पुढीलप्रमाणे केली आहे. "एक वर्तन बदल किंवा वर्तणूक विकास दृष्टिकोन जेणेकरून ज्ञान,वृत्ती आणि कौशल्य या तिन्ही क्षेत्रांचा समतोल साधला जातो. अशा प्रकारे जीवनकौशल्ये ही मुलतः अशा क्षमता आहेत की ज्या तरुणांमध्ये जीवनातील वास्तव परिस्थितीचा सामना करताना मानसिक आरोग्य आणि सक्षमता वाढवण्यास मदत करतात." जीवनकौशल्याची व्याख्या पुढीलप्रमाणे करता येईल, "तरुणांना स्वतःसह इतर लोकांसह आणि व्यापक समुदायास आत्मविश्वासाने आणि सक्षमपणे कार्य करण्यासाठी वैयक्तिक आणि सामाजिक कौशल्य आवश्यक आहेत. अत्यावश्यक जीवन कौशल्यामध्ये एखाद्याच्या भावना ओळखणे आणि त्याचे वर्णन करणे, अभिप्राय देणे आणि प्राप्त करणे, गृहीतके ओळखणे, वास्तववादी आणि प्राप्त उद्दिष्टे निश्चित करणे व समस्या ओळखण्याच्या धोरणांचा वापर करणे. यासारख्या गोष्टींचा समावेश होतो. दुसऱ्या शब्दात सांगायचे झाले तर जीवन कौशल्य ही क्षमता आहे जी एखाद्या व्यक्तीचे

शारीरिक, मानसिक, भावनिक कल्याण सुलभ करते आणि जीवनातील वास्तवतेचा सामना करताना तरुण लोकांना सक्षमतेची जाणीव करून देते.

### किशोरावस्था म्हणजे काय ?


किशोरावस्था म्हणजे नेमके काय हे खालील व्याख्यांवरून आपल्या लक्षात येईल.

- 1) WHO : जागतिक आरोग्य संघटनेनुसार किशोरावस्थेचा काळ हा १० ते १९ वर्ष या कालावधीतील असतो, असे म्हटले आहे.
- 2) E-Gyankosh : किशोरावस्थेचा काळ म्हणजे १० ते १९ वर्षांचा असा काळ ज्या काळामध्ये व्यक्तीमध्ये प्रचंड प्रमाणात मानसिक, भावनिक व शारीरिक बदल होत असतात. किशोरावस्थेच्या काळासंदर्भात अनेक मतमतांतरे आपणास बघावयास मिळतात. व्यक्ती व परिस्थितीनुसार त्यामध्ये बदल असू शकतो. मुलींमध्ये वयाच्या दहा वर्षापासून सर्वसाधारणपणे हा काळ सुरू होतो, तर मुलांमध्ये हा कालावधी वयाच्या तेराव्या वर्षापासून बघायला मिळतो. वजन आणि उंचीमध्ये कमालीचा बदल या कालावधीमध्ये होत असताना दिसतो. या कालावधीमध्ये आरोग्याच्या दृष्टीने संतुलित आहाराचे खूप महत्त्व आहे.
- 3) Oxford Bibliography: Adolescence is the developmental period occurring between childhood and adulthood. Adolescence is often considered to be the second decade of life or the period between puberty and legal adulthood. Adolescence is a transitional period marked by substantial

changes in physical maturation, cognitive abilities and social interactions.

वरील प्रमाणे आपणास असे म्हणता येईल की, बाल्यावस्था व कुमारावस्था यांच्यामधील असलेला हा **जीवन कौशल्य वर्गीकरण**

जागतिक आरोग्य संघटनेने एकूण मूलभूत 10 जीवनकौशल्ये सांगितली आहेत. त्यांचे वर्गीकरण पुढील प्रमाणे आहे.



जीवनकौशल्यांचे वैयक्तिक व सामाजिक जीवन कौशल्ये असे वर्गीकरण करण्यात आले आहे.

**व्यक्तिगत जीवनकौशल्ये** यामध्ये पुढील जीवन कौशल्यांचा समावेश होतो.

### 1. स्व ची जाणीव(Self awareness)

यामध्ये स्वतःला ओळखणे अभिप्रेत आहे. स्वतःच्या क्षमता, मर्यादा, आवडी,निवडी आकांक्षा ओळखण्याचे कौशल्य, प्रत्येक व्यक्तीची कितीतरी शक्ती स्थाने असतात. पण त्या शक्तीची स्थानाचा उपयोग जीवनात करित नाहीत. जी व्यक्ती आपल्या शक्तीस्थानाचा सुप्त गुणांचा ओळखते ते व्यक्ती यशस्वी होते. स्वजागृती स्वजाणीव स्वची ओळख यातून आत्मविश्वास, आत्मगौरव, आत्मसमाधान, आत्मनियंत्रण याची प्रचिती येते. त्यामुळे व्यक्तिमत्व विकासाला चालना मिळते.

### 2. समस्या निराकरण (problem solving)

उपलब्ध पर्यायातून योग्य व संभाव्य पर्याय निवडून कार्यवाही करण्याचे कौशल्य, स्वतःची अडचण, समस्या, प्रश्न यामधून मार्ग काढण्याच्या कौशल्याचा यात अंतर्भाव आहे. ही जाणीव कोडी, शब्दकोडे, संख्याकोडे, यांच्यासारखे खेळातून होते.

### 3. निर्णयक्षमता (Decision making)

समस्या सोडवण्याच्या प्रक्रियेत अनेक पर्याय शोधून त्यातील योग्य पर्याय स्वीकारण्याचे कौशल्य होय. निर्णय घेण्याची शक्ती ही एक प्रक्रिया आहे. विशेष मुद्द्यांची माहिती एकत्र करणे. त्या माहितीचे वर्गीकरण करणे, त्यातून उपलब्ध होणाऱ्या पर्यायांपैकी अथवा विचारांपैकी

काळ आहे. किशोरावस्था म्हणजे व्यक्तीच्या जीवनातील १० ते १९ वर्ष दरम्यानचा असा काळ ज्यामध्ये व्यक्तीमध्ये प्रचंड शारीरिक, भावनिक व मानसिक बदल घडून येत असतात.

सर्वोत्तम विचार स्वीकारावयाच्या तयारीचा या जीवनकौशल्यात अंतर्भाव होतो.

### 4. सर्जनशील विचार (Creative Thinking)

पारंपरिक व पुनरावृत्तीने आढळणाऱ्या पद्धतीपेक्षा वेगळ्या व अभिनव पद्धतीने एखाद्या समस्येबद्दल अथवा परिस्थितीबद्दल विचार करणे करण्याचे कौशल्य होय. सृजनशील व्यक्तीमुळे व्यक्ती सामाजिक, प्रेमळ व प्रामाणिक बनते. सृजनशील चिंतनाच्या अभावात एकटेपणाची जाणीव विकसित होते. विद्यार्थी आत्मनिर्भर होतो. कल्पक विचार, चिंतन, आकलन तो करू लागतो.

### 5. चिकित्सक विचार(Critical Thinking)

उपलब्ध माहितीचे विश्लेषण, परीक्षण वस्तुनिष्ठपणे करण्याचे कौशल्य, धोका व ओका या निरीक्षण शैलीमुळे विद्यार्थी सखोल वाचन व मनन करत नाही. त्यामुळे विचारशक्तीला खीळ बसते. मुलांच्या बुद्धीचा विकास व्हावा. स्वतःच्या समस्या सोडवता याव्यात. आत्मनिर्भर बनावे यासाठी शिक्षकांनी या जीवन कौशल्याचा वापर करून विद्यार्थ्यांना विचार प्रवर्तक बनवले पाहिजे.

**सामाजिक जीवनकौशल्ये** यामध्ये पुढील जीवन कौशल्यांचा समावेश होतो.

### 1. समानानुभूती (Empathy)

दुसऱ्याच्या भूमिकेत शिरून विचार करण्याचे कौशल्य सध्याचे शिक्षण हे विद्यार्थी केंद्रित आहे. त्यामुळे शिक्षकांनी विद्यार्थ्यांशी सहानुभूतीनेच वागणे पाहिजे. विद्यार्थ्यांच्या भूमिकेत घटकांचे अध्यापन केले पाहिजे. त्यांच्या भावभावना जाणून घेतल्या पाहिजेत. त्यामुळे आंतरक्रिया यशस्वी होण्यास मदत होते.



**2. परिणामकारक संप्रेषण (Effective Communication)**

आपले विचार शाब्दिक अथवा अशाब्दिक माध्यमातून प्रभावीपणे व्यक्त करण्याची कौशल्य होय. संवाद ही एक जटिल व गुंतागुंतीची प्रक्रिया आहे. संवादामध्ये शब्द, उच्चार, भाषाशैली, लिहिण्याची हातोटी कौशल्यात महत्त्वाचे आहे. सदर कौशल्याचा वापर करून शालेय शिक्षणात विद्यार्थ्यांचा भरीव सहभाग साध्य करता येतो. संप्रेषण यामध्ये दोन्ही बाजू क्रियाशील असावे लागतात.

**3. व्यक्ती- व्यक्ती मधील सहसंबंध (Interpersonal Relationship)**

दैनंदिन जीवनात सतत संपर्कात असलेल्या बरोबरचे संबंध ओळखून निर्भीड व स्नेहपूर्ण संबंध राखण्याची कौशल्य निरोगी समाजाच्या निर्मितीसाठी व्यक्ती व्यक्ती मधील सहसंबंध या जीवनकौशल्यांची खरी गरज आहे. व्यक्ती व्यक्ती मधील परस्पर संबंधामुळे गुणवत्ता वाढण्यास मदत होते. विद्यार्थी एकमेकांचा आदर करतात. एकमेकांच्या गरजा भागवण्यासाठी मदत करतात.

**4. भावनांचे समायोजन (Coping with Emotions)**

आपल्या व इतरांच्या भावना तसेच त्याचे परिणाम ओळखून त्यावर नियंत्रण ठेवण्याचे कौशल्ये विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासामध्ये भावनिक विकासाला फार महत्व दिले आहे. विद्यार्थ्यांच्या भावना, संवेदना ओळखून अध्यापन केले पाहिजे. भावनेमुळे प्रेरणा मिळते. आपल्या शारीरिक क्रियांचा प्रत्यक्ष संबंध भावनेशी निगडित आहे.

**5. ताणतणावाचे समायोजन (Coping with Stress)**

ताण तणावाची कारणे शोधून त्यांचे होणारे शारीरिक व मानसिक परिणाम लक्षात घेऊन त्यांची व्यक्तीने दिलेल्या सामान्य किंवा विशिष्ट प्रतिक्रिया म्हणजे ताण होय. ताण-तणाव हे बाह्य परिस्थितीमुळे तसेच व्यक्तीच्या स्वतःच्या स्वभाव गुणामुळे निर्माण होतात. ताण-तणाव नियंत्रणासाठी परिस्थितीचे पृथक्करण करून कारणे शोधून सकारात्मक दृष्टिकोनातून उपाययोजना करणे आवश्यक आहे.

**जीवन कौशल्य शिक्षण (Life Skill Education)**

मी वाचले, मी विसरलो, मी चर्चा करतो, मला आठवते, मी करतो, मी विचार करतो. जेवण कौशल्य शिक्षण ही स्व विकास सत्रांची मालिका आहे. या सत्रांमध्ये मूलभूत कौशल्ये शिकवली जातात. ज्यात संप्रेषण कौशल्य समवयस्कांच्या दबावाला सामोरे जाणे आणि नकारात्मक

मित्रांच्या दबावाला प्रतिकार करण्यास शिकणे, विकासाच्या टप्प्यात व्यक्तीमध्ये होणारे बदल समजून घेणे विशेषतः पौगंडावस्थेमध्ये आणि स्वतःबद्दल जागरूक राहणे. स्वतःबद्दल चांगले वाटणे इतरांशी संबंध ठेवण्यास शिकणे, इतर लोकांना त्यांच्या सांस्कृतिक मूल्यांबद्दल समजून घेणे, समस्या सोडवण्यासाठी सर्जनशील विचार करणे. ताणतणाव हाताळणे, राग हाताळणे व माहिती देणे, त्यांच्या जीवन कौशल्यांच्या पैलूवर निर्णय देणे, ही कौशल्ये त्यांच्या किशोरवयीन मुलांना समवयस्कांच्या दबावाचा प्रतिकार करण्यास मदत करतात. कारण ते स्वतःला कसे स्वीकारायचे हे शिकतात.

**जीवन कौशल्य शिक्षणाचे महत्त्व**

किशोरवयीन मुलांच्या विकासाच्या महत्त्वपूर्ण टप्प्यांचा सामना करण्यासाठी, मूलभूत कौशल्य निर्मिती, उपक्रमांची निर्मिती करून जीवन कौशल्य शिक्षण कार्यक्रमाची अंमलबजावणी केली जाते. तरुणांना त्यांच्या आत्मविश्वासासारख्या प्रक्रियेत सक्रियपणे सहभागी करून घेण्यासाठी भूमिका बजावणे. समूहकार्य, संघ बांधणी, चर्चा, मते सादरीकरणे यांच्या सहभागात्मक संवाद ही मूलभूत कौशल्ये तरुणांना त्यांच्या वैयक्तिक भावनिक आणि सामाजिक विकासात येणाऱ्या अडचणीचा सामना करण्यास मदत करतील. या कौशल्यांद्वारे किशोरवयीन मुले त्यांचे पालक, शिक्षक, प्रौढ आणि समवयस्क यांच्याशी संवाद साधण्यास शिकतात. ते नकाराचे देखील महत्त्व शिकतात. अशा प्रकारे किशोरवयीन मुले कौशल्यात वसाहत करायला शिकतात.

**किशोरवयीन/ पौगंडावस्थेतील मुलांना भेडसावणारी आव्हाने**

पौगंडावस्थातील मुलांना वैयक्तिक, सामाजिक, वर्तणूक विषयक, विकासात्मक अशी नानाविध प्रकारची आव्हाने भेडसावतात.

**विकासात्मक आव्हाने**

किशोरावस्था/ पौगंडावस्था म्हणजे तारुण्य ते प्रौढत्वाचा काळ या काळामध्ये मुलांमध्ये शारीरिक सृजनात्मक आणि भावनिक बदल होतात. या कारणास्तव समाजातील प्रत्येक घटकांनी किशोरावस्थेच्या टप्प्यातील मुलांना समजून घेणे आणि तयार असणे आवश्यक आहे. व पौगंडावस्थेत व्यक्तीचे शरीर वेगाने वाढू लागते. शरीराचा आकार व आकारमान बदलते. त्यामुळे काही मुलांना अस्वस्थता जाणवते. शारीरिक वाढीव्यतिरिक्त या अवस्थेमध्ये मुलांमध्ये होणारे संप्रेषणातील बदल, भावनिक व लैंगिक बदल देखील होत असतात. या नवीन बदलामुळे ही मुले गोंधळून जातात. त्यांना अहंकारी असुरक्षित वाटते. अनेक शास्त्रज्ञांच्या संशोधनात असे दिसून आले आहे की, या प्रकारचे बदल या अवस्थेमध्ये स्वतःची प्रतिमा, मनस्थिती, पालक, समवयस्क व इतर घटकांबरोबरील संवादावर

परिणाम करतात. तथापि जर किशोरवयीन मुलास या बदलाबद्दल आगाऊ माहिती दिली गेली असेल तर त्याच्या मानसिक प्रक्रिया या अवस्थेतील बदलांबद्दल कोणतीही पूर्व माहिती नसलेल्या मुलांपेक्षा भिन्न आहेत. ज्या मुलींना मासिक पाळी बद्दल माहिती दिली गेली नाही. त्यांच्या प्रतिक्रिया धक्कादायक, त्रासदायक, भयावह आहेत. त्याचप्रमाणे ज्या मुलांना वीर्य, शुक्राणूबद्दल माहिती दिली गेली नाही अशा मुलांच्या बाबतीत संमिश्र भावना निर्माण होतात. शिवाय या बदलांची माहिती तरुण व्यक्तीला अधिक चांगल्या प्रकारे शारीरिक प्रतिमा निर्माण करण्यास मदत करू शकते. आपल्या संस्कृतीत व समाजात काय सुंदर आहे हे पारिभाषित करण्यासाठी मुले व मुली कशी दिसली पाहिजेत यासाठी मापदंड ठेवून माध्यमे ही परिस्थिती गुंतागुंतीची करतात. शरीरात ज्या प्रकारे परिवर्तन होत आहे ते स्वीकारणे व समाधानी असणे. एखाद्या व्यक्तीच्या स्वतःच्या प्रतिमेवर सकारात्मक परिमाण करते. मॅक्युले व डफी या तज्ञांच्या मते ज्या तरुणांना उच्च दर्जाची आत्ममुल्ये होती ते त्यांच्यासमोर येणाऱ्या आव्हानांचा चांगल्या प्रकारे सामना करू शकतात. किशोरवयीन अवस्था हा उस्ताह वाढ व बदलांचा काळ आहे. कधी कधी किशोरवयीन मुले त्यांची ऊर्जा अधिक प्रायोगिक क्रिया क्रियाकलापामध्ये वळवतात. जसे की धूम्रपान, ड्रग्ज, भांडणे आणि इतर नियम मोडणे. बऱ्याच वेळा पालक शिक्षक आणि समाजातील इतर घटक या मुलांच्या बाबत चिंतिता असतात आणि मानतात हे रॅगिंग हार्मोन्स मुळे होते. बुकानन, व बेकर यांच्या म्हणण्यानुसार विकासात्मक मानसशास्त्र व न्युरोसायन्स मधील प्रगतीनुसार मेंदूचा विकास आणि संज्ञानात्मक वाढ होते. किशोरवयीन मुलांनी अनुभवलेले बदल हे वैयक्तिक नातेसंबंध, कुटुंब, शाळा आणि समाज या बदलांना पाठिंबा देणारे आणि प्रभावित करणारे असतात.

#### **पर्यावरणीय/ सामाजिक आव्हाने**

वैयक्तिक मानवी विकास एकाधिक पर्यावरणीय प्रणालीमध्ये होत असतो. सूक्ष्म अभ्यासानुसार कुटुंब, शालेय वर्गमित्र शिक्षक आणि कर्मचारी तसेच कौटुंबिक वातावरणाचा व्यक्तीच्या विकासावर मोठा प्रभाव दिसून येतो. कारण या सर्व वातावरणामध्ये व्यक्ती मूल्य व वृत्ती शिकते. ज्याचा भविष्यात दीर्घकालीन प्रभाव दिसून येतो. म्हणूनच कुटुंबाची स्थिरता, पालकत्वाची शैली, कौटुंबिक समस्यांचे प्रकार आणि कुटुंबातील संघर्ष यावरून व्यक्तीवर विशेषतः किशोरवयीन मुलांवर कोणता ताण संघर्ष किंवा मानसिक प्रभाव पडतो हे निश्चित होते. कुटुंबातील या चढउतारांमुळे पालक मुलांचा संघर्ष धोकादायक वागणूक यामुळे किशोरवयीन जीवनात अनेक बदल होतात. या परिस्थितीमुळे अनावश्यक तणाव, रागाच्या समस्या आणि कमी आत्मसन्मान कमी शैक्षणिक संपादन तसेच शाळेत आणि घरात व्यत्यय निर्माण करणारे वर्तन या वयातील मुलांकडून होत असते.

जीवन कौशल्य शिक्षणाचे किशोरावस्थेतील मुलांना होणारे फायदे

1. जीवन कौशल्य शिक्षण किशोरांना सामाजिक व भावनिक कौशल्यांच्या निरोगी विकासाद्वारे बालपणापासून प्रौढत्वापर्यंत यशस्वीपणे संक्रमण करण्यास मदत करतात.
2. जीवन कौशल्य शिक्षणामुळे सामाजिक क्षमता व समस्या सोडवण्याची कौशल्य विकसित होण्यास मदत होते.
3. जीवन कौशल्य शिक्षणामुळे परिस्थिती सापेक्ष समस्या सोडवण्यास मदत होते. साधक, बाधक, योग्य, अयोग्य याबाबतीत योग्य निर्णय घेता येतो.
4. जीवन कौशल्य शिक्षणामुळे किशोरावस्थेतील मुलांना शाळा, समाज, कुटुंबावर परिणाम करणाऱ्या सकारात्मक सामाजिक नियमांना प्रोत्साहन देण्यास मिळते.
5. जीवन कौशल्य शिक्षणामुळे ड्रग्ज, मद्यपान, धूम्रपान, वाईट सवय सोडून सकारात्मक व चांगला दृष्टिकोन निर्माण होण्यास मदत होते.

#### **भारतातील जीवन कौशल्य शिक्षण**

भारतातील जीवन कौशल्य शिक्षण हा जगभरातील शैक्षणिक प्रणालीचा अविभाज्य व महत्वाचा भाग आहे. तथापि भारतीय शाळांमध्ये जीवन कौशल्य शिक्षण पूर्ण क्षमतेने सुरू झालेले नाही. परंतु अभ्यासक्रमाचा अविभाज्य भाग म्हणून मान्यता प्राप्त आहे. शीला रामकृष्णन यांनी त्यांच्या 'टीचर प्लस' या लेखांमध्ये असे म्हटले आहे की बहुतेक शाळांमध्ये जीवन कौशल्य शिक्षण व मूल्य शिक्षण यामध्ये गोंधळ निर्माण झाला आहे. त्यांच्या मते बहुतेक शाळांमध्ये मूल्यशिक्षण अभ्यासक्रमाचा एक चांगला भाग आहे कारण ते NCFच्या गरजांपैकी एक आहे. तरीही जीवन कौशल्य शिक्षणावर भर दिला जात नाही. केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळाने सन 2003-04 साली टप्प्याटप्प्याने 5 वी 6 वी व 7 वीच्या वर्गासाठी जीवन कौशल्य शिक्षणास सुरुवात केली. त्यानंतर बऱ्याच वर्षांनी संशोधनानी 8 वी, 9 वी, 10वी साठी श्रेणी प्रणाली सह सातत्यपूर्ण सर्वकष मूल्यमापन सुरू केले. ज्यामध्ये विद्यार्थ्यांच्या सर्व पैलूंचे निरंतर मूल्यमापन केले जाते. केंद्र शासनाने सर्व शिक्षण अभियानांतर्गत प्राथमिक शिक्षणाबरोबर जीवन कौशल्याचे प्रशिक्षण दिले आहे.

#### **किशोरावस्थेतील जीवन कौशल्य शिक्षण कार्यक्रम**

किशोरावस्थेतील जीवन कौशल्य शिक्षण कार्यक्रम हा मानव संसाधन विकास मंत्रालय नवी दिल्ली NACO आणि भारत सरकार यांचा संयुक्त उपक्रम आहे. जो प्रत्येक किशोरवयीन व्यक्तीला वैज्ञानिक माहिती ज्ञान आणि जीवन कौशल्यासह त्यांना एचआयव्ही संसर्गापासून वाचवण्यासाठी आणि त्यांच्याशी संबंधित त्यांच्या समस्यांचे व्यवस्थापन करण्यासाठी सुसज्ज करतो.

किशोरवस्थेतील मुला मुलींच्या अध्ययनात शिक्षकांची भूमिका

विद्यार्थी आणि शिक्षक यांचे अतूट नाते आहे. या अवस्थेतील विद्यार्थ्यांच्या बाबतीत जीवन कौशल्य शिक्षणाची भूमिका अतिशय महत्त्वाची ठरते.

1. शिक्षकाने विद्यार्थ्यांशी मैत्री करून मनमोकळा संवाद साधला पाहिजे.
2. समस्याग्रस्त व तणावग्रस्त मुलांचा शोध घेऊन मार्ग काढला पाहिजे.
3. मुलांच्या वाईट सवयी व्यसनाधीनता, चुकीचे अनुकरण दूर करण्यासाठी विविध उपक्रमांचे आयोजन केले पाहिजे.
4. या अवस्थेतील मुलांच्या पालकांचे ही उद्बोधन केले पाहिजे.
5. मोबाईल, टीव्ही, इंटरनेटच्या बाबतीत त्याचे दुष्परिणाम याबाबतीत जागरूकता करणे.
6. कुटुंब, शाळा, समाजामध्ये, घरात या मुलांना प्रेम मिळाले पाहिजे या दृष्टीने प्रयत्न करणे गरजेचे आहे.
7. शाळेतमध्ये समुपदेशनाची व्यवस्था असणे गरजेचे आहे.

#### नवीन शैक्षणिक धोरण 2020 व जीवन कौशल्य शिक्षण यांचा संबंध

नवीन शैक्षणिक धोरण 2020 च्या शालेय शिक्षण मधील मुद्दा क्रमांक 04 मधील 8 व्या मुद्यातील 8.11 मध्ये किशोरवयीन मुला-मुलींच्या संदर्भात चर्चा करण्यात आली आहे. या वयोगटातील मुला मुलींचे अधिकार, हक्क व सुरक्षेच्या दृष्टीने लक्ष देण्याची गरज आहे. या वयोगटातील मुले मुली आनंदी समाधानी व्यसनरहित व कौशल्यपूर्ण जीवन कसे जगतील याकडे लक्ष देण्याची गरज असल्याचे प्रतिपादन करण्यात आले आहे. तसेच जीवन कौशल्य शिक्षणावर अधिक भर देण्यात आला आहे.

#### निष्कर्ष

बाल्यावस्था व कुमारावस्था या दोघांमध्ये असणारा किशोरवयीन कालखंड व्यक्तीच्या जडणघडणीतील अत्यंत महत्त्वपूर्ण कालखंड आहे. प्रचंड प्रमाणात शारीरिक मानसिक आणि भावनिक बदल या काळात होत असतात. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना या काळात आपल्या शिक्षकाकडून व पालकांकडून उचित मार्गदर्शन मिळणे गरजेचे असते. त्यांच्या भावनांना, विचारांना समजून घेऊन त्यांना योग्य मार्गदर्शन करून योग्य दिशा देण्यात आली तर त्यांच्या जीवनाला एक चांगला आकार प्राप्त होऊ शकतो. पालक आणि शिक्षक म्हणजेच समाज आणि शाळा एकत्र येऊन किशोर वयीन मुला मुलींना आकार देण्याचे काम केले पाहिजे. प्रेम, आदर, योग्य संवाद, सहानुभूती याच गोष्टींमधून किशोर वयीन मुला-मुलींना योग्य आकार देण्याचे महत्त्वपूर्ण कार्य साध्य होऊ शकते. त्यांच्या जीवन कौशल्यांचा विकास योग्य रीतीने होण्यास मदत होते. या वयोगटातील मुला मुलींमध्ये आम्ही या सर्व जाणिवे विकसित करू शकतो. जीवन कौशल्य विकासावर भर दिला तर एक जबाबदार पिढी तयार होऊन देश सक्षम होण्यास मदत होणार आहे.

#### संदर्भग्रंथ सूची

1. Bandura A (1977) social learning theory NJ prentice Hall
2. Vrunda MN, Rao MC (2011) Life skill Education for young Adolescents - Indian experience Journal of Indian Academy of Applied sc psychology.
3. UNESCO and Indian National commission for co-operation (2001): Life skill in non Formal Education.
4. WHO (1999): partners in life skill Education - Geneva.
5. Murthy Srinivas A (2013): personality of Adolescents in relation to their adjustment and decision making.
6. डॉ. चोरघडे श्रीकांत, समस्या किशोरवयीन मुलामुलींच्या श्री. मंगेश प्रकाशन नागपूर
7. UNICEF-[http:// www.unicef.org/](http://www.unicef.org/).
8. UNITED NATIONS - [http:// un.org/](http://un.org/)
9. UNESCO - [http:// www.unesco.org/](http://www.unesco.org/)
10. CBSE-[http:// cbse. nic. in](http://cbse.nic.in)

## खाद्य सुरक्षा और आँगनवाड़ी केन्द्र - एक समीक्षा

सुलोचना कुमारी<sup>1</sup> डॉ० शशिबाला झा<sup>2</sup>

<sup>1</sup>शोधार्थी, विश्वविद्यालय गृहविज्ञान विभाग, ल. ना. मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा

<sup>2</sup>शोध निदेशक - सहायक प्राध्यापक जे. एम. डी. पी. एल. महिला कॉलेज, मधुबनी

Email:sulochnakumari324@gmail.com

DOI-10.5281/zenodo.7431735

**सारांश :-** आँगनवाड़ी केन्द्र खाद्य की सुरक्षा का एक प्रमुख केन्द्र है। आँगनवाड़ी केन्द्रों का प्रमुख कार्य भोजन का भंडारण, व्यक्तिगत स्वच्छता, परिसर की सफाई, लक्षित समूहों को दिए जाने वाले भोजन की गुणवत्ता, पानी की गुणवत्ता आदि की जाँच करना है। हमारे देश में खाद्यान्नों की कमी नहीं है लेकिन उसके समुचित भंडारण के व्यवस्था में कमी जरूर है। आज देश के हरेक कोने-कोने में आँगनवाड़ी केन्द्र खोला गया है। लेकिन आँगनवाड़ी केन्द्रों को समुचित व्यवस्था मुहैया नहीं कराया जा रहा है। आँगनवाड़ी केन्द्रों में बच्चों को दिए जाने वाले खाद्यान्नों के भंडारण की समुचित व्यवस्था के आभाव के कारण खाद्यान्न खराब हो जाते हैं। इस विषय पर सरकार को सोचना होगा। विश्व स्तर पर खाद्य सुरक्षा की मूल अवधारणा यह सुनिश्चित करना है कि सभी लोगों को, हर समय, अपने सक्रिय और स्वस्थ जीवन के लिए मूल भोजन तक पहुँच प्राप्त हो और भोजन की उपलब्धता, पहुँच, उपयोग और स्थिरता की विशेषता हो। यद्यपि भारतीय संविधान में भोजन के अधिकार के संबंध में कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है, संविधान के अनुच्छेद २१ में निहित जीवन के मौलिक अधिकार की व्याख्या मानवीय गरिमा के साथ जीने के अधिकार को शामिल करने के लिए की जा सकती है, जिसमें भोजन का अधिकार और अन्य बुनियादी आवश्यकताएँ शामिल हो सकती हैं।

आँगनवाड़ी वास्तव में गाँव या बस्ती में स्थित अपने ही आँगन में बच्चों की देखभाल तथा खेलकूद का एक केन्द्र है। यह सामुदायिक स्तर पर छः वर्ष से कम आयु के बच्चों व गर्भवती व स्तनपान कराने वाली महिलाओं व किशोरियों को सेवाएँ प्रदान करने का एक केन्द्र है। इसके अलावा आँगनवाड़ी मिलने-जुलने का एक ऐसा स्थान है जहाँ पर गर्भवती महिलाएँ ग्रामीण स्तरीय कार्यकर्ताओं के साथ विचारों का आदान-प्रदान कर सकती हैं। गर्भावस्था में महिलाओं को अपने आहार के सम्बन्ध में विशेष ध्यान देना चाहिए। गर्भवती माँ को अपने लिए और अपने गर्भ में पनपते बच्चे के लिए खाना चाहिए। इस काल में विकासशील शिशु अपनी वृद्धि के लिए पूर्णतः अपनी माता पर निर्भर करता है। इस नौ माह की अवधि में माता के गर्भ में शिशु एक सूक्ष्म कोशिका से पूर्ण निर्मित लगभग ३ किलो वजन वाले शिशु का रूप धारण करता है। यह तभी सम्भव होता है जबकि गर्भवती महिला गर्भस्थ शिशु के निर्माण में सारी सामग्री प्रदान करती है। यह सारी सामग्री उसे अपने आहार से प्राप्त होती है। वर्तमान में इस बात की अत्यन्त आवश्यकता है कि इनमें बचाव के उपाय बच्चों एवं माताओं तक किसी भी माध्यम से पहुँचाया जाए। इसी कड़ी में देश में कई संस्थाओं द्वारा पोषण व शिक्षा सम्बन्धी कार्यक्रम भी चलाये जा रहे हैं इन कार्यक्रमों का महिलाओं को कितना लाभ मिलता है और वे स्वयं अपना पोषण स्तर कैसे अच्छा रख सकती हैं।

**कुँजी :-** खाद्य सुरक्षा, स्वच्छता, भंडारण, पोषण, शिक्षा।

**परिचय :-** भोजन व्यक्ति की एक सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता है। व्यक्ति के लिए पर्याप्त भोजन न करना, सक्रिय और एक स्वस्थ जीवन व्यतीत न करना खाद्य असुरक्षा के अन्तर्गत आते हैं। उत्पादन या आयात के माध्यम से खाद्य की उपलब्धता खाद्य सुरक्षा का केवल एक पहलू है। खाद्य असुरक्षा की सम्पूर्ण कहानी तो गरीबी, निरक्षरता, विभेद तथा उपेक्षा आदि से सम्बन्धित है। यह अस्वास्थ्यकर जीवन, मूलभूत सुविधाओं की कमी और स्वास्थ्य देखरेख से भी संबंधित है। अन्ततः यह वैश्विक, राष्ट्रीय और स्थानीय प्रशासन की असफलता की कहानी है। भारत में स्वतंत्रता के ७० वर्षों के बाद भी सभी को खाद्य और उत्पादक जीविका की पहुँच सुनिश्चित करना देश के लिए सम्भव नहीं हो सका है। ये व्यक्ति जो निम्न मजदूरी आय और अनियमित रोजगार पर निर्भर हैं पूरे वर्ष पर्याप्त भोजन करने की आशा नहीं करते हैं तथा इनकी यह स्थिति सूखा तथा अन्य अल्पकालीन समस्या के समय और खराब हो जाती है। जाति और लिंग विभेद की समस्या जो समाज में गहरे रूप से व्याप्त है जिसका प्रभाव खाद्य पहुँच और जीविका पर भी है। विभेद के कारण स्वास्थ्य देखभाल और खाद्य की पहुँच की समस्या को समष्टि स्तर पर अन्य चरों के कारण पहुँच की

समस्या से अलग करना कठिन है यद्यपि अनेक भारतीयों के दैनिक जीवन में ये विभेद स्पष्ट रूप से महिलाओं तथा एस६सी६ और एस०टी० के संदर्भ में विशेष रूप से देखा जा सकता है।

इसके अतिरिक्त शरीर द्वारा भोजन या खाद्य के अवशोषण की समस्या असंतुलित आहार तथा रोगग्रस्तता के कारण होती है। स्वास्थ्य देखरेख की सुविधाओं, स्वच्छ पीने के पानी और स्वच्छता की कमी के कारण यह स्थिति और खराब हो जाती है जिसका एक के बाद एक मानव के परिणामों जैसा कि जीवन प्रत्याशा, मातृत्व मृत्यु दर, बाल मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर पर भी प्रभाव होता है।

इस क्षेत्र में अध्ययन से पता चलता है कि भारत में अनेक क्षेत्र हैं जहाँ देश में अन्य स्थानों पर इम्यूनाइजेशन की सफलता के बावजूद उच्च शिशु और बाल मृत्यु दर बनी हुई है। कुछ राज्यों में जीवन प्रत्याशा कम है, प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी के कारण मातृत्व मृत्यु दर भी कुछ राज्यों में उच्च है तथा देश की वयस्क जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा निम्न बी०एम०आई० से प्रभावित है।

भारत में व्यक्तियों में सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी भी अधिक है और यह समस्या विशेषकर महिलाओं और बच्चों में और खराब है। सूक्ष्म पोषक तत्वों का कुपोषण निवारण योग्य है और इसका लागत प्रभावी हल भी उपलब्ध है यद्यपि इनको कार्यान्वित करने की मुख्य समस्या प्रायः जागरूकता की कमी और नीति निर्माताओं तथा उपभोक्ताओं की ओर से किये गये निरन्तर वचनबद्धता की कमी के कारण है यद्यपि खाद्य की सार्थकता या वहनीयता को बढ़ाने के लिए अनेक नीतियों और कार्यक्रमों को लागू किया गया है, जिसमें सार्वजनिक वितरण प्रणाली, आई०सी०डी०एस०, एम०डी०एम० तथा खाद्यान्न खरीद मुख्य है। वर्षों के विकास प्रयासों तथा भूख और वंचना को समाप्त करने के विभिन्न प्रोग्रामों के लक्ष्यों के बावजूद अभी भी लाखों लोग कम कैलोरी आहार का उपयोग कर रहे हैं।

रोम में 'दी स्टेट अहफ फूड इनसिक्योरिटी-२०११' में खाद्य सुरक्षा में सामाजिक पहलू को सम्मिलित कर इसे पुनः निम्न रूप में परिभाषित किया गया- "वैयक्तिक, पारिवारिक, क्षेत्रीय, राष्ट्रीय तथा वैश्विक स्तर पर खाद्य सुरक्षा का अस्तित्व तभी है जब सक्रिय और स्वस्थ जीवन व्यतीत करने के लिए आहार संबंधी जरूरतों और खाद्य अधिमान या पसंद को पूरा करने के लिए पर्याप्त, सुरक्षित एवं पौष्टिक खाद्य तक सभी लोगों की भौतिक, सामाजिक तथा आर्थिक पहुँच सदैव हो।"

वैश्विक स्तर पर अब तक अनेक सम्मेलनों तथा वर्ष २००० में सहस्राब्दी लक्ष्यों के खाद्य असुरक्षा तथा भूख की गंभीरता को कम करने के विशेष उद्देश्यों तथा लक्ष्यों के बावजूद खाद्य असुरक्षा की व्यापकता तथा इसकी गंभीरता ने सभी स्तर पर खाद्य असुरक्षा से लड़ने के लिए तुरन्त कार्यवाही की वैश्विक आवश्यकता को स्वीकार किया गया तथा अन्तर्राष्ट्रीय कानून ने प्रत्येक व्यक्ति को पर्याप्त खाद्य का अधिकार तथा भूख से मुक्ति के मूलभूत अधिकार को स्वीकार किया।

किसी भी लोक कल्याणकारी सरकार का यह कर्तव्य है कि वह अपने नागरिकों को भोजन जैसी मूलभूत आवश्यकता की सुरक्षा की गारण्टी दे। भारतीय संविधान का अनुच्छेद ४७ राज्य को अपने लोगों के पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊँचा करने को प्राथमिक कर्तव्य मानने का निर्देश देता है, वहीं अनुच्छेद २१ किसी व्यक्ति को उसके गरिमामय जीवन जीने का मौलिक अधिकार प्रदान करता है जिसके तहत भारत सरकार ने वर्ष २०१३ में संसद द्वारा पारित राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम अर्थात् भोजन का अधिकार अधिनियम २०१३ दिनांक १० सितम्बर, २०१३ को अधिसूचित किया जिसका उद्देश्य एक गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए लोगों को वहनीय मूल्यों पर अच्छी गुणवत्ता के खाद्यान्न की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध कराते हुए उन्हें मानव जीवन चक्र दृष्टिकोण में खाद्य और पोषणीय सुरक्षा प्रदान करना है। भारत में खाद्य सुरक्षा की स्थिति के लिए खाद्यान्नों की पर्याप्त मात्रा में आपूर्ति एक आवश्यक अवयव है। खाद्यान्नों की आपूर्ति घरेलू उत्पादन एवं विदेशी आयात के माध्यम से होती है परन्तु खाद्य सुरक्षा के लिए आपूर्ति हेतु विदेशों पर निर्भरता उचित नहीं है इसलिए घरेलू उत्पादन को बढ़ाकर खाद्यान्न स्वावलम्बन की स्थिति प्राप्त करना अत्यन्त आवश्यक होता है। खाद्यान्नों का घरेलू उत्पादन कृषि क्षेत्र में

वृद्धि तथा उत्पादकता में वृद्धि से सम्भव है। क्षेत्र में वृद्धि के माध्यम से कृषि विकास का अपेक्षित लक्ष्य प्राप्त नहीं हो सकता। परिणामतः कृषि क्षेत्र में उत्पादकता को बढ़ाना खाद्य सुरक्षा की आपूर्ति के लिए अपरिहार्य हो जाता है। इसके लिए जरूरी है कि भारतीय किसानों द्वारा गहन कृषि तकनीकी का प्रयोग किया जाए। परन्तु मौलिक प्रश्न यह है कि किसान अपने उपभोग के अतिरिक्त अधिक उत्पादन कृषि वस्तुओं के मूल्यों में कमी के बावजूद करेगा ? चूंकि कृषि क्षेत्र का उत्पादन फलन समय पश्चात वाला होता है अर्थात् किसान उत्पादन की मात्रा का निर्धारण विगत वर्ष की कीमत के आधार पर करता है, जबकि इसका माँग फलन समय पश्चात वाला नहीं होता है। यही नहीं बल्कि कृषि उत्पादों की कुछ ऐसी विशिष्ट विशेषताएं हैं जिससे इनकी कीमतों में उतार चढ़ाव अधिक होता है। कृषि उत्पादों का कीमत के सापेक्ष संवेदनशील होना, उत्पादन बिखरा हुआ होना कम मूल्य और अधिक जगह धरने वाला होना जबकि माँग निरन्तर कम मात्रा में की जाती है। कीमत के प्रति माँग कम संवेदनशील होती है। इस तरह से कृषि वस्तुओं में निरन्तर उच्चावचन की स्थिति बाजार की शक्तियों के माध्यम से उत्पन्न होती है। किसान कृषि उत्पादों को तभी बढ़ाना चाहेगा, जबकि कृषि उत्पाद की कीमत प्रेरक के रूप में काम करे तथा कीमतों में स्थिरता की स्थिति बनी रहे। इसी को दृष्टिगत रखते हुए भारत में १९६५ में कृषि मूल्य आयोग का गठन किया गया इसका १९८५ में नाम बदलकर कृषि मूल्य एवं लागत आयोग कर दिया गया। यह आयोग २४ फसलों की कीमतों का निर्धारण करता है जिससे कि कीमतों का स्थिरकरण एवं निरन्तर कीमत वृद्धि से किसानों को अधिक उत्पादन करने के लिए प्रेरित करती रहे।

आर्थिक विकास के प्रारम्भिक युग में राज्य का एकमात्र कार्य जीवन, धन तथा सम्पत्ति की रक्षा करना था। उन्नीसवीं सदी के उत्तरार्द्ध से राजकीय उत्तरदायित्वों में निरन्तर वृद्धि होती जा रही है। अब राज्य आर्थिक प्रक्रिया का मूक दर्शक मात्र नहीं रह गया है अपितु नागरिकों और उद्योगों के संरक्षक, नियंत्रक और अभिभावक के रूप में उसकी सक्रिय भूमिका रहती है। आज आधुनिक कल्याणकारी राज्य से यह अपेक्षा की जाती है कि वह नागरिकों के गर्भ से लेकर उनकी कब्र तक देखभाल करे।

कल्याणकारी राज्य में सुरक्षा व न्याय दिलाने के साथ ही साथ आवश्यक वस्तुएं उचित व्यवस्था द्वारा जनसाधारण को सुलभ कराना सरकार का दायित्व है। प्रकृति से प्रत्येक व्यक्ति उपभोक्ता है और प्रत्येक उपभोक्ता स्वभाव से उचित मूल्यों पर अच्छी वस्तु प्राप्त करना चाहता है किन्तु वस्तुओं की अनियमित पूर्ति के कारण होने वाली मूल्य वृद्धि उपभोक्ता वर्ग को निराश कर देती है। अभावों की दशा में जीवनोपयोगी वस्तुओं की उपलब्धता भी दुर्लभ हो जाती है। इन परिस्थितियों में समाज के निर्बल वर्ग को अत्यधिक कठिनाई का सामना करना पड़ता है। दूसरी ओर वितरण व्यवसाय में लगे निजी विक्रेता स्थिति का दुरुपयोग कर उपभोक्ताओं का अधिकतम शोषण करने लगते हैं। ऐसे समय में एक ऐसी वितरण व्यवस्था की आवश्यकता होती है जो स्थाई रूप से समाज के सभी वर्गों के उपभोक्ताओं के हित का संरक्षण कर सके। भारत में खाद्यान्नों के उत्पादन से

खाद्यान्नों का वितरण पक्ष कम महत्वपूर्ण नहीं है। एक तो खाद्यान्नों के उत्पादन में मानसून के अनुसार परिवर्तन होते रहते हैं, दूसरी चूंकि खाद्यान्नों का व्यापार निजी व्यापारियों के हाथ में है इसलिए वे लाभ अर्जन की दृष्टि से कृत्रिम कमी के द्वारा या खाद्यान्नों का अभाव दिखाकर मूल्य में वृद्धि लाने की कोशिश करता है, तीसरे और सर्वाधिक महत्व की बात यह है कि भारत में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालों की संख्या बहुत अधिक है और ये गरीब लोग खाद्यान्नों को बाजार मूल्य पर क्रय करने की स्थिति में नहीं होते हैं।

भारत एक संघशासित देश है जिसके अन्तर्गत २६ राज्य तथा ७ केन्द्र शासित प्रदेश समाहित है। भारत में खाद्य सुरक्षा की स्थिति के लिए यह आवश्यक है कि देश के प्रत्येक राज्य एवं केन्द्र शासित प्रदेश के संपूर्ण जनसंख्या को पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न उपलब्ध हो। देश के अधिकांश राज्य कृषि प्रधान राज्य हैं जहां पर खाद्यान्नों के उत्पादन की विशिष्टता अलग-अलग है। देश के राज्यों की न केवल भौगोलिक पृष्ठभूमि अलग है बल्कि सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक एवं संस्थागत व्यवस्था भी भिन्न-भिन्न है। जिससे देश के कुछ राज्यों में खाद्यान्नों की उत्पादकता अपेक्षाकृत अधिक है। प्रायः इसमें वे राज्य सम्मिलित हैं जिसमें किसानों की आर्थिक स्थिति बेहतर है और जो उन्नतिशील तकनीकी, जिसे गहन कृषि तकनीकी के रूप में जाना जाता है, के प्रति जागरूक ही नहीं बल्कि क्रियान्वयन भी कर रहे हैं। जबकि देश के कुछ पिछड़े राज्य, जिनकी आर्थिक और सामाजिक पृष्ठभूमि उन्नतिशील तकनीकी के प्रयोग के अनुकूल नहीं है उन राज्यों में कृषि का उत्पादन एवं उत्पादकता अपेक्षाकृत कम है। अर्थात् ऐसे राज्यों में खाद्य सुरक्षा के खाद्यान्नों की आपूर्ति पक्ष का स्वउत्पादन सामर्थ्य कमजोर है। ऐसे राज्यों में खाद्यान्नों की आपूर्ति पर्याप्त मात्रा में करने के लिए राज्य व्यापार एवं केन्द्र सरकार के केन्द्रीय भण्डारगृह से खाद्यान्नों की आपूर्ति करना आवश्यक हो जाता है। कृषि की उत्पादकता एवं उत्पादन की दृष्टि से पिछड़े हुए राज्यों में जनसंख्या वृद्धि दर अपेक्षाकृत अधिक है। अर्थात् जनसंख्या का आकार तेजी से बढ़ रहा है। परिणामतः गरीबी की निरपेक्ष संख्या में कमी नहीं आ पा रही है बल्कि कुछ राज्यों में निरपेक्ष संख्या बढ़ी है। यह जनसंख्या का वह हिस्सा है जिसमें क्रय शक्ति कम होती है जो ऊर्जा की आवश्यक मात्रा स्वयं से प्राप्त नहीं कर पाते इसलिए आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग खाद्य सुरक्षा के लिए एक लक्षित वर्ग होता है।

#### **सन्दर्भ ग्रंथ सूची :-**

1. A Vaidyanathan : India's Agricultural Development Policy, EPW, May 13, 2000  
Agriculture Produce Pricing Policy, Lok Sabha Secretariat, Reference Note No. 15/RN/Ref./August/2013
2. Anitha Ramanna : Indian Policy on IPRs and Agriculture, EPW, Dec. 22, 2001
3. C.H. Hanumantha Rao : Agricultural : Policy and Performance, in Bimal Jalan (ed) The Indian Economy : Problem and Prospects, New Delhi, 1992

4. Chand, Ramesh : MSP and Other Interventions in Wheat Market, Are they contributing to the Buffer Stock Cycles and Market Destablization, (2009).
5. Dr. Yuvraj Rajaram Thorat : Minimum Support Price one of the measure to overcome problem of Farmers suicide and loan waiving, AIM Journal 2017
6. Government of India, Agricultural Price Policy in India, 1963, Quoted from L.S. Venkatramanan: Foodgrains Growth and Policy" in C.H.Shah (ed) Agricultural Development of India (Bombay, 1979)
7. IRADe Report : Extension of MSP: Fiscal and Welfare Implications, A Study of the Planning Commission, (2007).
8. J. Mohan Rao and Servass Storm : Distribution and Growth in Indian Agriculture, in Terence J. Byres (ed.) The Indian Economy : Major debates since Independence (New Delhi, 1998)

## शिलाहार राजा दुसरा केशिदेव याचा चौधरपाडा (बापगाव) शिलालेख शक संवत ११६१ (इ.स. १२३९)

डॉ. रुपाली मोकाशी

सहयोगी प्राध्यापक पदव्युत्तर इतिहास विभाग प्रमुख आर के तलरेजा महाविद्यालय उल्हासनगर

Email:histhod@ssrkt.edu.in

DOI-10.5281/zenodo.7431749

इसवी सनाच्या आठव्या शतकात उत्तर कोकण हे राष्ट्रकूट राज्याचा भाग होते. प्रथम कपर्दी हा राष्ट्रकूट राजा तिसरा गोविंद याचा मांडलिक होता. गोविंदाने उत्तर कोकणचा प्रभारी म्हणून त्याची नेमणूक केली असावी. इस ८०० ते १२६५ अशा साडे चार शतकांच्या प्रदीर्घ कालावधीत शिलाहार राजघराण्याने उत्तर कोकण प्रांतावर राज्य केले. श्रीस्थानक अर्थात ठाणे ही त्यांची राजधानी होती. या राजघराण्याचा इतिहास समजण्याकरिता आज फार थोडी लिखित आणि पुरातत्वीय साधने उपलब्ध आहेत. त्यापैकी या राजांनी दिलेली ताम्रपट आणि शिलालेख स्वरूपातील दानपत्रे अतिशय मूल्यवान आहेत.

शिलाहार राजे शिवभक्त होते. त्यांच्या ताम्रपट आणि शिलालेख आर मध्ये शिव आणि गणेश यांची आराधना केलेली दिसून येते. अंबरनाथ येथील सुप्रसिद्ध शिवमंदिर शिलाहार राजा छित्तराजा याने बांधले होते. भारतातील भूमिज शैलीतील हे पहिले सुस्पष्ट काल उल्लेख असलेले मंदिर आहे. कल्याण परिसरात आपल्याला खिडकाळी, बापगाव आणि चौधरी पाडा येथे प्राचीन शिलाहारकालीन मंदिरांचे अवशेष दिसून येतात दुर्दैवाने यापैकी कुठल्याही ठिकाणी उल्लेख नसल्याने त्यांच्याबाबत इतर भाष्य करता येत नाही.

**मुख्य शब्द :** शिलाहार, दुसरा केशिदेव, शिलालेख



शिलाहार राजा दुसरा केशिदेव याचा चौधरपाडा (बापगाव) शिलालेख

पैकी बापगाव येथील माळरानात दुर्लक्षित अवस्थेत पडलेला राजा दुसरा केशिदेव याने कोरविलेला शिलालेख आता नष्ट झालेल्या सुम्पेश्वर मंदिराबद्दल काही माहिती देतो. इस १८८२ मध्ये ही शिळा सापडल्याची नोंद आहे. त्यावरील लेखाचे वाचन पं. भगवानलाल इंद्राजी यांनी केले होते. लेखाची भाषा संस्कृत आणि लिपी नागरी आहे. या लेखात २२ ओळी आहेत. शिळेच्या वर सूर्य, चंद्र आणि मंगल कलश आहेत तर खालच्या भागात गद्धेगाळ (गर्दभशाप) आकृती स्वरूपात कोरलेली आहे.

याचे एक अनुमान असे आहे की यातील स्त्रीरूप म्हणजे पृथ्वी आणि गाढव हे साथीच्या भयंकर रोगांची कर्ती शितळादेवीचे वाहन होते. राजाने दिलेले दान कुणीही हिसकावून घेण्याचा प्रयत्न केल्यास त्याला दिलेला हा

साथीचे रोग, भयंकर दुष्काळ अथवा अन्नान्न दशेचा शाप होता. ताम्रपटात हा शाप श्लोकस्वरूपात असतो.

शिलाहारांचा पंचविसावा राजा दुसरा केशिदेव याने इस १२३९ (मंगळवार, शक संवत ११६१, विकारी संवत्सरे माघ वद्य चतुर्दशी, शिवरात्र ) रोजी प्रस्तुत लेखात त्याने दिलेल्या दोन दानांची नोंद केली आहे. यावेळेस बापगाव (ब्रह्मपुरी) परिसरात 'पृथ्वीतलावर अत्यंत मनोहारी असे शिवमंदिर' असल्याची नोंद तेराव्या ओळीत स्वतः केशिदेवाने केली आहे. (श्रीब्रह्मपुरीपुरारिभवनक्ष्माभृन्मनोहारिणीं)

हेच सुम्पेश्वराचे मंदिर होय. हे मंदिर कधी आणि कसे उध्वस्त झाले हे समजण्यास मार्ग नाही. मात्र सुदैवाने

मंदिरातील भव्य पिंडी आणि उमा माहेश्वराची सुंदर मूर्ती या सर्वांची साक्षीदार म्हणून बचावली आहे.

वर नमूद केलेल्या दिवशी ब्रह्मपुरी हे गाव सोमनायक, सुर्यनायक, गोविंदनायक, नाऊनायक या चार ब्राह्मणांस दान दिले. बाराव्या ओळीत नमूद केल्याप्रमाणे हे दान सोमनायक याच्या वंशजांनी उपभोगायचे होते. याचाच अर्थ, सुर्यनायक, गोविंदनायक आणि नाऊनायक ही त्याची मुले असावीत. इतर शिलाहार लेखांप्रमाणे ह्या दान स्वीकारणाऱ्या ब्राह्मणांचे निवासस्थान, गोत्र , वडिलांचे नाव इत्यादी माहिती दिलेली नाही. अर्थात शिलालेखात थोडक्या जागेत महत्वाचा मजकूर कोरवायचा असतो या मर्यादितते हे झाले असावे. इथे मुद्दाम सांगावयास हवे की शिलाहार राजांकडून दान मिळवणारे बहुतांश विद्याविभूषित ब्राह्मण कऱ्हाड येथील होते.

१६ आणि १७ व्या ओळीत सुम्पेश्वराच्या मंदिरात असणाऱ्या ब्राह्मणांच्या उदरनिर्वाहासाठी बोपग्राम (बापगाव) येथील मजासपल्ली ही वाडी देखील दान दिली. या प्रसंगी केशिदेवाचे मंत्रिमंडळ उपस्थित होते. प्रस्तुत लेखामध्ये महामात्य श्रीझंपडप्रभु, महासांधिविग्र(हि)क राजदेव पंडित आणि श्रीकरणभांडागार अनंतप्रभु यांची विशेष उपस्थिती नोंदविली आहे. (ओळ ९-१०). आज शिलाहार राजधानी ठाण्यात पोर्तुगीजानी केलेल्या विध्वंसामुळे विशेष काहीही उपलब्ध नाही. त्यामुळे या ७७४ वर्षे प्राचीन अश्या शिलालेखाचे जतन आणि संवर्धन करणे अत्यंत गरजेचे आहे.

#### संदर्भ

1. ed. Mirashi V V, Corpus Inscriptionum Indicarum, Inscriptions of the Shilaharas, The Director General, Archaeological Survey of India, New Delhi, 1977
2. Altekar A S, The Shilaharas of Western India in Indian Culture, eds. Bhandarkar D R, Barua Beni and Law B C, Journal of Indian Research Institute Volume II, Issue 3, July 1935 - April 1936, Calcutta, pp. 393-434
3. Mokashi R P, Gaddhegal: The Ass Curse Stele Tradition of Ancient Maharashtra, MARG Volume 66, No.1, September 2014, ISSN: 0972-1444



## समस्तीपुर जिला में जैविक कृषि का कृषकों के आर्थिक विकास पर प्रभाव

संतोष कुमार<sup>1</sup> डॉ. संतोष कुमार<sup>2</sup>

<sup>1</sup>शोध छात्र, स्नातकोत्तर अर्थशास्त्र विभाग, ल. ना. मि. वि. दरभंगा

<sup>2</sup> पर्यवेक्षक सहायक प्राध्यापक, अर्थशास्त्र विभाग, एमआरडीपी कॉलेज मोहनपुर, समस्तीपुर

Email- [krsant1994@gmail.com](mailto:krsant1994@gmail.com)

DOI-10.5281/zenodo.7431777

### सारांश

1960 के दशक के मध्य शुरू हुई हरित क्रांति ने बीजों की उच्च उपज देने वाली किस्म और अन्य आधुनिक कृषि प्रौद्योगिकियों के साथ भारत को पूरी तरह से घाटे से एक खाद्यान्न अधिशेष देश में बदल दिया। हरित क्रांति के परिणामस्वरूप विशेष रूप से ग्रामीण कृषक समुदाय और पूरे देश के सामाजिक-आर्थिक विकास पर जबरदस्त प्रभाव पड़ा। हालांकि, वर्षों से हरित क्रांति का प्रभाव कम होता जा रहा है। हरित क्रांति प्रौद्योगिकियों के अंधाधुंध प्रयोग से कृषि पारिस्थितिकी का समग्र क्षरण हुआ है, जिसने मृदा की उर्वरता में कमी, मृदाक्षरण, जल स्तर में कमी, मृदा लवणता, मिट्टी जल एवं वायु प्रदूषण, मित्र जीवाणुओं की संख्या में भारी कमी, वातावरण में परिवर्तन एवं असंतुलन, विषाक्त अन्न एवं खाद्य पदार्थ का उत्पादन और अनेक प्रकार की असाध्य एवं गंभीर बीमारियों यथा शारीरिक विकलांगता, गैस्ट्रिक, अल्सर, कैंसर, चीनी आदि समस्याओं को जन्म दिया है। जैविक खेती में रसायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों तथा पीड़कनाशियों के स्थान पर जीवांश खाद पोषक तत्व जैसे गोबर खाद, कंपोस्ट, जैविक खाद, हरी खाद इत्यादि का प्रयोग किया जाता है। जिससे ना केवल मिट्टी की उर्वरा शक्ति लंबे समय तक बनी रहती है, बल्कि पर्यावरण भी प्रदूषित नहीं होता है। इससे कृषि लागत में कमी आती है, जिससे किसानों को अधिक मुनाफा होता है।

**शब्द कुंजी:-** जैविक खेती, हरित क्रांति, खाद्य सुरक्षा, जैविक कॉरीडोर

### 1. प्रस्तावना

वर्तमान समय में जिस तरह की परिस्थितियां कृषि में बन गई है उसके पीछे कथित आधुनिक कृषि पद्धति की बड़ी भूमिका है। पहले प्रकृति स्वयं ही पारिस्थितिक संतुलन के आधार पर कीटों का नियंत्रण करती थी और किसान अपनी फसल की सुरक्षा के लिए जो उपाय अपनाते थे वे उपाय प्रकृति के संतुलन को चुनौती नहीं देते थे, बल्कि उसके काम के पूरक हुआ करते थे। जिस तरह से कीट प्रति वर्ष अधिक ताकतवर होकर फसलों पर आक्रमण कर रहे हैं तो इसके पीछे एक अहम कारण यह भी है कि आधुनिक कृषि पद्धति में तरह-तरह के जहर उपयोग कर प्रकृति के संतुलन तंत्र से खिलवाड़ किया जा रहा है।

खेती को लाभ का धंधा बनाने की दिशा में काम करते हुए हमें जैविक कृषि के मूल सूत्रों पर अमल करना होगा। शोध अध्ययन क्षेत्र समस्तीपुर जिला में उन्नत तरीकों के साथ-साथ जैविक कृषि का प्रभाव भी निरंतर बढ़ रहा है। किसान धीरे-धीरे जान गए हैं कि रासायनिक किसी से तुरंत एवं असरदार लाभ तो प्राप्त किया जा सकता है किंतु लंबे समय तक भूमि की उर्वरा शक्ति को नहीं बनाए रखा जा सकता है। जिला में अनेक जैविक कृषि का रकबा देखा जा सकता है जो जैविक खाद एवं जैविक दवाइयों के प्रयोग से आर्थिक लाभ के साथ-साथ उत्तम स्वास्थ्यवर्धक फसलें एवं सब्जियां पैदा करने में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं।

जैविक कृषि में संलग्न कृषक में छोटे एवं बड़े दोनों कृषक सम्मिलित हैं। अध्ययन क्षेत्र में जैविक कृषि को बढ़ावा देने की अपार संभावनाएं हैं। यहां उपजाऊ मिट्टी के साथ-साथ प्रचुर मात्रा में पशुधन है जिससे जैविक कृषि हेतु कच्चा माल आसानी से उपलब्ध हो सकता है। इस क्षेत्र में कृषि में

कृषक शुरू में जैविक कृषि हेतु असमर्थता दिखाई किंतु धीरे-धीरे शिक्षा एवं जागरूकता तथा शासन की सुविधाओं ने जैविक कृषि की दिशा में नया रास्ता खोल दिया है।

किसानों ने रासायनिक खेती के स्थान पर छोटे पैमाने पर जैविक खेती को अपना लिया है। किसानों का कहना है कि पंजाब में अंधाधुंध रासायन का उपयोग कर खेती होती रही। वहां इसका दुष्परिणाम सामने आया और कैंसर जैसे घातक बीमारियों से लोग ग्रसित होने लगे। यह हम सभी के लिए बड़ा सबक है अब हम प्राकृतिक तरीके से खाद व कीटनाशक बनाकर खेतों में उपयोग कर रहे हैं।

### 2. शोध समस्या का चयन

शोध अध्ययन क्षेत्र समस्तीपुर जिला जो कि संपूर्णतया ग्रामीण एवं कृषि में संलग्न क्षेत्र है। इस क्षेत्र में उत्पादन बढ़ाने में होड़ लगी है जिसमें रासायनिक तत्वों का भी भरपूर उपयोग हो रहा है किंतु भूमि की उर्वरता शक्ति की कमी तथा आर्थिक स्थिति कमजोर होती नजर आने के कारण अध्ययन क्षेत्र में किसानों का एक बड़ा वर्ग जैविक खेती की ओर बढ़ रहा है। जिससे न केवल उन्होंने पर्यावरणीय तत्वों का सही उपयोग करके पर्यावरण की रक्षा की बल्कि मजबूत आर्थिक स्थिति भी प्राप्त की है। जिसके कारण उनका सामाजिक स्तर भी प्रभावित हुआ है। अतः समस्तीपुर जिले के ग्रामों में जैविक कृषि का अध्ययन कर इससे होने वाले लाभ एवं प्रभाव का मूल्यांकन निश्चित ही शोध का विषय है। इससे पर्यावरण सुरक्षा के साथ आने वाली पीढ़ियों की स्थिति में बदलाव आएगा।

### 3. उद्देश्य

जैविक कृषि का किसानों की आर्थिक स्थिति पर प्रभाव का अध्ययन करना तथा जैविक कृषि के विकास में आने वाली चुनौतियों का पता लगाना।

#### 4. शोध-प्रविधि

प्रस्तुत शोध पत्र में उद्देश्य पूर्ण निर्देशन पद्धति को अपनाते हुए समस्तीपुर जिला के 10 प्रखंडों के 20 ग्रामों का चयन किया गया है जहां जैविक कृषि की जाती है इन निर्देशित ग्रामों में से 300 जैविक कृषि कार्य करने वाले किसानों से प्राथमिक आंकड़ों का संकलन किया गया। द्वितीयक आंकड़ों का संकलन सरकारी प्रकाशन, इंटरनेट तथा सरकारी कृषि कार्यालय इत्यादि से किया गया है।

#### 5. समस्तीपुर जिले में जैविक कृषि क्षेत्र

जैविक कॉरिडोर योजना अंतर्गत गंगा नदी के किनारे अवस्थित समस्तीपुर सहित बिहार के 13 जिलों में राज्य सरकार के द्वारा जैविक खेती को प्रोत्साहित किया जा

रहा है। इस योजना के अंतर्गत जिले के 10 प्रखंडों के कुल 2000 एकड़ क्षेत्र में समूह आधारित जैविक खेती की जा रही है, जिसमें एक कलस्टर में न्यूनतम 25 एकड़ भूमि तथा न्यूनतम 25 किसान होते हैं। राज्य सरकार द्वारा 3 साल के लिए प्रत्येक साल ₹11500 प्रति एकड़ का अनुदान जैव इनपुट क्रय करने के लिए किसानों को दिया जा रहा है। यह अनुदान अधिकतम 2 एकड़ भूमि के लिए ही दिया जाता है। इस योजना के आरंभिक चरण में सिर्फ सब्जी की खेती को ही बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके तहत जैविक खेती के लिए बिहार राज्य बीज एवं जैविक प्रमाणन एजेंसी (बसोका) से मुफ्त में प्रमाणीकरण किया जा रहा है। बसोका का द्वारा 2021-22 में जिले के 2000 एकड़ क्षेत्र के लिए C-1 प्रमाण पत्र जारी किया गया है। जैविक कॉरिडोर योजना के तहत जिले में की जा रही जैविक खेती को निम्नलिखित तालिका संख्या 1 में दर्शाया गया है-

**तालिका संख्या 1: वर्ष 2021-22 में समस्तीपुर जिले में जैविक कृषि क्षेत्र**

क्रम संख्या	प्रखण्ड का नाम	जैविक कृषि क्षेत्र (एकड़ में)
1	वारिसनगर	142
2	दलसिंहसराय	248
3	विद्यापतिनगर	65.5
4	उजियारपुर	153.2
5	मोरवा	102.722
6	ताजपुर	479.578
7	पूसा	99.75
8	सरायरंजन	495.45
9	समस्तीपुर	85.8
10	कल्याणपुर	128
	कुल	2000

स्रोत:- जिला कृषि कार्यालय, समस्तीपुर  
तालिका संख्या 1 से स्पष्ट है कि समस्तीपुर जिले में कुल 2000 एकड़ क्षेत्र में जैविक कृषि हो रही थी। जिसमें वारिसनगर प्रखंड में 142 एकड़, दलसिंहसराय में 248 एकड़, विद्यापतिनगर में 65.5 एकड़, उजियारपुर में 153.2 एकड़, मोरवा में 102.722 एकड़, ताजपुर में 479.578 एकड़, पूसा में 99.75 एकड़, सरायरंजन में 495.45 एकड़,

समस्तीपुर में 85.8 एकड़ तथा कल्याणपुर में 128 एकड़ जैविक क्षेत्र था।

#### 6. परंपरागत खेती की तुलना में जैविक खेती अपनाने से आर्थिक स्थिति पर प्रभाव

परंपरागत खेती की जगह जैविक खेती में परिवर्तित होने के बाद समग्र रूप से किसानों की आर्थिक स्थिति पर इसका क्या प्रभाव पड़ा है, इसकी जांच की गई है। तालिका संख्या 2 के द्वारा आर्थिक स्थिति पर प्रभाव के संबंध में जैविक किसानों के प्रतिक्रिया को दर्शाया गया है।

**तालिका संख्या 2: जैविक खेती अपनाने से आर्थिक स्थिति पर प्रभाव**


प्रखंड	बेहतर	खराब	कुल
दलसिंहसराय	21	9	30

कल्याणपुर	23	7	30
मोरवा	18	12	30
पूसा	21	9	30
समस्तीपुर	20	10	30
सरायरंजन	21	9	30
ताजपुर	24	6	30
उजियारपुर	22	8	30
वारिसनगर	19	11	30
विद्यापतिनगर	21	9	30
कुल	209(69.7)	91(30.3)	300(100)

स्रोत:- क्षेत्र सर्वेक्षण 2021 | टिप्पणी: कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े प्रतिशत दर्शाते हैं।

तालिका 2 से स्पष्ट है कि समस्तीपुर जिला के चयनित क्षेत्र के 300 सूचक जैविक कृषकों में से 209 कृषकों

के अनुसार पारंपरिक कृषि की जगह जैविक कृषि अपनाने से उनकी आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर हुई है। 91 सूचक कृषकों के अनुसार जैविक कृषि से उनकी आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर नहीं हुई है।



चित्र संख्या 1 से स्पष्ट है कि अध्ययन क्षेत्र के उत्तरदाता किसानों के अनुसार परंपरागत खेती की जगह जैविक खेती अपनाने वाले लगभग 70 प्रतिशत किसानों के आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर हुई है तथा शेष 30 प्रतिशत किसानों की आर्थिक स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है। इस तरह आंकड़ों से स्पष्ट है कि परंपरागत खेती की जगह जैविक खेती अपनाने से अध्ययन क्षेत्र के उत्तरदाता किसानों की आर्थिक स्थिति बेहतर हुई है।

#### 7. जैविक खेती अपनाने में आने वाली बाधाओं पर जैविक किसानों की प्रतिक्रिया

जैविक खेती को अपनाने में आने वाली बाधाओं के बारे में उत्तरदाता किसानों की धारणा का पता लगाने के लिए 15 मापदंडों का चयन किया गया था। अध्ययन क्षेत्र के सभी 300 किसान उत्तरदाताओं से कहा गया था कि वे जैविक खेती को अपनाने में आने वाली बाधाओं के बारे में सभी 15 मापदंडों के लिए 3 सूत्री पैमाने अर्थात् 'दृढ़ता से सहमत', 'सहमत' और 'सहमत' के संगत स्कोर क्रमशः '2', '1' और '0' के साथ अपनी धारणा का उल्लेख करें। मापदंडों के लिए सूचकांक मूल्यों की गणना और उसके सूचकांक मूल्य के आधार पर रैंक की गणना की गई।

तालिका संख्या 3: जैविक खेती में आने वाली बाधाओं पर जैविक किसानों की प्रतिक्रिया

विवरण	दृढ़ता से सहमत	सहमत	असहमत	कुल मूल्य	औसत मूल्य	रैंक
जैविक खेती को लाभदायक नहीं माना जाता है।	35	95	170	165	0.55	15
रूपांतरण के प्रारंभिक वर्षों के दौरान किसानों को उपज का नुकसान होता है	75	169	56	329	1.09	3

जैविक फसल उत्पादन के लिए किसानों के पास ज्ञान और तकनीकी कौशल की कमी है	65	115	120	245	0.82	9
किसानों के क्षमता निर्माण के लिए कोई प्रशिक्षण कार्यक्रम नहीं है	55	118	127	228	0.76	12
गुणवत्तापूर्ण जैविक आदानों की अनुपलब्धता	90	145	65	325	1.08	4
अजैविक पड़ोसी खेत से संदूषण की समस्या	75	125	100	275	0.92	6
जैविक प्रमाणीकरण और प्रमाणन निकायों तक पहुंच के बारे में जानकारी का अभाव	100	145	55	345	1.15	2
जैविक उत्पादों के मूल्यवर्धन और प्रसंस्करण के बारे में कोई जानकारी नहीं	45	120	135	210	0.7	13
बाजार तक पहुंच का अभाव	97	155	48	349	1.16	1
उपभोक्ता जागरूकता की कमी	60	110	130	230	0.77	11
रासायनिक खेती के लिए सरकार द्वारा अधिक तकनीकी और वित्तीय सहायता	45	110	145	200	0.67	14
सरकारी योजनाओं तक पहुंच और जैविक खेती के लिए वित्तीय सहायता का अभाव	55	125	120	235	0.78	10
सरकारी योजनाओं का खराब वितरण तंत्र	62	128	110	252	0.84	7
जैविक योजनाओं के लिए किसानों को समय पर राशि न मिलना	85	125	90	315	1.05	5
वास्तविक लाभार्थी तक योजना की राशि नहीं पहुंच रही है	52	144	104	248	0.83	8

**स्रोत:- क्षेत्र सर्वेक्षण 2021**

तालिका संख्या 6.1 जैविक खेती को अपनाने में विभिन्न प्रकार की बाधाओं पर उत्तरदाता किसानों की धारणा को दर्शाता है। सभी उत्तरदाता किसानों से प्राप्त प्रतिक्रियाओं के योग के अनुसार जैविक उत्पादों के लिए बाजार तक पहुंच का अभाव उच्चतम रैंक वाली बाधा थी। इसी प्रकार दूसरे स्थान पर जैविक प्रमाणीकरण और प्रमाणन निकायों तक पहुंच के बारे में जानकारी का अभाव, तीसरे स्थान पर रूपांतरण के प्रारंभिक वर्षों के दौरान किसानों को उपज का नुकसान, चौथे स्थान पर गुणवत्तापूर्ण जैविक आदानों की अनुपलब्धता और पांचवें स्थान पर जैविक योजनाओं के लिए किसानों को समय पर राशि न मिलना प्रमुख बाधाएं थीं।

**निष्कर्ष**

अध्ययन क्षेत्र के सभी उत्तरदाता किसानों के अनुसार जैविक उत्पादों के लिए बाजार तक पहुंच का अभाव उच्चतम रैंक वाली बाधा थी। इसके बाद जैविक प्रमाणीकरण और प्रमाणन निकायों तक पहुंच के बारे में जानकारी का अभाव, प्रारंभिक वर्षों के दौरान किसानों को उपज का नुकसान, गुणवत्तापूर्ण जैविक आदानों की उपलब्धता, जैविक योजनाओं के लिए किसानों को समय पर राशि न मिलना, अजैविक पड़ोसी खेत से संदूषण की समस्या, सरकारी

योजनाओं का खराब वितरण तंत्र, वास्तविक लाभार्थी तक योजनाओं की राशि का नहीं पहुंच पाना, रासायनिक खेती के लिए सरकार द्वारा अधिक तकनीकी और वित्तीय सहायता, उपभोक्ता जागरूकता की कमी इत्यादि जैविक खेती से संबंधित प्रमुख बाधाएं थीं।

अध्ययन क्षेत्र के उत्तरदाता किसानों के अनुसार परंपरागत खेती की जगह जैविक खेती अपनाने वाले लगभग 70 प्रतिशत किसानों के आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर हुई है तथा शेष 30 प्रतिशत किसानों की आर्थिक स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है। इस तरह आंकड़ों से स्पष्ट है कि परंपरागत खेती की जगह जैविक खेती अपनाने से अध्ययन क्षेत्र के उत्तरदाता किसानों की आर्थिक स्थिति बेहतर हुई है।

**सुझाव**

जैविक खेती में आवश्यक जैव आदानों की उपलब्धता को सुगम बनाने की आवश्यकता है तथा इसके क्रय पर सरकारी सब्सिडी की व्यवस्था की जानी चाहिए।

सरकार को 'जैविक फसल बीमा योजना' शुरू करनी चाहिए। जैविक खेती प्रारंभ करने के शुरुआती दो-तीन वर्ष की अवधि में उत्पादन में कमी आ सकती है। यह विशेष फसल बीमा योजना किसानों के लिए आत्मविश्वास पैदा करेगा।

जैविक उत्पाद के मूल्यवर्धन के लिए प्रसंस्करण उद्योग बहुत आवश्यक है। जैविक खेती के विकास और विस्तार के लिए जैविक किसानों को एक साथ आना चाहिए और विभिन्न कृषि आधारित प्रसंस्करण उद्योग चलाना चाहिए। सरकार द्वारा ऐसे प्रसंस्करण उद्योगों को वित्तीय तथा तकनीकी सहायता प्रदान करना आवश्यक है।

उच्च उत्पादन वाले क्षेत्रों में जैविक खेती प्रणाली को अपनाने से प्रारंभिक वर्षों में उत्पादन में कमी आ सकती है। जैविक खेती के शुरुआत की 2 से 3 साल की अवधि उत्पादन कम हो सकता है। किसानों को शुरुआती दो-तीन वर्षों के लिए मुआवजा तथा विशेष ऋण की व्यवस्था सरकार के द्वारा किया जाना आवश्यक है।

#### **संदर्भ सूची**

1. समस्तीपुर जिला गजेटियर (2016), जिला प्रशासन ,समस्तीपुर
2. आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22, वित्त विभाग, बिहार सरकार
3. बिहार एक झलक 2020, अर्थ और सांख्यिकी निदेशालय, बिहार सरकार
4. जिला कृषि कार्यालय, समस्तीपुर
5. <https://samastipur.nic.in/>
6. <http://horticulture.bihar.gov.in/PMKSYMI/default.aspx>
7. <http://www.krishi.bih.nic.in/>

## डॉ. अरुण मोहन 'भारवि' के अयस्क्रीय व्यक्तित्व

राजेश कुमार

शोध छात्र, स्नातकोत्तर भोजपुरी विभाग, वीर कुँवर सिंह विश्वविद्यालय, आरा ग्राम- बनजरिया, पोस्ट- मुरार, जिला- बक्सर (बिहार)

Email:- [adityay330@gmail.com](mailto:adityay330@gmail.com)

DOI-10.5281/zenodo.7431793

बक्सर की धरती ने कई साहित्यरत्न उत्पन्न किए हैं, उन्हीं में से एक हैं- डॉ. अरुण मोहन 'भारवि'। अपनी साहित्यिक कृतियों की लालिमा और तेजस्विता से सुधी पाठकों और साहित्यकारों को अपनी ओर आकर्षित करने वाला ऐसे प्रख्यात साहित्यकार का जन्म कलकल निनादिनी, पतितपावनी गंगा के तट पर अवस्थित महर्षि विश्वामित्र की तपोभूमि, बक्सर की धरती पर 26 जून 1950 को हुआ। माता सुमित्रा देवी और पिता डॉ. शारदा प्रसाद ने अपना जीवन धन्य माना। देश गुलामी की जंजीर को तोड़कर आजाद हुवा था, किन्तु गुलामी के दुख-दर्द और गरीबी से अभी देश उबरा नहीं था। अतः डॉ. भारवि का लालन-पालन मध्यवर्गीय पारिवारिक वातावरण में ही हुआ। असुविधाओं के बीच भी अध्ययन की सुविधा को माता-पिता ने बनाए रखा और 'होते हैं विरवान के चिकने-चिकने पात' की भाँति कुशाग्र बुद्धि के बालक ने अपनी लगन और मेहनत के बल पर अपने अध्ययन की लौ को जलाये रखा और साहित्यिक रुझान के कारण हिन्दी साहित्य में एम.ए. की डिग्री हासिल की किन्तु ज्ञानपिपासा शांत न हो सकी। जिज्ञासु का मन उत्सुक रहा और शोध कार्य में लगा रहा। अन्ततः मगध विश्वविद्यालय, बोधगया से इन्होंने शोधोपाधी 'पीएच.डी.' प्राप्त की। इनका जिज्ञासु मन अभी अध्ययन के लिए, कुछ और जानने के लिए उत्कंठित था। इन्होंने 'साहित्यरत्न' की उपाधि प्राप्त की किन्तु मन अभी पठन-पाठन की ओर खिंचता रहा और कानून की पढाई में लग गया। इन्होंने महाराजा कॉलेज, आरा से एल.एल.बी. की डिग्री हासिल की। डॉ. भारवि का विवाह 'नीलम' नामक सुकन्या से 1978 में हुआ। डॉ. भारवि की धर्मपत्नी 'नीलम भारवि' लेखिका भी हैं। इसी को ईश्वर की कृपा कहा जाता है, कि जैसे विद्वान पति वैसी विदुषी पत्नी। इस तरह की जोड़ी संयोगवश कहीं-कहीं जुट पाती है। एक बालक और एक बालिका की किलकारियों से घर-आँगन गुंजायमान हुआ।

जीवन-यापन के लिए कुछ कार्य करना आवश्यक होता है। भारवि ने शिक्षण कार्य का चयन किया। बक्सर के बुद्धिजीवियों ने एक महाविद्यालय की स्थापना की श्री प्रणव चटर्जी के नाम पर महाविद्यालय स्थापित हुआ और उनके सहयोगी भारवि जी बने। श्रीमती चटर्जी ने इन्हें प्राचार्य का पदभार प्रदान किया और बहुत काल तक इस पद पर रहे किन्तु प्रबन्ध-तंत्र बड़ा ही कटु होता है, अतएव इन्होंने उससे अपने को मुक्त कर हिन्दी विभागाध्यक्ष के स्वतंत्र पदभार तक ही सीमित रखा और सेवामुक्त तक इसी पद पर बने रहे। साहित्य के क्षेत्र में डॉ. अरुण मोहन 'भारवि' का अनुपम योगदान है। अपने अध्ययन काल से ही वे विभिन्न पत्र-पत्रिकाओं और साहित्यिक संस्थाओं से जुड़े रहे और लेखन द्वारा अपने विचार व्यक्त करते रहे। डॉ. भारवि को भोजपुरी और हिन्दी दोनों बोलियों पर समान अधिकार प्राप्त है, लेकिन भोजपुरी माटी से जुड़ाव एवं मातृभाषा भोजपुरी होने के चलते इनका मन भोजपुरी बोली की रचना में अधिक रहा। इनकी भोजपुरी उपन्यास- 'डँहकत पुरवइया', 'परशुराम', 'करेजा के काँट' और 'राख भउर आग' हैं। इन उपन्यासों में कोई यथार्थवादी, पौराणिक, जनवादी उपन्यास और वर्ग संघर्ष पर आधारित उपन्यास है, जो सामाजिक रूप से जुड़ा है, जो एक से बढ़ कर एक उपन्यास है।

'डँहकत पुरवइया' डॉ. भारवि का पहला भोजपुरी उपन्यास है, जो 1973 में प्रकाशित हुआ था। यह भोजपुरी का यथार्थवादी उपन्यास है। जिसका कथानक सीधा-सादा और प्रेम से सराबोर है। बालकों में अपने साथी के प्रति जो अथाह प्रेम होता है, वह प्रेम है, किशोर मन में उठने वाला भावुक प्रेम है, और देश के प्रति भी प्रेम प्रकट हुआ है। लेखक परंपरा के प्रतिष्ठित आदर्शों को मात्र सुनता है और देखता है,

उन आदर्शों के विरुद्ध वातावरण से उसे पीड़ा होती है, आदर्शों से उसे नफरत होने लगती है, भारतीय विचारधारा पर पाश्चात्य विचार हावी हो रहे हैं, इसलिए प्राच्य सभ्यता और संस्कृति को ठेस लग रही है। 'पुरवइया' मतलब भारतीय संस्कृति डँहक रही है। यही है 'डँहकत पुरवइया'

'परशुराम' अरुण मोहन 'भारवि' का दूसरा उपन्यास है। यह भोजपुरी का एक पौराणिक उपन्यास है, इसे 1977 में प्रकाशित किया गया था। 'लोकनायक जयप्रकाश नारायण' के 'सम्पूर्ण क्रांति आन्दोलन' से प्रेरित होकर लेखक ने इस उपन्यास को पाठकों के बीच प्रस्तुत किया है। इसमें पौराणिक 'परशुराम' को वर्तमान युग के 'लोकनायक' का रूप देने का प्रयास किया है। पौराणिक 'परशुराम' सचमुच प्राचीन युग के 'लोकनायक' ही थे। 'सहस्रबाहु' और 'परशुराम' में किस प्रकार से युद्ध होता है, किसलिए होता है, और सहस्रबाहु किस प्रकार मारा जाता है, स्पष्ट दृश्य को चित्र की भाँति उकेरा है। वातावरण को दृश्यात्मक और चित्रात्मक दोनों रूप इसमें दिखाई देता है। भाषा कमाल की है। इस उपन्यास में लेखक ने क्यों और कैसे जवाब दे दिया है, इसलिए इसकी कथा लीक से हटकर और दृश्यात्मक हो गई है।

'करेजा के काँट' भोजपुरी का प्रथम 'जनवादी' उपन्यास है, जो 1985 में छपा था। यह उपन्यास डॉ. भारवि का तीसरा उपन्यास है। इसके पूर्व यह उपन्यास 'पश्चिम बंग भोजपुरी परिषद' की प्रमुख पत्रिका 'भोजपुरी माटी' में धारावाहिक रूप में प्रकाशित हुआ था। 'लोकनायक जयप्रकाश नारायण' के 'सम्पूर्ण क्रांति आंदोलन' की छाप इसपर है। लेखक ने इस 'आंदोलन' में सक्रिय भाग लिया और जेलयात्रा भी की। उपन्यास की पृष्ठ-भूमि और रूपरेखा

लेखक के मानस 'में बक्सर सेंट्रल जेल' में बंदी के दिनों में ही पडी और लेखनी पर चढ़कर स्पष्ट हुई बाद में। यह ऐसा काँट है जो करेजा में धंसा है, तिल-तिल कर कसक रहा है, निकाले पर निकलता नहीं बस रिसता रहता है। इसी टीस और व्याकुलता की इसमें लेखक ने व्यक्त किया है। व्यथा ने कथा का रूप ले लिया है। उपन्यास की शुरुआत जाड़े की सुबह से शुरू होती है, जब 'दीपक' नामक युवक 'सेठ कपाड़िया' के यहाँ डकैती डालते गिरफ्तार किया गया है, और थाने में उसकी जमकर पिटाई की गई है। यहीं से चर्चा का बाजार गर्म होता है। कुछ 'दीपक' को डकैत कहते हैं, कुछ नक्सलाइट तो कोई उसे गरीबों का मसीहा मानता है। 'दीपक' के ऊपर अलग-अलग एंगल से रोशनी डालते हुए उपन्यासकार ने अपने 'नायक' के अनेक जीवन-पक्षों को चित्रित करते हुए उसे जनता का 'महानायक' बनाने या उसके प्रति पाठकों की सहानुभूति जुटा लेने का अजूबा कार्य सम्पन्न किया है।

'राख भउर आग' डॉ. भारवि का चौथा भोजपुरी उपन्यास है, जिसे 1985 में प्रकाशित किया था। यह 'जनवादी' एवं प्रगतिशील चेतना से लैस भोजपुरी उपन्यास है। लेखक ने जनता की समस्या को कथात्मक सूत्र में पिरोकर जनता के सामने रखा है। जमींदारों का अत्याचार किसान-मजदूरों पर होता रहा है, किन्तु यह खूनी अत्याचार को लेखक ने यथार्थ ढंग से उठाया है। भूमिसेना का सामूहिक खूनी खेल, स्त्रियों पर अत्याचार, आग के हवाले सम्पूर्ण गाँव को करके बच्चे-बूढ़े सभी को उसमें झोंक देना, भूमिसेना के इस खूनी खेल को लेखक ने स्पष्ट रूप से प्रकट किया है। जब ऐसी घटना घटती है, तब पुलिस का वास्तविक रूप देखने को मिलता है, नेताओं की वास्तविकता सामने आती है, पत्रकारों की नाटकीयता दृष्टिगत होती है और गरीब अंततः न्याय माँगते-माँगते गरीब ही रह जाता और मर जाता है। सरकारी आश्वासन के अतिरिक्त उसे कुछ भी प्राप्त नहीं होता। शेरपुर की घटना इसी प्रकार की है। सामन्तों ने गरीब हरिजनों के घर को जला दिया और उसी में लोगों को झोंक दिया, पर हुआ कुछ नहीं। मरने वाले मर गये, तमाशा होता है, मजदूर एकता का केवल नारा लगता रहा, पुलिस जुल्म होता रहा, सामन्ती अत्याचार चलता रहा, न्याय के लिए न्यायालयों में लोग घूमते रहते रहे, थकते रहे, मरते रहे और नेता अपनी रोटी सेंकते रहे, धनहीनों को मिला क्या? इस उपन्यास के माध्यम से लेखक ने शेरपुर गाँव की सच्ची घटना को प्रकट करने में भरपूर सफलता पाई है।

उक्त भोजपुरी उपन्यासों के अतिरिक्त डॉ. अरुण मोहन 'भारवि' ने हिन्दी कृतियाँ भी लिखी है। हिन्दी उपन्यास 'अरुणोदय' 1970 में लिखा गया जो डॉ. भारवि की पहली कृति थी। एक आलोचनात्मक पुस्तक है- 'कथाकार वर्मा: उपलब्धि और संभावनाएँ'। उन्होंने सम्पादन किया है 'दर्पण एक चेहरे अनेक' का जो सम्पादित हिन्दी की कृति है। 'आत्मीय' पत्रिका के वे एकमात्र सम्पादक हैं, जो वर्ष में एक बार निकलती है, विशेषांक के रूप में। 'बक्सर-92' के भी सम्पादक डॉ. भारवि हैं। उसमें बक्सर का पूरा परिवेश झलक रहा है। हिन्दुस्तान दैनिक के वे प्रेस रिपोर्टर भी रहे हैं।

डॉ. अरुण मोहन 'भारवि' अपनी लेखनी के माध्यम से भोजपुरी बोली को भाषा का रूप देने का भरपूर प्रयास किया है। 'अरुणोदय' नामक बाल उपन्यास पहले-पहल इन्होंने लिखा उसके उपरान्त सामाजिक, पौराणिक, यथार्थवादी, जनवादी उपन्यासों की रचना की। इनकी रचना को देखते हुए 'वीर कुँवर सिंह विश्वविद्यालय, आरा' ने 'राख भउर आग' को स्नातक भोजपुरी प्रतिष्ठा एवं 'करेजा के काँट' को स्नातकोत्तर भोजपुरी पाठ्यक्रम में इनके उपन्यासों और 'कहानी कमाल के' कहानी संकलन को प्री पीएचडी पाठ्यक्रम में रखा। इन्दिरा गाँधी राष्ट्रिय संस्था ने इनकी रचनाओं को भोजपुरी पाठ्यक्रम में रखकर इनको तथा इनकी रचनाओं को समादृत किया है। लेखक ने कई लेखकों की कृतियों को अपनी भूमिका द्वारा सवारने का कार्य किया। कई ग्रन्थों का सम्पादन किया।

साहित्यिक और सांस्कृतिक हलचलों पर आधारित 'रपट संकलन' तैयार की 'जब तोप मोक़ाबिल हो'। यह भोजपुरी का प्रथम रपट संकलन है जो 2013 में प्रकाशित हुआ। इसके पहले किसी का भी ध्यान 'रपट संकलन' की ओर नहीं गया था। लेखक ने बड़े ही मनोयोग से यह संकलन तैयार किया है, अन्यथा साहित्यिक गतिविधियों का पता नहीं लग पाता। यह कृति एक अक्षय कोश की भाँति भोजपुरी की धरोहर सी बन गई है। स्थायित्व प्रदान करने में इसकी अहम भूमिका है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है की लेखक ने खोज-खोज कर भोजपुरी पर की जाने वाली शोध-प्रबन्धों की सूची भी प्रस्तुत की है, जिसमें शोधकार्य करने एवं पढ़ने में सुविधा हो सके। लोक-साहित्य पर प्रकाशित पुस्तकें, लोकगीत पर किए गये शोध-प्रबन्ध, लोकगाथा, लोककथा, लोकोक्तियों एवं मुहावरों, लोकनाट्य पर किए गये शोध कार्यों, लोकभाषा एवं बोलियों पर लिखे गये शोधोपाधि हेतु प्रबन्ध की सम्यक सूची प्रस्तुत कर डॉ. भारवि ने सराहनीय कार्य करके भोजपुरी को एक भाषा का स्वरूप प्रदान करने की महती भूमिका प्रस्तुत की है।

'मुट्टी भर भोर' प्रतिनिधि कहानी संकलन डॉ. अरुण मोहन 'भारवि' ने तैयार कर बिखरी हुई कहानियों को एकत्रित कर पाठकों के रसमय स्वाद लेने के लिए सामने रखा। यह कहानी संकलन 2013 में प्रकाशित हुआ इसमें पच्चीस कहानियाँ संगृहीत की गई है। यत्र-तत्र बिखरी कहानियों को एक सूत्र में मणिमाल की तरह पिरोकर एक सुंदर माला सी बना दी गई है, जिसे भोजपुरी भाषी अपने गले में धारण कर सके। इन कहानियों के साथ-साथ लघु कथाएँ भी यत्र-तत्र प्रस्तुत की गई है, जो पुष्पमाल में तुलसी-पत्र की भाँति प्रतीत होती है, जो माला की सुंदरता और पवित्रता को बढ़ा देती है। इन कहानियों में समाज की सत्यता, व्यक्ति की पीड़ा, बेचैनी, यथार्थ को व्यक्त किया गया है। महंगाई-भ्रष्टाचार से युक्त समाज में आदमी किस प्रकार घुट-घुट कर जी रहा है, सब दिख पड़ा है।

'किरण बावनी' भोजपुरी भूषण गणेश दत्त किरण की अमर कृति 'बावनी' का अनुवाद, टीका एवं व्याख्या सहित सम्पादन है, जिसे 2015 में प्रकाशित किया गया था। डॉ. भारवि की लेखनी ने सम्पादन है कला ने एक नई ऊँचाई

प्रदान की है। महाकवि भूषण की 'बावनी' की भाँति 'किरण बावनी' भी वीर रस प्रदान रचना है। भोजपुरी सादृश्य की यह पहली कृति है जिसे किसी दूसरी भाषा गैर भोजपुरी भाषा-भाषी के लिए रूपांतरित सम्पादित किया गया है।

'भोजपुरी इनसाक्लोपीडिया भाग-1' प्रकाशन खण्ड का सम्पादन भी डॉ. अरुण मोहन 'भारवि' के सम्पादन कला की बेजोड़ उपलब्धि है। 2015 में प्रकाशित विश्वकोश जिसे भोजपुरी सेवी चौधरी कन्हैया प्रसाद सिंह द्वारा तैयार और सम्पादित एवं परिमार्जित करने का सराहनीय कार्य डॉ. भारवि ने किया है। प्रकाशित तक सम्पूर्ण साहित्यिक कृतियों का विधा सह सूची वर्णानुक्रम से उपलब्ध कराई गई है। यह पुस्तक जहाँ सम्पूर्ण भोजपुरी साहित्य की कृतियों से पाठकों को रूबरू कराती है वहीं शोधार्थियों के शोध के लिए भी जमीन उपलब्ध करती है। जिसमें भोजपुरी साहित्य की विभिन्न विधाओं- अनुवाद, उपन्यास, कहानी, कविता, प्रबन्ध काव्य, गजल इतिहास, नाटक, शोध, गद्य साहित्य, लेखों की सम्यक सूची उपलब्ध कराई गई है।

'भोजपुरी इनसाक्लोपीडिया भाग-2, रचना संसार: भोजपुरी साहित्यकार' डॉ. भारवि द्वारा 2020 में प्रकाशित सम्पादित कृति है। इस विश्वकोश रचनाकार खण्ड में लगभग ग्यारह सौ भोजपुरी साहित्यकारों की रचनाओं को जानदार, शानदार और जोड़दार परिचय एवं साहित्य उपलब्धि, प्रकाशनों से पाठकों को परिचित कराने का स्पृहणीय कार्य डॉ. अरुण मोहन 'भारवि' के कुशल सम्पादन और भोजपुरी सेवी चौधरी कन्हैया प्रसाद सिंह द्वारा तैयार किया है। सुधि पाठकों को साहित्यकारों की उपलब्धि से रूबरू कराने वाला साहित्यकार और शोधार्थी सबके लिए समान रूप से उपयोगी संदर्भ-ग्रन्थ है।

'कविता कमाल के' डॉ. अरुण मोहन 'भारवि' द्वारा सम्पादित काव्य संकलन है। पैंतीस कवियों की काव्य कृतियों- गीत, गजलों से भोजपुरी पाठकों को परिचित कराया गया है। जो 2017 में प्रकाशित हुआ था। इसमें रघुवीर नारायण, भिखारी ठाकुर, भोलानाथ गहमरी, रामेश्वर सिंह काश्यप, पदमदेव पदम, गणेश दत्त किरण जैसे प्रारंभिक दिवंगत कवियों का सचित्र परिचय देते हुए उनकी काव्य कला की विशेषताओं का विश्लेषण किया गया है। इस पुस्तक की खासियत इसकी सम्पादन कला एवं संपादकी सराहनीय है और भोजपुरी की एक महत्वपूर्ण रचना है।

'कहानी कमाल के' भोजपुरी से काव्य साहित्य की उपलब्धि से पाठकों को परिचित कराती है। 2018 में प्रकाशित डॉ. भारवि द्वारा सम्पादित कृति है जिसमें भोजपुरी के प्रारम्भिक कहानिकारों- शिवपूजन सिंह सहाय, रामेश्वर सिंह काश्यप, अवध बिहारी सुमन, गिरिजाशंकर गिरिजेश, ईश्वर चंद्र सहित कुल अट्ठाईस कथाकारों को

संजोया गया है। भोजपुरी में सशक्त कहानी संकलन का रूप कहा जा सकता है।

'गीत कमाल के' भोजपुरी गीतों, नवगीतों का एक साझा संकलन सर्व भाषा ट्रस्ट नई दिल्ली द्वारा 2022 में छप कर आया है, जिसमें वर्तमान और दिवंगत कवियों के गीतों को शामिल कर डॉ. भारवि द्वारा सम्पादित गीत संकलन है। इसमें कबीर दास, भिखारी ठाकुर, रघुवीर नारायण, महेन्द्र मिसिर, लक्ष्मण शहाबादी और खुद अरुण मोहन 'भारवि' सहित सैंतीस गीतकारों के गीतों को शामिल कर संकलन किया गया है।

'गधपूरना' नामक चौमासिक पत्रिका का प्रकाशन कर डॉ. भारवि ने भोजपुरी पत्रिका के क्षेत्र में अमूल्य योगदान किया। सम्पादक डॉ. अरुण मोहन भारवि और प्रधान सम्पादक रामजी पाण्डेय अकेला हैं। अकेला के निधन के बाद इस पत्रिका के प्रधान सम्पादक कार्यभार अब डॉ. अरुण मोहन 'भारवि' ही संभाल रहे हैं। यह पत्रिका विविध गुणों से युक्त, पाठकों को तरह-तरह के साहित्यिक रंगों और रसों के आस्वाद को परोसने और चखाने वाली है जो लाभकारी है।

मध्य प्रदेश के प्रमुख कवि बालेश्वर दयाल जायसवाल की दो काव्य कृतियाँ 'अंतर्मन के रंग अनेक' और 'उजली धूप पर तैरता यथार्थ' का सम्पादन डॉ. अरुण मोहन 'भारवि' द्वारा किया गया है। इन दोनों पुस्तकों के सम्पादकीय में डॉ. भारवि की साहित्यिक और सम्पादकीय क्षमता को प्रस्फुटन पाठकों को अभिभूत कर देता है।

इनकी सभी कृतियों का प्रकाशन अरुणोदय प्रकाशन, बक्सर से प्रकाशित हुआ है। डॉ. भारवि भोजपुरी बहुमुखी, प्रतिभा सम्पन्न भोजपुरी साहित्यकार हैं। इनकी रचनाएं भोजपुरी की धरोहर की तरह है। इनकी कृतियों में यथार्थ की झलक है। लेखक को भोजपुरी भाषा पर अच्छी पकड़ है। शब्द का चयन उस तरह से करते हैं की इनकी भाषा सबकुछ बयां कर देती है, जो ये कहना चाहते हैं। इनकी रचनाओं में भोजपुरी के सुंदर-सुंदर शब्द पिरोये रहते हैं। जब लेखनी चलती तो ये शब्द स्याही की भाँति अनायास निकलते चलते हैं। डॉ. भारवि की कविता, कहानी जोड़दार होती है। उनके लिखे सैकड़ों लेख और कविताएं विशिष्ट पत्र-पत्रिकाओं में छप चुके हैं। उनका कोई संग्रह नहीं हो सका है। लेखकीय चिंतन और उत्साह उनमें बचपन से रहा है। अखिल भारतीय भोजपुरी साहित्य सम्मेलन के आजीवन सदस्य हैं। भोजपुरी साहित्य मण्डल बक्सर के लगातार महासचिव पद पर बने रहे हैं। भोजपुरी भाषा-भाषी डॉ. भारवि को एक सफल उपन्यासकार के रूप में जानते हैं। रेडियो व दूरदर्शन से जो कुछ उनका प्रकाशित होता रहा उससे भोजपुरी समाज लाभान्वित होता है। भोजपुरी का भंडार अपने गीत से, कविता से, नाटक से, उपन्यास से, लघुकथा से भरते रहे हैं।

#### संदर्भ:-

1. त्रिवेनी- त्रिलोकी नाथ पाण्डेय, डॉ अरुण मोहन 'भारवि'- प्र. अरुणोदय प्रकाशन- पृ.12
2. " " " " " " 13
3. " " " " " " 14
4. " " " " " " 16



5.	” ” ” ”	”	”	19
6.	त्रिवेनी- महेश्वराचार्य,	वही	वही	21
7.	” ” ” ”	”	”	24
8.	गधपूरना- डॉ. नीरज सिंह,	वही	वही	26
9.	” ” ” ”	”	”	27
10.	” ” ” ”	”	”	28

## प्लेटो के शिक्षा दर्शन के ग्राह्य तत्व

डॉ गीता श्रीवास्तव

असिस्टेंट प्रोफेसर, (बी०एड० विभाग) डी०एस०एन० (पी०जी०) कॉलेज, उन्नाव उत्तर प्रदेश

Email- [geetasrivastava299@gmail.com](mailto:geetasrivastava299@gmail.com)

DOI- 10.5281/zenodo.7431811

### सारांश:-

प्लेटो शिक्षा के द्वारा नई पीढ़ी में दायित्व बोध, संयम, साहस, युद्ध कौशल जैसे श्रेष्ठ गुणों का विकास करना चाहते थे। ताकि वे नागरिक के दायित्वों का निर्वहन करते हुए राज्य को शक्तिशाली बना सकें। प्लेटो के अनुसार मानव-जीवन में अनेक विरोधी तत्व विद्यमान रहते हैं। उनमें सन्तुलन स्थापित करना शिक्षा का एक महत्वपूर्ण कार्य है। उनका चिन्तन सुकरात के आध्यात्मवादी दर्शन से प्रभावित था। वे यूनान के पहले दार्शनिक हैं जिन्होंने अपने दार्शनिक चिन्तन को बड़े व्यवस्थित और तर्कपूर्ण ढंग से प्रस्तुत किया है। प्लेटो आत्मा-परमात्मा के अस्तित्व को स्वीकार करते थे और मानते थे कि परमात्मा इस सृष्टि का नियामक कारण अर्थात् कर्ता है और विचार इसके उपादान कारण अर्थात् आधार है। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह भौतिक जगत विचारों के जगत का प्रकटीकरण मात्र है उनका तर्क है कि भौतिक जगत परिणामशील है इस लिए यह नित्य नहीं हो सकता, सत्य नहीं हो सकता और विचारों का जगत परिणामशील नहीं है इसलिए वह नित्य है, सत्य है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया है कि इन विचारों में एक दैवीय और नैतिक व्यवस्था होती है। शिक्षा जगत में उनकी इस विचारधारा को आदर्शवाद (फ़ॉर्मसपेउ) की संज्ञा दी गई है।

### प्रस्तावना:-

शिक्षा ही वह कड़ी है, जिसके माध्यम से मनुष्य सच्चा मानव और तत्पश्चात् देवत्व की ओर प्रवृत्त होता है। शिक्षा के अभाव में संस्कृति, सभ्यता, कला, धर्म और दर्शन आदि प्रसंग और विवेचनार्थ अपना अस्तित्व खो देती हैं। विख्यात दार्शनिक प्लेटो का विचार था कि - “छात्र के शरीर एवं आत्मा में उसके सामर्थ्य के अनुसार सम्पूर्ण सौन्दर्य विकसित हो उठे। बचपन से ही उसे इस प्रकार का प्रशिक्षण दें, कि वह उचित समय पर उचित वस्तु से सुख-दुःख की अनुभूति कर सके। जीवन में सत्य और औचित्य की पहचान कर सकें।”

पाश्चात्य जगत में शिक्षा दर्शन का सबसे प्राचीन स्वरूप हमें यूनान नगर राज्यों में मिलता है। ईसा पूर्व चौथी और पाँचवी शताब्दी न केवल प्राचीन यूनान के लिए शास्त्रीय युग ;ब्लैपबंस।हमद्ध था बल्कि, मानव इतिहास के लिए यह गौरवशाली युग था। इस युग ने जहाँ विश्व विजेता सिकन्दर जैसे महान शासकों और पैरीक्लीज जैसे प्रजातांत्रिक नेताओं को जन्म दिया, वहीं सुकरात, प्लेटो और अरस्तू जैसे महान दार्शनिकों को भी जन्म दिया। राजनीति की दृष्टि से उस समय का यूनान “राजनीतिक प्रयोगशाला” (Political Laboratory) समझा जाता था।

प्लेटो केवल यूनान का ही नहीं, अपितु समूचे पश्चिमी जगत का प्रथम शैक्षिक राजनीतिक एवं सामाजिक दार्शनिक माना जाता है। उसका कथन था कि “राज्य व्यक्ति का ही विराट रूप है,” और आदर्श व्यक्ति में सत्, रज तथा तम् तीनों गुणों का मेल होता है, यह एक शाश्वत सत्य है।”

### प्लेटो के दार्शनिक विचार:

पश्चिमी जगत में सर्वप्रथम “शिक्षा दर्शन की योजना प्रस्तुत करने वाले दार्शनिक शिरोमणि प्लेटो का जन्म एथेन्स के प्राचीन, प्रथित और समृद्ध कुल में 428&27 ई०पू० में हुआ था।<sup>1</sup> प्लेटो के जन्म के समय एथेन्स अन्य यूनानी राज्यों में सबसे महान राज्य था।<sup>2</sup> परन्तु जैसे-2 प्लेटो की आयु बढ़ती गयी, उसने एथेन्स को स्पार्टा के साथ 30 वर्षों (430-400 ई०पू०) तक लड़ते और अन्त में हार खाते हुए और प्रजातन्त्र को अपने चरमोत्कर्ष से सर्वनाश की ओर गिरते हुए देखा। एथेन्स जो गुणों की खान था उसे गुणविहीन होते हुए देखा। 404 ईसा पूर्व में एक क्रान्ति के द्वारा एथेन्स में प्रजातंत्र को उखाड़ फेंका और उसके स्थान पर “तीस व्यक्तियों का शासन स्थापित हुआ। उन तीस व्यक्तियों के क्रूर, हिंसक और दमनपूर्ण क्रियाकलापों को देखकर उसका खून खौलने लगा और उस राजनीति से दूर जाकर शिक्षा-शास्त्री के रूप में अपने जीवन का आरम्भ किया।”

सन् 383 ई०पू० में ‘प्लेटो’ ने “अकादमीस” (Academic) अर्थात् शिक्षणालय की स्थापना की। यही प्लेटो की प्रथम ‘अकादमी’ थी, जिसे यूरोप का प्रथम विश्वविद्यालय होने का गौरव प्राप्त है। इस अकादमी में गणित, दर्शन, शिक्षाशास्त्र और भौतिक विज्ञानों की शिक्षा को प्रधानता दी जाती थी।

प्लेटो ने अपने शिक्षा दर्शन में ‘तत्त्वज्ञान’ की प्राप्ति के लिए शिक्षा को एक नैतिक प्रशिक्षण की प्रक्रिया माना है। प्लेटो ने अपनी पुस्तक ;जिम डूद्ध में कहा है- “शिक्षा से मेरा अभिप्राय उस प्रशिक्षण से है, जो शिशुओं में उचित आदतों के निर्माण के द्वारा सद्गुणों को उत्पन्न करता है।”<sup>3</sup>

प्लेटो ने अपने शिक्षा दर्शन में एक श्रेष्ठ राष्ट्र निर्माण के लिए व्यक्तियों के तीन वर्गों की आवश्यकता बताई है। प्रथम वर्ग-राष्ट्र के संरक्षकों का होना चाहिए। दूसरा वर्ग उन संरक्षकों की सहायता के लिए सैनिकों का होना चाहिए। तीसरा वर्ग सम्पूर्ण समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उत्पादकों का होना चाहिए। इस प्रकार प्लेटो एक आदर्श राज्य के लिए शासक, सैनिक और उत्पादक तीन वर्गों की उपस्थिति आवश्यक मानता है। इन तीनों वर्गों द्वारा अपने-अपने कार्यों को करना तथा दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप न करना ही प्लेटो का सामाजिक न्याय है।

### **प्लेटो के शैक्षिक विचार:**

प्लेटो के समय में प्राचीन यूनानी राज्यों में दो प्रकार की शिक्षा पद्धतियाँ प्रचलित थीं। प्रथम एथेन्स की ओर द्वितीय स्पार्टा की। प्लेटो ने अपनी पद्धति में इन दोनों की अच्छाइयों को ग्रहण किया है और बुराइयों को त्यागा है और इन दोनों पद्धतियों के माध्यम से एक आदर्श राज्य के निर्माण हेतु एक नवीन शिक्षा दर्शन का निर्माण किया। प्लेटो का यह आदर्श शिक्षा सिद्धांत नैतिक आदर्शों पर आधारित है, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को आदर्श नागरिक बनाने की व्यवस्था की गयी है।<sup>४</sup>

प्लेटो सामान्यतः दो प्रकार की शिक्षा चाहता था- पहली वह शिक्षा जो सर्व सामान्य के लिए थी, जिसे पाकर लोग किसी न किसी व्यवसाय के योग्य बनते थे- जैसे कृषक, कलाकार, व्यापारी आदि। दूसरी शिक्षा उपयुक्त व्यक्तियों को राज्य की सेवा और प्रशासन चलाने के लिए दी जाती थी। प्लेटो ने अपने शैक्षिक कार्यक्रमों की रूपरेखा का विशद चित्रण अपनी पुस्तक 'रिपब्लिक' और 'लाज' में किया है, उसने आदर्श राज्य में आदर्श नागरिकों के निर्माण हेतु निम्नलिखित शिक्षा कार्यक्रम प्रस्तुत किया है-

### **जन्म से छः वर्ष की आयु तक पूर्व प्रारम्भिक शिक्षा:-**

प्लेटो जन्म से छः वर्ष की आयु तक शारीरिक विकास की शिक्षा देना चाहता है। इस अवस्था में बालक स्वस्थ रहे और अच्छी आदत सीखे। पहले तीन वर्षों तक बालक का पालन पोषण इस प्रकार हो कि वह अधिक आनन्द या पीड़ा का अनुभव न करे। इस अवस्था में बालक में विवेक नहीं होता और वह अपनी मूल प्रवृत्तियों (इच्छाओं) के अनुकूल आचरण करता है। इस समय बालक को भय उत्पन्न करने वाली बातें न बताई जायें। तीन वर्ष की आयु से छः वर्ष की आयु तक बालक को आनन्द और पीड़ा का अनुभव कराया जाये। इससे बालक में सहज और आत्मानुशासन के गुण पैदा होंगे। प्लेटो संरक्षक एवं सैनिक वर्ग के जन्म से छः वर्ष तक की शिक्षा-दीक्षा का सम्पूर्ण दायित्व राज्य को सौंपता है, लेकिन उत्पादक वर्ग के बच्चों की इस आयु की शिक्षा-दीक्षा का उत्तरदायित्व बच्चों के माता-पिता को सौंपता है।

छः वर्ष के बाद प्लेटो का कहना है कि तीनों वर्गों की सम्पूर्ण शिक्षा व्यवस्था की देखभाल पूर्ण रूप से राज्य के नियंत्रण एवं निर्देशन में चलेगी। उसका विचार है शिक्षा की प्रारम्भिक अवस्था में बहुत अधिक सावधानी बरतने की आवश्यकता है। यह कार्य बहुत अधिक सारगर्भित और महत्वपूर्ण होता है। इस समय उन्हें संस्कारों से प्रभावित किया जाता है।<sup>५</sup>

### **छः से तेरह वर्ष की आयु में प्रारम्भिक शिक्षा**

समस्त बालक-बालिकाओं के लिए वास्तविक स्कूली शिक्षा को प्लेटो इसी आयु वर्ग से प्रारम्भ करता है, जिसमें छः वर्ष की आयु से १३ वर्ष की आयु तक के बालक-बालिकाओं के लिए अलग-अलग शिक्षालयों की व्यवस्था की जायेगी। ये सभी छात्र राज्य द्वारा संचालित आवासीय विद्यालयों में रहेंगे।

### **तेरह से सोलह वर्ष की आयु में माध्यमिक शिक्षा:**

प्लेटो के अनुसार इस आयु में बालक-बालिकाओं को धार्मिक भजन, राष्ट्रीय

कविताएँ संगीतात्मक प्रणाली से गाने का अवसर दिया जाना चाहिए। उसका कहना है कि इस अवस्था में बच्चों के भीतर तर्क शक्ति का विकास प्रारम्भ होता है। अतः बच्चों को तर्कशास्त्र, ज्यामितीय दर्शन एवं अंकगणित का भी ज्ञान देना चाहिए। साथ ही गायन, वादन, कविता, पाठ गणित, ज्यामिति के सिद्धान्तों का ज्ञान देने से बच्चों में वैचारिक परिवक्ता का विकास होता है।

### **सोलह से बीस वर्ष की आयु में उच्च माध्यमिक शिक्षा:-**

इस अवस्था में प्लेटो ने बालक और बालिकाओं को शारीरिक शिक्षा, सैन्य शिक्षा, उन्नत प्रकार के व्यायाम, खेलकूद का अभ्यास कराने पर बल देता है। इस काल की शिक्षा को वह दो भागों में विभक्त करता है। १६-१८ वर्ष की शिक्षा और १८-२० वर्ष की आयु की शिक्षा। पहली शिक्षा शरीर को सबल बनाने के लिए भाँति-भाँति के व्यायाम सिखाने की शिक्षा है, जिसके द्वारा छात्र को सैनिक प्रशिक्षण के लिए तैयार करना है। द्वितीय १८ से २० वर्ष की आयु की शिक्षा में बालक-बालिकाओं को गुड़सवारी, शस्त्र संचालन, व्यूह रचना, युद्ध कला आदि की शिक्षा दी जानी चाहिए।

बीस वर्ष की अवस्था पूरी होने पर प्लेटो युवक-युवतियों के लिए बौद्धिक और क्रियात्मक शिक्षा की व्यवस्था करता है। इस परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले बच्चे ही उच्च शिक्षा के अधिकारी होंगे। "परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने वाले व्यक्तियों का निस्तारण और उच्च शिक्षा के लिए संरक्षक वर्ग के लिए व्यक्तियों का चुनाव निष्पक्ष भाव से किया जायेगा, इसमें धन, कुल आदि का कोई विचार नहीं किया जायेगा।"<sup>६</sup>

### **बीस से तीस वर्ष तक उच्च शिक्षा:**

बीस वर्ष की आयु पूरी करने एवं माध्यमिक शिक्षा के बाद की परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले व्यक्तियों के लिए

प्लेटो १० वर्ष (२० वर्ष से ३० वर्ष तक) की उच्च शिक्षा की व्यवस्था करता है। इस काल में युवक-युवतियों को अंकगणित, ज्यामितिशास्त्र, दर्शनशास्त्र, संगीत, नक्षत्र विद्या आदि वैज्ञानिक विषयों का ज्ञान प्रदान किया जायेगा। प्लेटो गणित विषय को अपनी अकादमी में सबसे अधिक प्रधानता देता था। वह गणित को दर्शनशास्त्र की प्रथम सीढ़ी के रूप में सबसे अधिक प्रधानता देता था। प्लेटो के शब्दों में “विशुद्ध सत्य की प्राप्ति में विशुद्ध बुद्धि का प्रयोग गणित से सीखा जाता है।”<sup>९</sup>

उच्च शिक्षा का दूसरा महत्वपूर्ण विषय ज्यामितिशास्त्र ःमवउमजतलद्ध गणित से ही सम्बन्धित था। इसके अतिरिक्त वह दर्शन, संगीत और ज्योतिष को भी संरक्षक वर्ग के लिए आवश्यक मानता है।

#### तीस वर्ष से पैंतीस वर्ष तक उच्च शिक्षा:

तीस वर्ष की आयु तक शिक्षा प्राप्त करने के बाद ‘प्लेटो’ एक परीक्षा की व्यवस्था करता है, इस परीक्षा में जो व्यक्ति अनुत्तीर्ण होंगे, उन्हें शासन में कनिष्ठ अधिकारी बना दिया जायेगा और जो युवक उत्तीर्ण होंगे उन्हें पाँच वर्ष तक अग्रिम अध्ययन के लिए चुन लिया जायेगा। यह उत्तीर्ण युवक ५ वर्ष तक डायलेक्टिक (दर्शनशास्त्र) का अध्ययन करेंगे और सच्चे ज्ञान को प्राप्त करेंगे। सत्य के ज्ञान से युवकों में सद्गुण उत्पन्न होगा। ३५ वर्ष आयु में यह व्यक्ति दार्शनिक अर्थात् ज्ञान प्रेमी हो जायेंगे।<sup>५</sup>

#### पैंतीस वर्ष से पचास वर्ष तक उच्च शिक्षा:

पैंतीस वर्ष की शिक्षा पूरी करने के बाद दार्शनिक वर्ग के व्यक्तियों की पुनः परीक्षा होगी। इसमें अनुत्तीर्ण व्यक्ति शासन के उच्च अधिकारी पदों पर भेजे जायेंगे। उत्तीर्ण होने वाले दार्शनिक व्यक्तियों को उच्चतम व्यवहारिक शिक्षा के लिए चुना जायेगा। प्लेटो ने अगले पन्द्रह वर्ष तक इन बुद्धिजीवी दार्शनिकों को संसार की पाठशाला में तूफानी थपेड़े और धक्के खाकर व्यवहारिक शिक्षा की व्यवस्था की है। इस प्रकार पचास वर्ष की आयु तक सांसारिक जीवन की कठोर परीक्षाओं में खरे उतरने वाले लोक व्यवहार और शास्त्रों का गम्भीर ज्ञान रखने वाले दार्शनिक ही प्लेटो की सम्मति में आदर्श शासक साबित हो सकते हैं।

प्लेटो स्त्री और पुरुष की शिक्षा में कोई भेद नहीं करता है। इसलिए उसने अपने ग्रंथ “रिपब्लिक” में लिखा है कि “पुरुष व स्त्री में कोई मौलिक भेद नहीं है, जो कार्य पुरुष कर सकते हैं, वे कार्य स्त्रियाँ भी कर सकती हैं। यह बात दूसरी है कि पुरुष अधिक बलवान होते हैं और स्त्रियों से कुछ शक्तिशाली दिखाई पड़ते हैं। पर भेद गुण का न होकर मात्रा का है।<sup>६</sup>

इस प्रकार प्लेटो जीवन भर बर्बर और असभ्य मानव को सभ्य सुसंस्कृत विवेकशील बनाने में जुटा रहा। उसने राजसी जीवन त्यागकर दार्शनिक का जीवन व्यतीत किया और अपनी शिक्षा योजना के माध्यम से बुद्धिमान, विवेकशील, नैतिक व पूर्ण सद्गुणी मानव समाज की

स्थापना करना चाहता था। उसका उद्देश्य शिक्षा द्वारा व्यक्ति को पूर्णता प्रदान करना था।

#### निष्कर्ष एवं शैक्षिक निहितार्थ:-

प्लेटो शिक्षा को सारी बुराइयों को जड़ से समाप्त करने का प्रभावशाली साधन मानता है शिक्षा आत्मा के उन्नयन के लिए आवश्यक है। शिक्षा व्यक्ति में सामाजिकता की आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम बनाती है। यह नैतिकता पर आधारित जीवन को जीने की कला सिखाती है। यह शिक्षा ही है जो मानव को सम्पूर्ण जीव जगत में सर्वश्रेष्ठ प्राणी होने का गौरव प्रदान करती है।

इस प्रकार प्लेटो शिक्षा को अत्यंत महत्वपूर्ण मानता है। व्यक्ति और राज्य दोनों के उच्चतम विकास को प्राप्त करना प्लेटो की शिक्षा का लक्ष्य है। वस्तुतः शिक्षा ही है जो जैविक शिशु में मानवीय गुणों का विकास कर उसे आत्मिक बनाती है। इस प्रकार प्लेटो का शिक्षा दर्शन शैक्षिक दृष्टि से अत्यन्त ही महत्वपूर्ण है।

आज के भौतिकवादी वैज्ञानिक युग में आत्म-संयम एवं धैर्य जैसे गुणों के स्थान पर सुविधा सम्पन्नता जैसी भोगवादी संस्कृति को जन्म देकर समाज को विभिन्न विकारों से युक्त कर दिया है। परिणाम स्वरूप आज का समाज विभिन्न आधुनिक सुख सुविधाओं से सम्पन्न होने के बाद भी द्वेष, ईर्ष्या, वैमनस्य, अनावश्यक प्रतिस्पर्धा जैसे दोषों के साथ ही मानसिक तनाव एवं विभिन्न शारीरिक कष्टों के विकराल स्वरूप से ग्रस्त है जिनका समाधान प्लेटो के आदर्शवादी नैतिक एवं संयमपूर्ण जीवन द्वारा सम्भव है।

प्लेटो का संयम, धैर्य, ज्ञान एवं न्याय वाली विचारधारा ही आज के ही युग में ‘चरित्र गया तो सब गया’ वाली विचारधारा के द्वारा वर्तमान समाजिक दोषों एवं भ्रष्टाचार का निवारण कर सकता है। इसके लिए एक तथ्य और भी आवश्यक है कि ‘शिक्षा मानव-निर्माण की प्रक्रिया है’ की अवधारणा को बाल्यावस्था से ही अपनाना होगा। क्योंकि यदि बालक को बचपन में धनार्जन की मशीन में तब्दील कर दिया तो फिर बालक के अन्दर भविष्य में ‘शिक्षा चरित्र निर्माण की प्रक्रिया है’ की संकल्पना को जागृत करना कठिन ही नहीं, मुश्किल हो जाता है। अतः माता पिता, परिवार, पड़ोसी आदि बालक को संस्कारी बालक बनाने वाले चरित्र का अनुकरण करायेंगे, तो फिर आज हम वास्तव में जिन गुणों से युक्त बालक को देखना चाहते हैं, वैसे ही बालक उत्पन्न होंगे, एवं जैसे बालक होंगे वैसे ही समाज बनेगा तथा जैसा समाज होगा, वैसे ही राष्ट्र बनेगा। फिर प्लेटो की यह अवधारणा भी चरितार्थ होगी कि जिस राज्य के नागरिक जैसे होंगे, वह राष्ट्र भी वैसे ही होगा।

### सन्दर्भ ग्रंथ सूची

- 1- Alfred Edward Taylor: Plato (The Man and his work), Modern Library, New York, 1956, page 1.
- 2- हरिदत्त वेदालंकार- पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन का इतिहास, सरस्वती सदन, दिल्ली 1994&95] पृ० १०१
- 3- शिक्षा दर्शन- राम शकल पाण्डेय, विनोद पुस्तक मंदिर आगरा, पृ० २१०
- 4- हरिदत्त वेदालंकार- पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन का इतिहास, सरस्वती सदन, दिल्ली 1994&95, पृ० १०२
- 5- प्लेटो- रिपब्लिक (कार्नफोर्ड), पृ० ३७७
- 6- हरिदत्त वेदालंकार- पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन का इतिहास, सरस्वती सदन, दिल्ली 1994&95] पृ० १०३
- 7- हरिदत्त वेदालंकार- पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन का इतिहास, सरस्वती सदन, दिल्ली 1994&95] पृ० १०६
- 8- प्लेटो- रिपब्लिक (कार्नफोर्ड), पृ० २३७
- 9- डॉ० राम शकल पाण्डेय- विश्व के श्रेष्ठ शिक्षाशास्त्री, विनोद पुस्तक मंदिर आगरा, पृ० २२

## बिहार के सिवान जिले में पंचायती राज व्यवस्था के सामाजिक भागीदारी

इंजमालउल अहमद अंसारी<sup>1</sup> डॉ० मो० शाहब उद्दीन<sup>2</sup>

<sup>1</sup>शोधार्थी राजनीति विज्ञान रिसर्च स्कॉलर वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय आरा भोजपुर बिहार


<sup>2</sup>हैड एण्ड डिपार्टमेंट राजनीति विज्ञान एसोसिएट प्रोफेसर जगजीवन कॉलेज आरा

Email-[inzamam.htw@gmail.com](mailto:inzamam.htw@gmail.com)

DOI-10.5281/zenodo.7431833

**भूमिका :-** पंचायती राज का अर्थ है कि 5 लोगों की एक परिषद भारत में 2/3 जनसंख्या गांव में निवास करती है महात्मा गांधी ने गांव को एक छोटा उप राज्य का स्थापना किया भारत में प्राचीन काल से ही पंचायती राज व्यवस्था अस्तित्व में रही है समाज का जगउधार अभी भी ग्राम पंचायत ही है भारत में पंचायती राज्य व्यवस्था में ग्राम तहसील तालुका जिला आते हैं पंचायती राज राज्य के भूमि में सम्मिलित है ब्रिटिश शासन काल में स्थानीय स्वायत्त शासन प्रथम प्रयास 1882 में वायसराय लार्ड रियन ने किया था 1907 में सही आयोग का गठन उसके बाद 1920 में संयुक्त प्रोत, असन बंगाल बिहार मद्रास के दौरान भी संघ ससस्त् लोगों के लिए पंचायती राज की व्यवस्था की गई भारतीय राजनीतिक प्रणाली का अभिन्न अंग पंचायती राज हैं इसका उद्देश्य सत्ता का विकेंद्रीकरण सबसे निचले पाददान की प्रत्यक्ष भागीदारी सुनिश्चित करना है राज्य के गति निर्देशक सिद्धांत के अनुच्छेद 40 में 29 तत्व को राजीव को ग्राम पंचायतों को स्वशासन के रूप में देखा गया है बलवंत राय मेहता समिति और कार्य में रयाली में सुधार के लिए सुधा सुझाव देने के लिए किया गया संविधान के 73वें संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया है 11वीं अनुसूचित जोड़ी गई जोड़ी गई जो पंचायतों की कार्यप्रणाली से संबंधित है अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति और महिलाओं के लिए रिजर्व की गई आरक्षण बिहार में अनिवार्य प्रधान के अलावे पिछड़े वर्ग से संबंधित आरक्षण को लागू किया गया है बिहार एक ऐसा राज्य है जो कि महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत की आरक्षण को सुनिश्चित करता है बिहार के राजनीतिक व्यवहार में 2004 से अलग तरह का रोचक बन गया है और यह जनकल्याणकारी साबित हुआ है जिससे कि एक से बढ़कर एक जन भागीदारी देखने को मिला सिवान जिले के धरती से पंचायती राज्य से निकल कर संसद तक की उपलब्धि हासिल किया है हर बार की तरह इस बार भी 2021 में काफी पंचायती राज की चुनाव में उथल-पुथल देखने को मिला है यहां तक कि सिवान जिला के लोगों में अपराधी छवि के आवेदक को दर किंग कर करती चली आ गई है जिससे बिहार की राजनीति में सुधार की गुंजाइश देखने को मिला है एक आम आदमी की सपना पंचायती अस्थान से भागीदारी निभाने में सहायक साबित हुआ है संविधान में पंचायतों के लिए तीन स्तरीय प्रणाली की परिकल्पना की गई है पंचायत राज भारत में प्रशासन की मूल इकाई जिसमें तीन स्तर शामिल है

### पंचायती राज



**सिवान की सामाजिक भागीदारी :-**सिवान जिला के तत्पर किया गया कार्य की संभवत धरातल पर देखने को मिलता है जहां भी ग्रामीण क्षेत्रों में किए गए योजनाओं की समीक्षा स्वतः प्रथम मिलता है (1) नल जल हरियाली (2) स्वस्थ (3) प्रौद्योगिकी (4) टेक्नोलॉजी (5) इंटरनेट पंचायत के द्वारा आजमाया गया है तो अब नेट की प्रवृत्ति को तेज गति दिया गया है गांव गांव को जोड़ने की कार्य किया जा रहा है केंद्र सरकार के द्वारा आदर्श ग्राम बनाने महत्वपूर्ण कदम उठाया पंचायतों में से एक पंचायत जीरादेई पंचायती राज को आदर्श ग्राम बनाने की निश्चय किया गया और बिहार सरकार के तरफ से सात निश्चय से सिवान जिला को विकास का धारा में तबदील हो

**गयापंचायती राज और मनरेगा में सामाजिक परिवर्तन :-** पंचायती राज मनरेगा की 2 फरवरी 2006 से 200 जिलों में लागू किया गया तथा बाद में 01 अप्रैल 2008 से इसे समूचे भारत में लागू कर दिया गया।

(1) एक योजना नहीं अभीतु एक अधिनियम के मध्य एक महत्वपूर्ण अंतर है की योजना को समाप्त किया जा सकता है लेकिन अधिनियमसामान्यतः स्थाई होता है

(2) मनरेगा के माध्यम से संविधान के नीति निर्देशक तत्वों में वर्णित कार्य के अधिकार को कानूनी रूप प्रदान किया गया है। मनरेगा के द्वारा ग्रामीण निवासियों को वर्ष में कम से कम 100 दिन का रोजगार अनिवार्य रूप से दिया जाता है।

(3) महिलाओं को ऑल निर्भर बनाने के लिए सूक्ष्म लघु उद्योग में भागीदारी है

(4) हर घर महिलाओं को परीक्षण अधिगम का व्यवस्था सरकार द्वारा कराया जा रहा है जो कि महिलाओं को कुशल बनाने के लिए माल व्यवस्था कराया जा रहा है। उन्हें प्रशिक्षण देने के बाद उत्पादन में भागीदार समझा जा रहा है

(5) महिलाओं को कौशल विकास का प्रशिक्षण करा रहा है। सबसे अधिक महिलाओं को ऊर्जावान बनाया गया है जो कि आज उनको रेलवे स्टेशनों पर भी सरकार द्वारा स्टाल लगाकर हस्तकरघा से बने सामानों को सीधे ग्राहकों के बीच सके ताकि उनके मेहनत का लाभ उन्हें सीधे-सीधे मिले ना कि बिचौलियों के हाथ में लगे। यहां तक कि बैंकों से उन्हें लोन की व्यवस्था किया जा सके। अलग-अलग तरह से व्यापार के नाम पर लोन की व्यवस्था सरकार द्वारा किया गया। भैंस बकरी कच्चे माल मधुमक्खी पालन मुर्गी अंडे कृषि बगवानी कड़ाई सिलाई कंप्यूटर प्रशिक्षण एवं हस्तलिपि हस्तकरघा का प्रशिक्षित किया गया महिलाओं को जीविकोपार्जन तहत एक मिशन में संगठित होकर फल सब्जी दूध अंडा को उत्पादन में अधिक बल मिला है।

**सिवान जिला पंचायत कर्मी:-** भारत के ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज मंत्रालय द्वारा भारी मात्रा वित्तीय

सहायता प्रदान किए जाने के बावजूद अभी भी पंचायतों के समक्ष वित्तीय समस्या का अभाव है। पंचायतों के पास अपने पदाधिकारी भी नहीं है। सामान्यः अखिल भारतीय सेवक या राज्यों के अधिकारी पंचायतों का प्रशासन करते हैं। अधिकांश राज्यों ने अभी भी विषयों में वीर्यत पंचायती राज्य की शक्तियों के उन्हें नहीं सौंपा है।

**समाज का वित्तीय समाधान :-** समाज को निर्भर बनाने के लिए सरकारी बैंक नाबाई, महिला बैंक एवं ग्रामीण बैंकों का संगठित किया जा चुका है। कृषि कर्मी कोई ऐसा बाधा ना आ सके जिसका निर्धारण सीधे-सीधे किया जाए परंतु सामाजिक उत्पादन के लिए विभिन्न विभिन्न योजनाओं का प्रस्तुत किया जाता है। अपने-अपने अपेक्षाओं को संतुष्ट करने के लिए सरकारी बैंकों का सहारा लेने हैं।

**ग्राम पंचायतों के कार्यों को प्रभावी बनाने के लिए समिति:-**

(1) **विकास समिति:-** इसका मूल कार्य कृषि, ग्रामीण उद्योग एवं ग्रामीण विकास योजनाओं का निर्माण करना है।

(2) **शिक्षा समिति:-** इसके द्वारा ग्राम पंचायतों शैक्षिक कार्यों का प्रबंध करती है। तथा 73वें संविधान संशोधन के बाद प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों पर ग्राम पंचायतों का नियंत्रण स्थापित कर दिया गया है। जिसके द्वारा ग्राम पंचायतों प्राथमिक शिक्षा में भोजन प्रबंध से लेकर छात्रवृत्ति के अवतन तक विद्यालयों के कार्यों की निगरानी करती है।

(3) **लोहित समिति:-** इसके द्वारा जन स्वास्थ्य एवं ग्रामीण कार्यों से संबंधित कार्यों या मामलों की देखभाल की जाती है।

(4) **समता समिति:-** इसके द्वारा महिलाओं बच्चों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों, के लोगों के कल्याण के लिए कार्य संपादित होते हैं।

बिहार के 11 जनता को देखकर योजना का क्रिमयावयम किया जाता है। यद्यपि जनता के हर तपके के लिए योजना का प्रचार प्रसार किया जाता है कि ऐसा कोई लोग वंचित ना रहे। और बिहार के विकास व अभी सरकार के द्वारा योजना को प्रदर्शित करने के लिए संस्कृति वातावरण, रेडियो, टीवी, पेड़ न्यूज़, अखबार एवं पत्रिका के माध्यम से सामाजिक उत्थान के भांति पहुंचाया जा सके बिहार सरकार ने अपेक्षा करके समाज सुधार के लिए प्रत्येक जिले में जाकर लोगों के बीच उत्थान के कार्य कर रहे हैं। शिक्षा का माहौल 2003 में शिक्षामित्र की बहाली करके बिहार की शिक्षा में जान फूंक दीया और उसके बाद फिर 2007 में सरकार ने फिर एक बार सरकार ने बहाली को दोहराया जिससे समाज में काफी हद तक महिलाओं को

चौकन से बाहर निकालने को मजबूर किया बिहार के शिक्षा स्तर में दर व दर वृद्धि किया आज के दौर में समाज शिक्षा की ललक और सोच को आधुनिक स्तर पर पहुंचा दिया है यहां तक की बिहार की लड़कियों को कमाने की एवं सेवा देने का अवसर प्राप्त हुआ बिहार की चौमुखी विकास के लिए हर संभव प्रयास रहा। बिहार के पंचायतों में 2006 में महिला आरक्षण प्राप्त हुआ बिहार की राजनीति में जागता-जियता महिलाओं को अधिकार प्राप्त हुआ आर्थिक, सामाजिक एवं विकास कार्य को उत्सुकता में जान फूंक दिया बिहार में सत्ता परिवर्तन के पश्चात राजद सरकार ने 13 फरवरी 2006 को एक अध्यादेश जारी कर बिहार पंचायती राज्य अधिनियम 1973 के विभिन्न प्रधानों को रूप से संशोधित किया। इस अध्यादेश के तहत एकल पदों यथा मुखिया, सरपंच, प्रमुख तथा जिला परिषद के अध्यक्ष हे तू भी आरक्षण का प्रावधान किया गया। 2001 के पंचायती राज के विभिन्न संस्थाओं के चुनाव में इन एकल पदों आरक्षण व्यवस्थापन पटना उच्च न्यायालय ने रोक लगा दी। इससे संबंधित प्रावधानों को असंवैधानिक घोषित कर दिया था, परंतु बाद में उत्तर प्रदेश तथा झारखंड के उच्च न्यायालय हो ने संबंधित राज्यों के पंचायती राज अधिनियम की व्यवस्था करते हुए एकल पदों हेतु आरक्षण के प्रावधानों को सर्वथा संवैधानिक करार दिया।

#### **निष्कर्ष:-**

प्रथम दृश्यता से हम देख पाते हैं कि पंचायती राज कपूर एवं सफल विकास के लिए सीधे-सीधे बड़ी

सदस्य के हस्तक्षेप होना चाहिए ताकि सफल रूप से योजनाओं का क्रियावयन किया जा सके। और गारंटी होनी चाहिए समिति समय के लिए उपलब्ध का करार होना चाहिए कि भ्रष्टाचार से मुक्ति मिल सके। इसी राह पर शिक्षा स्वास्थ्य कृषि रोजगार न्याय वन एवं पशुपालन की व्यवस्था को प्राथमिक स्तर से विस्तार होना चाहिए पंचायत समिति को किया गया कार्य को पदाधिकारी को अवगत कराना होगा। इसी आधार पर पंचायत का समीक्षा मुखिया को जिला पदाधिकारी को प्रस्तुत करना होगा और समस्या को समापन की कार्य किया जा सके।

#### **संदर्भ ग्रंथ सूची:-**

- (1) पंचायती राज्य व्यवस्था एवं ग्राम विकास, पो० चंद्रिका उकानी रावत प्रकाशन नई दिल्ली 2015
- (2) भारतीय स्थानीय स्वशासन चेतकर झा –डॉ० परमेश्वर झा० प्रकाशन –नोवाल्टी एंड कम्पनी – 2011
- (3) दैनिक जागरण समाचार पत्र
- (4) हिन्दुस्तान सामाचार पत्र
- (5) प्रभात सामाचार पत्र
- (6) बिहार पंचायती राज का वेबसाईट
- (7) यूतुव चैनल
- (8) पंचायती राज विकामीडीया
- (9) सोसल मिडिया
- (10) बिहार एक परिश्य- इस्तियाज अहमद रजनीश कुमार
- (11) योजना पत्रिका
- (12) सामाज एवं कल्याण विभाग होम पेज



## आधुनिक न्यायिक प्रणाली: चुनौतियां एवं समाधान (भारत के विशेष संदर्भ में)

विकाश रंजन

शोधार्थी राजनीति विज्ञान वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय आरा

Email- [vikashranjan.bpsc2020@gmail.com](mailto:vikashranjan.bpsc2020@gmail.com)

DOI- 10.5281/zenodo.7431869

### सारांश:-

विश्व का सबसे बड़ा संविधान होने का गौरव भारत को प्राप्त है, तो विश्व के सबसे लंबी न्याय प्रणाली का भी ताज हिंदुस्तान के मस्तक पर ही है। आज हमारे देश की न्याय प्रणाली अमीरों के हाथों की कठपुतली बनकर रह गई है। जो जब चाहे जैसे चाहे वैसे मोड़ सकता है, या यूं कहें की न्याय प्रणाली इन्हीं के अनुसार चलती है। भारतीय न्यायपालिका को पूरे विश्व में सबसे सख्त न्यायपालिका में से एक माना जाता है आधुनिक भारत की न्यायपालिका की संरचना भारत के संविधान द्वारा प्रदान की गई है तथा साथ ही इसे भारतीय संविधान के प्रहरी के रूप में नवाजा जाना इसके प्रतिष्ठा में चार चांद लगाने के समान है। लेकिन यह प्रहरी समय की धारा में बहते हुए भ्रष्टाचार की गोद में विश्राम कर रही है। यह अमीरों एवं राजनैतिक रसूखदारों की हाथ की कठपुतली के सामने समस्याओं का अंवार लगा हुआ है। जिसमें महत्वपूर्ण स्थान न्यायिक भ्रष्टाचार, लंबित मामलों का बैकलॉग, पारदर्शिता की कमी, विचाराधीन कैदियों की मुश्किले, समाज से परस्पर संवाद की कमी, न्याय का खर्चीला होना, न्याय में लेट लतीफी, समय पर न्याय न मिल पाना, किसी ने ठीक ही कहा है कि समय पर न्याय ना मिलना भी एक प्रकार का अन्याय ही है। आज हमारे देश में न्याय प्रणाली पर उंगली उठना लाजिमी है। क्योंकि जिस प्रकार के फैसले आते हैं वह फैसले या तो पहले ही सूलझ चुके है या यूं कहें कि उस फैसले का उस समय तक कोई महत्व नहीं रहा है।

**कीवर्ड:-** आधुनिक, न्याय, प्रणाली, समस्याएं, समाधान, भ्रष्टाचार, चुनौतियां

### परिचय:-

हमारे देश में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के अंतर्गत तीन प्रमुख स्वतंत्र शाखाएं है। कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका हमारे देश की आधुनिक न्याय प्रणाली अंग्रेजों के औपनिवेशिक शासन के दौरान बनाई गई थी। जिसको साधारण तथा कानून व्यवस्था के रूप में जाना जाता है, जो न्यायधीश अपने फैसले, आदेशों और निर्णयों से कानून का विकास करते है। न्यायपालिका हमारे देश के संविधान से शक्ति पाती है, और उसी के अनुरूप चलती है। हमारे देश में एक सर्वोच्च न्यायालय है जो कि दिल्ली में स्थित है। उसके नीचे विभिन्न राज्यों में उच्च न्यायालय तथा उसके नीचे जिलों में जिला अदालत आदि न्यायपालिका के अंग रूप में कार्य करते है। कानून को बनाए रखने और चलाने में न्यायपालिका की बहुत ही अहम भूमिका रहती है। निम्नतम से उच्चतर क्रम मे यदि बढ़ा जाय तो पंचायत स्तर पर ग्राम कचहरी, अनुमंडल स्तर पर अनुमण्डल कोर्ट, जिला स्तर पर जिला कोर्ट तथा राज्य स्तर पर हाई कोर्ट तथा सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट है, जो कि मानव के अधिकारों की रक्षा करता है।

### 1-सुप्रीम कोर्ट:-

हमारे देश में 28 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट का उदय हुआ उसके बाद भारत से औपनिवेशिक शासन के दौरान सुप्रीम न्यायिक प्रणाली के न्यायिक समिति की पृथीकाउंसिल और संघीय अदालत खत्म हुए। सुप्रीम कोर्ट में राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त एक मुख्य न्यायाधीश और 30 अन्य न्यायाधीश आते है। इन न्यायाधीशों का रिटायरमेंट 65

साल की उम्र में होता है। शीर्ष अदालत भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों के लिए बड़े पैमाने पर काम करती है। देश के विभिन्न सरकारों के बीच विवाद के कारण यह एक सुप्रीम अधिकारी भी है। इसके पास अपने द्वारा दिए फैसले को पुनः समीक्षा करने का अधिकार भी है, तथा साथ ही किसी हाईकोर्ट से दूसरी या एक जिला कोर्ट से दूसरी जिला कोर्ट में मामलों को हस्तांतरित भी करने का अधिकार है।

### 2-राज्यों में उच्च न्यायालय:-

राज्य स्तर पर न्यायिक शक्ति राज्य के उच्च न्यायालय को प्राप्त है। अब तक हमारे देश में 25 उच्च न्यायालय है। जिनका क्षेत्राधिकार राज्य, केंद्र शासित प्रदेश या राज्यों के समूह पर होता है। 1862 में स्थापित होने के कारण कोलकाता हाईकोर्ट देश का सबसे पुराना न्यायालय है। राज्य के अपीलीय प्राधिकारी होने के चलते हाईकोर्ट के पास सुप्रीम कोर्ट की तरफ अधिकार एवं शक्तियां प्राप्त है। सभी हाईकोर्ट हमारे देश की सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत आते हैं।

### 3-जिला और अधीनस्थ न्यायालय:-

जिला और अधीनस्थ न्यायालय उच्च न्यायालय की तरह होती है। इन अदालतों का क्षेत्र जिला के अंतर्गत ही होता है। जहां जिले भर के सभी प्रकार के विवादों को देखने का अधिकार है लेकिन यह अदालत उच्च न्यायालय के नीचे होता है। पूरे जिले के क्षेत्र पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश का अधिकार होता है। जब सिविल मामलों का संचालन करता है तो जिला जज के रूप में तथा अपराधिक मामलों का न्याय करते समय व सत्र न्यायाधीश के रूप में कार्य करता है। राज्य सरकार द्वारा मेट्रोपॉलिटन के रूप में मान्यता प्राप्त शहर या इलाके की जिला अदालत में अध्यक्षता करने पर

उसे मेट्रोपॉलिटंस सत्र न्यायाधीश के रूप में संबोधित किया जाता है। जिला न्यायाधीश हाईकोर्ट के बाद सबसे बड़ी न्यायिक प्राधिकरण होता है। जिला अदालतों का भी अधीनस्थ अदालतों पर अधिकार होता है। निचली अदालतों के सिविल मामलों को देखने के लिए जूनियर सिविल जज कोर्ट, प्रिंसिपल जूनियर सिविल जज कोर्ट, वरिष्ठ सिविल जज कोर्ट देखते हैं। निचली अदालत ध्यान दिया जाए तो इसका रूप सिविल मामलों को देखने के क्रम में द्वितीय श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट की कोर्ट, प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट अदालत और मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कहलाते हैं।

### **3-A-ट्रिब्यूनल कोर्ट:-**

सामान्य रूप में ट्रिब्यूनल किसी व्यक्ति या संस्था को कहा जाता है। जिसके पास न्यायिक कार्य को संचालित करने का अधिकार हो उदाहरण स्वरूप एक न्यायाधीश वाली अदालत में भी हाजिर होने पर वकील उस जज को ट्रिब्यूनल ही कहेगा।

### **3-B-फास्ट ट्रेक कोर्ट:-**

हमारे देश में फास्ट ट्रेक कोर्ट यानी एफ टी सी का लक्ष्य जिला और सेशन अदालतों में केसों के बैकलॉग दूर करने का है। इन अदालतों के काम करने का तरीका भी सत्र और ट्रायल कोर्ट जैसा ही है। शुरुआत में फास्ट ट्रेक कोर्ट को लंबे समय से लंबित पड़े मामलों को देखने के लिए बनाया गया था पर बाद में उन्हें विशिष्ट मामले को देखने के लिए निर्देशित किया गया जो कि मुख्य तौर पर महिलाओं और बच्चों से जुड़े हुए थे।

### **4-लोक अदालत:-**

लोक का मतलब "लोग" और अदालत का मतलब "कोर्ट" है। यानी लोगों का कोर्ट जहां पर गांधीवादी सिद्धांतों का प्रतिपादन होता है तथा ग्राम पंचायत और पंच परमेश्वर की भूमिका में मामलों का निपटारा करती है। लोक अदालत में मोटर दुर्घटना मुआवजे का मामला, वैवाहिक एवं परिवारिक विवाद, भूमि अधिग्रहण के विवाद एवं विभाजन के दावे आदि देखे जाते हैं।

### **5-न्यायिक प्रणाली की चुनौतियां:-**

विश्व की सबसे पुरानी न्यायिक प्रणाली में से एक भारतीय न्यायिक प्रणाली है। आज के दौर में न्यायिक प्रणाली की रूपरेखा हमारे देश के सर्वोच्च कानून यानी भारतीय संविधान से प्राप्त करता है। हमारी न्यायिक प्रणाली आम कानून प्रणाली के साथ नियामक कानून और वैधानिक कानून का पालन करती है। हमारी न्याय प्रणाली की एक प्रमुख विशेषता यह है कि यह विरोधात्मक प्रणाली पर आधारित है यानी इसमें कहानी के दो भागों को एक तटस्थ जज के सामने पेश किया जाता है। जो कि तर्क और मामले को सबूतों के आधार पर फैसला सुनाता है। समय के रफ्तार के अनुसार हमारी न्यायिक प्रणाली में कुछ निहित चुनौतियां उत्पन्न हो गई जो इस प्रणाली की दोष एवं कमजोरियां प्रगट कि है। जिसे तुरंत ही सुधारात्मक उपायों से ठिक करना

अत्यंत ही आवश्यक है अन्यथा यह नासूर बन कर रह जाएगा।

### **5-A-न्यायपालिका में भ्रष्टाचार:-**

सरकार के अन्य संस्थाओं में जिस प्रकार से भ्रष्टाचार व्याप्त है उसी प्रकार से भारत के न्यायिक प्रणाली में भी भ्रष्टाचार ने अपना पैर पसार लिया है। हाल के दिनों में कुछ भ्रष्टाचार की घटनाएं घटी हैं जिनमें प्रमुख स्थान सी डब्लू यू जी घोटाला, 2G घोटाला, आदर्श सोसायटी घोटाला और बलात्कार सहित समाज में हो रहे अन्य अत्याचारों ने नेताओं और गणमान्य व्यक्तियों और आम जनता सभी के आचरण पर जोर डाला है और भारतीय न्यायपालिका के काम के तरीकों में भी कमियां दिखाई हैं जहां पर जवाबदेही की कोई व्यवस्था नहीं है। यहां मीडिया भी अवमानना के डर से साफ तस्वीर पेश नहीं करता है। रिश्तत लेने वाले किसी जज के खिलाफ बिना मुख्य न्यायाधीश की इजाजत के एफ आई आर दर्ज करने का कोई प्रावधान नहीं है।

### **5-B-लंबित मामलों का बैकलॉग:-**

हमारे देश के न्यायिक प्रणाली में लंबित मामलों की बात की जाए तो सुप्रीम पहाड़ के समान नजर आता है जो कि विश्व की सबसे ज्यादा लंबित मामले में से एक है। एक रिपोर्ट के अनुसार लंबित मामलों का बैकलॉग 30 मिलियन मामलों का है। इनमें से चार मिलियन हाईकोर्ट में, 65000 सुप्रीम कोर्ट में है यह आंकड़े लगातार बाढ़ की पानी की तरह बढ़ रहे हैं। जिससे कानून की अकर्मण्यता नजर आती है। जजों की संख्या बढ़ाने और ज्यादा कोर्ट बनाने की बात तो की जाती है लेकिन इसको धरातल पर आने में हमेशा ही देर होती है, या यूं कहें कि समय पर पहुंच नहीं पाती तभी तो वकीलों के इस स्वर्गपुरी में गरीब अपने न्याय को पाने के लिए तरस रहा है तथा न्याय के चौखट पर दस्तक देते देते अपना दम तोड़ देता है। और अमीर लोग अच्छे वकीलों का सहारा लेकर कानून के फैसलों को अपने पक्ष में कर लेते हैं। लंबित मामलों के बैकलॉग के कारण भारतीय जेलों में बंद कैदी भी पेशी के इंतजार में ही रह जाते हैं एक रिपोर्ट में यह भी मिला है कि भारत का आर्थिक हब मुंबई के अदालतों में सालों पुराने जमीनी मामलों के बोझ तले दबी हुई है जिससे शहर के औद्योगिक विकास में भी बड़ी रुकावट आई है।

### **5-C-पारदर्शिता की कमी:-**

भारतीय न्यायिक प्रणाली की सबसे बड़ी समस्या उसमें पारदर्शिता का ना होना है यह देखा गया है कि सूचना के अधिकार को पूरी तरह से कानूनी प्रक्रिया से बाहर रखा गया है। इसीलिए न्यायपालिका के कामकाज में महत्वपूर्ण मुद्दों जैसे न्याय और गुणवत्ता को ठीक से नहीं जाना जाता है जेल में बंद कैदियों पर विचार किया जाता है तो पाते हैं कि बहुत से ऐसे कैदी विचाराधीन हैं जो फैसला के इंतजार में अपने पाए सजा से भी ज्यादा सजा तक का समय जेल में बिता चुके होते हैं। इसके अलावा दूसरे तरफ बंदी के रूप में काटे सजा से भी ज्यादा कष्टकारी तो खुद के बचाव में किए खर्च और मानसिक तथा शारीरिक दर्द होता है वहीं पर अमीर लोग पुलिस को अपनी ओर करके अदालत में लंबित मामलों

के दौरान गरीब व्यक्तियों को परेशान करके या चुप करा करके फैसले को अपने पक्ष में करा लेते है।

#### 5-D-समाज में परस्पर संवाद की कमी:-

किसी भी देश की न्यायपालिका समाज कि एक अभिन्न अंग होती है। उसका समाज से नियमित और प्रासंगिक परस्पर संवाद होता है कुछ देशों में तो न्यायिक निर्णय में भी आम नागरिकों की भूमिका होती है। हमारे देश के न्यायपालिका का समाज से कोई सरोकार नहीं है जो कि इसे ब्रिटिश सेटअप से विरासत में मिला है। 75 वर्षों के आजादी के सफर के बाद भी हम ब्रिटिश वाली दबंग और कपट पूर्ण तरीके से अमीरों के हाथों की कठपुतली नजर आते है। गरीबों के लिए सुलभ न्याय व्यवस्था नजर नहीं आती हमारे देश की न्याय व्यवस्था बिना जांचे भी कैद में रखने का अधिकार रखती है। जिससे एक वर्ग को मानसिक दबंगता प्राप्त होती है जो सुलभ कानून व्यवस्था के स्तन में खंजर के समान है।

सच तो यह है कि वर्तमान न्याय प्रणाली लोकतांत्रिक प्रक्रिया, मानदंड और समय के अनुकूल नहीं है और सिर्फ समाज के एक वर्ग को खुश करने और उनके निहित स्वार्थ के लिए काम करती है इसलिए इसके तुरंत पुनर्गठन की आवश्यकता है।

#### 5-E-न्यायिक भाषा का जटिल होना:-

हमारे देश में अत्यधिक आबादी आज भी गांव में निवास करती है। जिसका अपना खुद का एक भाषा होती है उनके पास कोर्ट की भाषा नहीं होती है अतः इसका सज़ा उसे हमेशा मिलता रहता है जिसका फायदा वकील उठाते रहते हैं और वह तारीख पर तारीख लेकर उस अज्ञात फैसले के पीछे दौड़ता रहता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि आधी से ज्यादा आबादी को भाषा ना समझ में आने के कारण भी अदालत में केशों का अंवार लगा रहता है। इस समस्या से निजात पाने के लिए सरकार को बहुआयामी रास्ता अपनाना चाहिए।

#### 6-सार्थक समाधान:-

हमें सिंगापुर के न्यायालय से कुछ सबक सीखना चाहिए जहां पर न्यायालय मे लगने वाले दिनों के हिसाब से वादी प्रतिवादी से टैक्स लिया जाता है। जिसके बदौलत कम दिन में ही मुकदमा का निपटारा हो जाता है।

6-क-यह सुनिश्चित करने के लिए की सामाजिक आर्थिक अथवा अन्य असमर्थताओं के कारण देश का कोई भी नागरिक न्याय के अवसरों से वंचित न हो इसके लिए गांवों में ग्राम न्यायालयों की स्थापना यथाशीघ्र होना चाहिए।

6-ख-हमारे देश में आबादी के हिसाब से पारदर्शी तरीकों से जजों की बहाली होनी चाहिए।

6-ग-प्रभावी कार्यवाही और जांच प्रणाली में सुधार के लिए पुलिस प्रशासन को अधिक संसाधन प्रदान करने की आवश्यकता है।

6-घ-वैकल्पिक विवाद समाधान प्रणाली को मजबूत किया जाना चाहिए और लोगों को इसके बारे में अवगत कराया जाना चाहिए।

6-ङ-जिन राज्यों में मुकदमों का बोझ अधिक है वहां पर विशेष अदालतों का गठन होना चाहिए।

6-च-न्याय व्यवस्था में सुधार की करवाई निचली स्तर से करना चाहिए फौजदारी, दीवानी और आर्थिक अपराध के लिए अलग-अलग अदालतें गठित की जानी चाहिए।

6-छ-सुनवाई की तारीखों का अधिकतम अंतराल तय होना चाहिए जब तक आवश्यक न हो वकीलों को अगली सुनवाई की तारीख नहीं मांगनी चाहिए।

6-ज-अपनी भाषा में न्याय पाने का अधिकार होना चाहिए न की गुलामी की भाषा में जो कि उसके समझ से परे है।

6-झ-न्यायालय पर से अमिरो, नेताओं एवं दबंगों की पकड़ ढीली होनी चाहिए।

6-ट-न्यायिक भाषा भारतीय होनी चाहिए एक रिपोर्ट के अनुसार भारत की कुल आबादी का 2001 की जनगणना के अनुसार 43% जनसंख्या हिंदी को अपनी प्रथम भाषा के तौर पर स्वीकार करती है वही कुल जनसंख्या का 0.2% अंग्रेजी को प्रथम भाषा के रूप में मानना चाहती है अतः इस रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए न्यायिक भाषा हिंदी होनी चाहिए।

#### 7-निष्कर्ष:-

समय पर न्याय पाना व्यक्ति का अधिकार है यह संभव तभी हो सकता है जब हम ईमानदारी पूर्वक न्यायालयों में सुधार करें हमारे देश में न्यायिक सुधार की सिर्फ चर्चा की जाती है अमलीजामा पहनाने के तरफ कदम नहीं बढ़ाया जाता इसके लिए सरकारों न्यायाधीशों एवं अधिवक्ताओं पर निर्भर होने के बजाय आम जनता को भी आगे आना चाहिए अदालतों में लंबित मुकदमों की सुनवाई से ही हमारी न्यायिक प्रणाली नहीं सुधर सकती बल्कि पुराने एवं अप्रासंगिक हो चुके कानूनों में भी संशोधन की आवश्यकता है। अदालतों को अत्याधुनिक तकनीकी से लैस करने एवं सुरक्षित न्यायिक परिसर बनाने पर भी गौर करना चाहिए। न्यायपालिका में व्याप्त खामियों को भी दूर करने का प्रयास किया जाना चाहिए।

आज हमारे देश में जरूरत है कि न्याय को सुलभ सस्ता और न्यायिक प्रक्रिया को जनोन्मुखी बनाने के लिए कानूनों के साथ-साथ न्यायपालिका में संगठनात्मक प्रक्रियात्मक, प्रशासनिक तथा सांस्कृतिक बदलाव किया जाए जिससे जनता को अदालतों में होने वाली कठिनाइयों और परेशानियों से बचाया जा सके।

#### 8-संदर्भ ग्रंथ सूची:-

1-भारतीय राज्य व्यवस्था, राजेश मिश्रा

2-संवैधानिक कानून के अध्ययन की एक भूमिका, ए वी डायसी

3-भारतीय दंड संहिता, बसंती लाल बाबेल

4-दैनिक जागरण समाचार पत्र संपादकीय

5-सभी के लिए कानून, दीपक कुमार महर्षि

**6-**दृष्टि आईएस का आलेख

**7-**सुप्रीम कोर्ट का वेबसाइट

**8-**भारतीय संविधान, डीडी बसु

**9-**संविधान दिवस पर दिए गए भाषण का अंश

**10-**आम जनों का साक्षात्कार

## भारतातील राजकीय स्थिरता आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे योगदान

डॉ दत्ताजी हुल्लप्पा मेहत्रे

राज्यशास्त्र विभाग प्रमुख राजीव गांधी महाविद्यालय मुदखेड

DOI-10.5281/zenodo.7431892

### सारांश

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचा विचार सर्वसाधारणपणे 'आंबेडकरवाद' म्हणून ओळखला जातो. डॉ. आंबेडकरांनी 'आंबेडकरवाद' नावाची अशी कोणती विचारप्रणाली सूत्रबद्ध पद्धतीने मांडलेली नाही. आंबेडकरवाद हा शब्द बाबासाहेबांच्या निधनोत्तर काळात अभ्यासला गेला. दलित पँथरच्या आणि दलित साहित्याच्या उदयानंतर तो रूढ झाला. बाबासाहेबांचे विचार, लेखन, ग्रंथ, वेगवेगळ्या प्रसंगातील भाषणे आणि वर्तमानपत्रातील अग्रलेख यांच्यातील विचारांच्या संग्रहाला 'आंबेडकरवाद' म्हणता येईल. हा विचार पाहताना बाबासाहेबांनी अनेकदा परिस्थितीनुसार भूमिका बदललेल्या दिसतात. तेव्हा कोणती भूमिका योग्य याबाबत अनुयायांमध्ये संभ्रम असतो. कोणत्याही महामानवांची भूमिका नंतर मांडलेली योग्य मानली जाते.

महाराष्ट्राच्या वारशाची विचार परंपरा छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या पासून सुरू होते. महात्मा फुले, राजश्री शाहू महाराज आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर पर्यंत संपवली जाते. छोट्या मोठ्या उद्दिष्टांच्या पूर्तीसाठी महापुरुषांना वेठीस धरणे ही भारतीयांच्या दृष्टीने फारशी नावीन्यपूर्ण गोष्ट नाही. पोट भरण्यासाठी आणि राजकीय पोळी भाजून घेण्यासाठी लोकांनी देव आणि महापुरुषांना सोडले नाही. व्यक्तीपूजा हे भारतीयांचे अनन्य साधारण वैशिष्ट्य आहे. बाबासाहेबांनी आयुष्यभर व्यक्तीपूजेला विरोध केला. व्यक्तीपूजा मान्य केली की मानवी कार्य आणि कर्तृत्वाचे दैविकरण होते. मानवी विवेक नष्ट होतो आणि ज्ञानार्जनाची प्रक्रिया थांबते. विवेक जागृत ठेवून ज्ञान आर्जनाची प्रक्रिया कायम ठेवायचे असेल तर महापुरुषांच्या विचारांचे मूल्यांकन होण्याची गरज आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी गांधीजी, जीना आणि रानडे या महापुरुषांची जी चिकित्सा केली, चिकित्सा परिपूर्ण होती असा बाबासाहेबांनी कधीही दावा केला नव्हता. उलट आपण केलेल्या मीमांसाचे परीक्षण व्हावे आणि यापेक्षा अधिक चांगली मीमांसा केली तर त्याचे पूर्णपणे स्वागत आहे. अशी भूमिका घेतली. बाबासाहेबांनी बुद्धावर अतिशय प्रेम केले. त्यांच्या धम्माचे ते अनुयायी झाले. बुद्ध धम्म ही स्वीकारला. परंतु बुद्ध हा मातीचे पाय असलेला माणूसच होता. हे त्यांनी आपले अनुयायांना पुन्हा पुन्हा सांगितले. बाबासाहेबांनी बुद्धाकडे ज्याप्रकारे पाहिले त्या प्रकारे बाबासाहेबांकडे आपण पाहिले पाहिजे असे वाटते.

महापुरुषांना आपल्या जीवन कालखंडात स्वतःशी संघर्ष करून आणि भोवतालच्या परिस्थितीचे वास्तव मूल्यमापन करून स्वतःला घडवावे लागते. महापुरुषांचे हे स्वतःचे घडणे, आपण दृष्टीअड केले तर आपण शब्दप्रामाण्यवादी बनण्याचा धोका मोठा असतो. शब्दप्रमाणवाद हा पुरोगामी किंवा प्रतिगामी असत नाही. तो मूलतत्त्वादाला जन्म देणार असतो. हा मूलतत्त्ववाद माणसांना धर्म वेडे बनवतो. धर्मवेडेपणा लोकांना काही काळ संघटित करण्यासाठी यशस्वी होऊ शकतो. परंतु व्यापक समाज पुनर्रचना करू शकत नाही. महापुरुषांच्या विचारांच्या मूल्यांकनाच्या दोन कसोट्या असतात.

- 1) विचारांची गुणात्मकता
- 2) परिस्थितीनुरूपता

वरील दोन्ही घटकावर बाबासाहेबांचे विचार पाहणे आवश्यक वाटतात. बाबासाहेबांचा जन्म १८९१ मध्ये झाला. या काळात ब्रिटिशांनी भारतात आपले राज्य मजबूत केले होते. रेल्वे आणि टपाल सुविधा सुरू होऊन भारतात आधुनिक दळणवळणाची सुरुवात झाली होती. राजा राममोहन राय, महात्मा फुले यांच्या विचार कार्यामुळे प्रबोधन युगाची सुरुवात झाली. 1857 च्या पार्श्वभूमीवर ब्रिटिशांकडून भारतीयांचा असंतोष कमी करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात सुधारणा कायदे देण्यास सुरुवात केली होती. ब्रिटिश साम्राज्याला तात्विक विरोध म्हणून राष्ट्रीय काँग्रेसच्या रूपाने सामाजिक संघटनात्मक मूल्य वाढले होते. या पार्श्वभूमीवर भारतीय समाजातील जात

आणि धर्माचे आधारे ब्रिटिश शासन प्रतिनिधित्व देत होते .त्यातील अधिकाधिक भाग आपल्याला कसा मिळेल या दृष्टीने जाती आणि धार्मिक गट प्रयत्न करत होते. त्याचाच परिणाम मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, साम्यवादी पक्षाची स्थापना झालेली दिसते .

या सर्व परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर डॉक्टर आंबेडकरांना आपल्या चळवळीची उभारणी करावी लागली. ती करित असताना भारतीय समाज व्यवस्थेबद्दल नवे चिंतन मांडावे लागले. राजकारणात तात्विक प्रश्नावर भूमिका घ्याव्या लागल्या. ज्या भूमिका ब्रिटिश साम्राज्य राष्ट्रीय काँग्रेस, मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा यासंबंधी होत्या .त्यांनी केवळ हौस म्हणून तत्त्वज्ञानाची मांडणी केली नाही किंवा विश्वाचे मूळ शोधून काढण्याचा प्रयत्न केला नाही. प्रस्थापित शोषणाची व्यवस्था बदलण्यासाठी, जगाच्या पुनर्रचनासाठी तत्त्वज्ञानाची मांडणी केली. भारतीय समाजात असणारी जाती संस्था आणि तिने मानवतेला फासलेला काळीम त्यांच्या दृष्टीने एक राष्ट्रीय प्रश्न होता. तसाच भारतातील दारिद्र्य आणि त्यातून जन्मलेली युगान युगाची गुलामी हा प्रश्न त्यांच्या चिंतनाचा विषय होता. माणसाला माणूस म्हणून मान्यता मिळविणे हे त्यांचे आयुष्याचे प्रयोजन होते .

जगाला दिशा देणाऱ्या कोणत्याही नेत्यापेक्षा बाबासाहेब महान का ठरतात याचे महत्त्वाचे कारण म्हणजे अनेक नेत्याकडे नेतृत्व, लोकसंघटन किंवा व्यासंग यापैकी एक असते. ज्या नेत्याकडे नेतृत्व आणि लोक संघटन होते त्यामध्ये वाशिंग्टन, लेनिन, स्टॅलिन, महात्मा गांधी, अब्राहम लिंकन, नेपोलियन अशा अनेक लोकांची नावे घेता येतील. लिखाण, चिंतन आणि व्यासंगातून समाज परिवर्तन करणाऱ्या लोकांमध्ये कार्ल मार्क्स, न्यूटन, टॉलिस्टाय, कोपर्निकस, आईन्स्टाईन, डार्विन इत्यादींचा उल्लेख करता येईल. वरील दोन्ही गुणांचा संगम असणारे हे एकमेव नेते आहेत. महालात बसून तत्त्वज्ञानाची जुमले बांधणे तसेच सोपे असते . तत्त्वज्ञानाचा व्यवहारात आणणारे बाबासाहेब एकमेव आहेत .

शशी थरूर यांचे नुकतेच 'आंबेडकर द लाईफ' नावाचे पुस्तक प्रकाशित झाले. या पुस्तकात प्रस्ताविक भूमिका मांडताना आपण बाबासाहेब लिखाणासाठी का निवडला या संदर्भात भूमिका मांडतात . 2012 मध्ये 'द ग्रेटेस्ट इंडियन' सर्वे करण्यात आला. त्यात गांधी, पटेल आणि नेहरू यांच्यासह

आंबेडकरांचा समावेश होता. यात प्रथम पसंती डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांना होती. खरंतर शशी थरूर यांच्यासारख्या माणसाने बाबासाहेब लिहिणे यातच बाबासाहेबांचे मोठेपणा आहे .

आधुनिक भारताच्या जडणघडणीत बाबासाहेबांचे भारतातील राजकीय स्थिरता आणि राष्ट्रीय अखंडत्व या संदर्भात महत्त्वाचे योगदान आहे. 20 वे शतक हे आशिया खंडातील संघर्ष आणि अस्थिरतेचे शतक म्हणून ओळखले जाते. लिबिया, सिरिया, इराक, इराण, श्रीलंका, पाकिस्तान या राष्ट्रात सातत्याने राजकीय अस्थिरता राहिली आहे. वंशवाद आणि संप्रदायवादामुळे ही राष्ट्र लोकशाही तत्त्वापासून दूर गेली आहेत. अशा परिस्थितीत भारत यशस्वीपणे लोकशाही प्रक्रिया राबवून आपले 75 वी साजरी करतो आहे. याचे सर्वश्रे 1920 ते 1956 या काळात बाबासाहेबांच्या सामाजिक मंथनाला जाते.

#### सामाजिक समता आणि प्रतिष्ठा निर्मितीसाठी प्रयत्न:

प्राचीन काळापासून देशात मोठ्या प्रमाणात अस्पृश्यता होती. दलिताना सार्वजनिक ठिकाणी पाणी भरण्याचा अधिकार नव्हता. रस्त्याने सकाळी आणि संध्याकाळी फिरता येत नव्हते. शिक्षणाचा अधिकार नव्हता. धर्मग्रंथ वाचले तर जीभ कापून टाकण्यासारखे शिक्षा दिली जात होते. अशा परिस्थितीत बाबासाहेबांनी अस्पृश्यांमध्ये आत्मभान निर्माण केले. ज्या कामातून प्रतिष्ठा मिळत नाही असे काम करावयाचे नाहीत. कितीही पैसे मिळाले तरी असा संदेश दिला. बाबासाहेबांनी स्वतः अस्पृश्यता अनुभवले होते. उच्चशिक्षित असूनही अपमानास्पद वागणूक कर्मचाऱ्यांकडून मिळाली होती. शिक्षणातून आत्मभान निर्माण होते. हा बाबासाहेबांचा विश्वास होता. म्हणूनच त्याने 'शिका संघटित व्हा आणि संघर्ष करा' असा नारा दिला . बाबासाहेबांचे प्रयत्न, संघर्ष आणि कार्यामुळे लोकजागृती वाढायला लागली. काही प्रमाणात सामाजिक समता निर्माण झाली. संविधान कलम 17 नुसार अस्पृश्यता पाळणे हा कायद्याने गुन्हा ठरविण्यात आला. लोक हळूहळू सामाजिक, आर्थिक, राजकीय प्रक्रियेत सहभागी होऊ लागले आणि देश स्थिरतिकडे जाऊ लागला. स्वातंत्र्यापेक्षा सामाजिक सुधारणेला बाबासाहेब का महत्त्व देत होते त्याचे महत्त्वाचे कारण म्हणजे, माणसाला जेव्हा अन्ययाची जाणीव होते तेव्हा माणूस संघर्षशील बनतो. बाबासाहेबांनी सामाजिक समतेचे कार्य केले नसते तर आज दलित आणि प्रस्थापितांमध्ये सामाजिक संघर्ष निर्माण झाला असता. बाबासाहेबांच्या सामाजिक समतेच्या कार्यामुळेच देश स्थिर आहे .

### संविधान निर्मितीचे कार्य:

सुरुवातीला संविधान सभा निर्मितीलाच बाबासाहेबांचा विरोध होता. संविधान सभा निर्माण करण्यासाठी म्हणून 1935 च्या कायद्यानुसार जे प्रांतिक सरकारे निर्माण झाली होती त्या सदस्यांना मतदानाचा अधिकार दिला होता. या निवडणुकीत शेडूल कास्ट फेडरेशन ला पुरेशी प्रतिनिधी निवडून आणण्यात यश आले नाही. तेव्हा संविधान सभेत निवडून येण्यासाठी पुरेशी मते जमवणे शक्य नव्हते. म्हणून मित्र जोगेंद्रनाथ मंडल यांच्या मदतीने मुस्लिम लीगच्या सहकार्याने पश्चिम बंगाल मधून घटना परिषदेवर पाठविण्यात आले. घटना परिषदेतील पहिल्याच भाषणात प्रबळ केंद्र सरकारन, संघराज्याचे शिफारस केल्यामुळे पंडित जवाहरलाल नेहरू बाबासाहेबांवर प्रभावित झाले होते. योगायोगाने बाबासाहेब निवडून आलेला प्रांत पाकिस्तान मध्ये गेल्यामुळे बाबासाहेबांचे घटना परिषदेचे सदस्यत्व रद्द झाले. बॅ. जयकर राजीनामा दिल्यामुळे मुंबई प्रांतातून काँग्रेसच्या सहकार्याने घटना परिषदेवर बाबासाहेबांना पुन्हा पाठविण्यात आले. बाबासाहेब मसुदा समितीचे अध्यक्ष म्हणून संविधान निर्मितीचे महत्त्वपूर्ण कार्य केले.

बाबासाहेब संविधानावर खूप खुश होते असे नाही. त्यांना त्यांचा 'राज्य समाजवाद' प्रत्यक्ष संविधानात घेता आला नाही. कारण बाबासाहेबांचे संविधान सभेत बहुमत नव्हते. बहुमत राष्ट्रीय काँग्रेसचे होते. घटना परिषदेच्या मान्यते शिवाय कोणतेही कलम संविधानात घेता येत नव्हते. बाबासाहेबांची इच्छा असूनही अनेक घटक संविधानात सहभागी करता आले नाही. संविधान निर्मितीनंतर बाबासाहेब म्हणतात, "भारतीय राज्यघटनेसारखे एक विचित्र मंदिर आम्ही देवतांसाठी निर्मिले परंतु तेथे देवता निर्माण होण्यापूर्वी त्याचा कब्जा सैतान घेतला आहे. आता आपण एकच गोष्ट करू शकतो आणि ती म्हणजे मंदिराला जाळून भस्म करणे" "घटना परिषदेत मी फक्त भाड्याचा घोडा होतो" अशी ही विधान बाबासाहेबांनी नंतर केलेले आढळून येते.

बाबासाहेबांना संविधानाचे शिल्पकार करून दोन गोष्टी साध्य झाल्या

- 1) भारतीय स्वातंत्र्याला 75 वर्षे पूर्ण होऊन दलित वर्गात फार सामाजिक आणि आर्थिक बदल झाले आहेत असे नाही. तरी या लोकांचा संविधानावर विश्वास आहे.
- 2) संविधान बाबासाहेबांनी निर्माण केले असल्यामुळे संविधानाच्या संरक्षणाची जबाबदारी दलितांवर आली.

मुलत: जगातील कोणतीही क्रांती

प्रस्थापिकाकडून कधीही झालेली नाही. ती 'नाही रे' वर्गाकडून झालेली आहे आणि भारतातील नाही रे वर्ग संरक्षणाच्या भूमिकेत असेल तर क्रांती कोण करणार ?

### धर्म परिवर्तन:

डॉ बाबासाहेबाप्रमाणे जगातील कोणतेही महापुरुषाने धर्माचे चिकित्सा केली नाही. देशातील अस्पृश्यांच्या स्थितीला कट्टर हिंदू, धर्मग्रंथ जबाबदार आहेत. प्रतीकात्मक स्वरूपात मनुस्मृतीचे दहन करून, हिंदू धर्माच्या विरोधात बंड पुकारला. बाबासाहेब धर्मनिष्ठ, धर्मनिरपेक्ष किंवा यहवादी होते याबाबत अनेक विद्वानांनी चिकित्सा केली आहे. या संदर्भात बाबासाहेब म्हणतात, "माणूस नावाचा प्राणी जन्माला येत असल्यास त्याच्यावर भावी परिस्थितीचे संस्कार सुरू होतात आणि मग माणूस केवळ एक जैविक प्राणी न राहता त्याचे रूपांतर सामाजिक प्राण्यात होते. माणूस समाजात जन्म घेतो आणि सुरुवातीपासून समाज त्याला घडवीत असतो. तो भाषा बोलतो ती त्याची एकट्याची निर्मिती नसते. तो ज्या समाजात जन्माला असतो त्या समाजाची उपलब्ध असते. समाजव्यतिरिक्त माणूस म्हणजे वाचाहीन व विचारहीन असतो. असे असले तरी त्याचे जीवन स्वतंत्र असते त्याचा जन्म स्वतःच्या आत्मवन्नती करीत आहे एक माणसाला दुसऱ्या माणसात गुलाम करून ठेवता येत नाही. ज्या धर्मात व्यक्तीला प्राधान्य नाही तो धर्म मला मान्य नाही" अशी भूमिका बाबासाहेबांची होती. बाबासाहेब प्रचंड बुद्धिवादी आणि तर्कनिष्ठ होते. धर्माची बलस्थाने त्यांना माहीत होती. काही पाखंडी धर्माचा दुरुपयोग नक्की करत असतील. परंतु ना उमेद माणसाला उमेद देण्याचा प्रयत्न धर्माकडून होतो. बाबासाहेबांच्या तत्त्वज्ञानातून एक गोष्ट लक्षात येते नकार- विरोध- विद्रोह आणि पर्याय देतात. अनेक गोष्टी नाकारल्या त्या विरोधात बंड पुकारला गेला तेव्हा प्रत्येक वेळेला बाबासाहेबांनी एक नवा पर्याय समाजासमोर ठेवलेला दिसून येतो. टीका करणे तसेच सगळ्यांना जमते पण पर्याय देणे हे सगळ्यांसाठी शक्य नाही. ते बाबासाहेबांना शक्य झाले. धर्म नाकारला तर सामान्य लोक दिशाहीन होतील म्हणून समानता आणि मानवतेचा स्वीकार करणाऱ्या बौद्ध धर्माचा स्वीकार केला.

बाबासाहेबांनी काळाराम मंदिराचा सत्याग्रह केला. बौद्ध धर्मात प्रवेश करताना बाबासाहेब रडले म्हणून बाबासाहेब हिंदू प्रेमी होते असा निष्कर्ष काढला जातो. हा चुकीचा आहे. बाबासाहेबांनी बौद्ध

धर्म स्वीकारून देशाची स्थिरता आणि अखंडता कायम ठेवली आहे. इतर कोणत्याही धर्म स्वीकारला असता तर देशात हिंदूंच्या बरोबरीने दुसऱ्या धर्माची संख्या झाली असती आणि जेव्हा दोन्ही धर्म समान संख्येने असतात तेथे धार्मिक संघर्ष जास्त होतात. मग भारतात किती? पाकिस्तान तयार झाले असते हे सांगता येत नाही. धर्माच्या आधारे देश मिळतोच आहे तर मग जाता जाता 'बौद्ध स्थान' या स्वतंत्र राष्ट्राचे मागणी केली असती तर आज काय परिस्थिती राहिली असते हे सांगण्याची गरज नाही .

बाबासाहेबांच्या धर्मातरावर अनेक मान्यवर लोकांनी टीका केली 3 नोव्हेंबर 1935 मध्ये 'निर्भीड' मध्ये सावरकर लिहितात "आंबेडकरांनी धर्मांतर केले तर त्यांच्यासोबत हजार पैकी दहा लोक देखील जाणार नाहीत .गोमीची दोन पाय गळून पडली म्हणजे गोम लंगडी होत नाही पण गळून पडलेले पाय निर्जीव होतात" .बाबासाहेबांचा भारतावर आणि जगावर असलेल्या प्रभावातून टीकाकारांना उत्तर मिळालेच असेल .

#### आंबेडकरोत्तर दलित चळवळ:

बाबासाहेब म्हणायचे प्रत्येकाने आपल्या घरच्या भिंतीवर लिहून ठेवा आपणास राज्यकर्ते जमात बनवायची आहे. लोकशाहीमध्ये सर्वोच्च सत्ता संसदेकडे असते. सत्तेमध्ये सहभागी झाल्याशिवाय समाज हित साध्य करता येणार नाही .कारण सत्तेमध्ये असणाऱ्यांना समाजाच्या वेदनांची जाणीव नाही. म्हणून 1920 ला मानगाव परिषदेमध्ये जातवार प्रतिनिधित्व मिळाल्याशिवाय आपल्या हाती राजकीय सामर्थ्य येणार नाही म्हणून राजकीय आरक्षणाची मागणी करतात. बाबासाहेबांनी गोलमेज परिषदेमध्ये घेतलेली भूमिका ही योग्य होती. महात्मा गांधीजींच्या आग्रहामुळे स्वतंत्र मतदारसंघाची भूमिका बदलून राखीव मतदारसंघावर समाधान मानावे लागले.पुणे करारत महात्मा गांधीजींचा विजय वाटत असला तरी बाबासाहेबांनी मनाचा मोठेपणा दाखवला हे सत्य नाकारता येणार नाही. आमरण उपोषणामध्ये महात्मा गांधीजींचा मृत्यू झाला असता तर सवर्ण आणि दलित संघर्ष सुरू झाला असता. ही यादवी बाबासाहेबांना नको होती .

पुणे करारावर बाबासाहेब नंतरच्या काळात असमाधानी दिसतात. त्याचे कारण म्हणजे स्वतंत्र मतदारसंघांमध्ये फक्त दलिताने मतदान करून दलितांचे प्रतिनिधी पाठवायचे असतात. राखीव मतदारसंघांमध्ये सर्व प्रस्थापितांच्या मतांची आवश्यकता असते. तेव्हा दलित हिताची भूमिका सभागृहात घेण्याची वेळ येते तेव्हा मतदार संघातील इतर लोक नाराज होऊ नयेत म्हणून भूमिकेला बगल

दिला जात आहे. 2019 च्या लोकसभा सार्वत्रिक निवडणूक किती राखीव मतदार संघावर कोणत्या पक्षाचे उमेदवार विजयी झालेले आहेत. याचा अभ्यास केल्यास एक स्पष्ट चित्र दिसते की 80% जागावर सत्ताधारी पक्षाचे उमेदवार विजयी झाले आहेत. पक्ष शिस्तीच्या कायद्यामुळे पक्षाची भूमिका ही उमेदवाराची भूमिका असते. सर्वच पक्षातील प्रस्थापित वर्गाने जातीचे नेते तयार करून आपल्या दावणीला बांधले आहेत. एखादी खासदारकी, आमदारकी अथवा मंत्रीपद दिले की पाच वर्षे मान हलवण्याशिवाय हे नेते काहीच करत नाहीत. अशा परिस्थितीत बाबासाहेबांचा विचार पुढे जाणार कसा हा प्रश्न आहे . बाबासाहेबांच्या महापरिनिर्वाणाला 65 वर्षे पूर्ण होत आहेत . दलित पक्ष संघटना सत्ता पर्यंत का पोहोचत नाहीत? .

देशात आणीबाणी सदृश्य परिस्थिती आहे. शासनाच्या विरोधात बोललात तर देशद्रोहाचा खटला लावला जातो.मीडिया विवेक शून्य पद्धतीने सत्तेचे गोडवे गाताना दिसत आहेत. तेव्हा देशाला वाचवण्याचे जबाबदारी बुद्धीवादी लोकांची आहे . बाबासाहेब म्हणतात, "कोणतेही देशातील सामान्य वर्ग विचारपूर्वक व सुरक्षितपणे जीवन जगत असतो तो मुख्यतः अनुकरण शीला असतो बुद्धीजीवी वर्ग जर प्रमाणिक असेल स्वतंत्र आणि निस्वार्थी असेल तरच आणीबाणीच्या प्रसंगी पुढाकार घेऊन समाजाला चालना देण्याचा विश्वास ठेवता येतो" .

बाबासाहेबांच्या हयातीत सत्तेचे सूत्र जमले नाहीत त्याचे महत्त्वाचे कारण बहुतांशी जनता निरक्षर होती. विचारांचा मोठ्या प्रमाणात प्रसार झाला नव्हता. बाबासाहेबांना प्रस्थापितांना नाकारताना एक पर्याय द्यायचा होता तो त्यांनी पक्षाच्या स्वरूपात दिला. दिलीप मेनन यांनी 'दि ब्लाइंडनेस ऑफ इनसाईड ऑन कास्ट इन इंडिया' या ग्रंथात मजूर पक्ष आणि शेड्युल कास्ट फेडरेशन या पक्ष निर्मितीचा काळ चुकीचा होता असे विश्लेषण केले आहे. कारण या काळात गांधीजींच्या नेतृत्वाखाली स्वतंत्र आंदोलनाला मोठ्या प्रतिसाद मिळत होता. ब्रिटिश म्हणजे अन्यायकारी, शोषणकारी असे जनमत तयार झालेले होते. अशावेळी बाबासाहेबांची ब्रिटिशदार्जिणी भूमिका अनेकांना योग्य वाटली नाही. उदा. स्वतंत्र पाकिस्तानचे समर्थन करणे, 27 जुलै 1942 ला टाईम्स ऑफ इंडिया या वर्तमानपत्राला मुलाखत देताना बाबासाहेब म्हणतात, "गांधीजींचे आंदोलन सरकारविरुद्ध खुले बंड असून त्यांचे नेतृत्व विवेक शून्य व बेजबाबदार तसेच मुत्सद्दगिरीची दिवाळीखोरी दर्शविणारे आहे"



बाबासाहेब उघड उघड काँग्रेस आणि गांधीविरोध घेऊन संघर्ष करत होते. म्हणून प्रस्थापिताने आणि दलितानेही बाबासाहेबांना निवडणुकीत नाकारलेले दिसते.

दलित चळवळीला सत्तेचे सूत्र देशात जुळवायचे असतील आणि राज्यकर्ते जमात व्हायचे असेल तर फक्त दलितांच्या मतावर शक्य नाही. मागासवर्गीयांना सोबत घेऊन सत्ता मिळवता येऊ शकते. परंतु सध्याला प्रस्थापित पक्षाने इतर मागासवर्गीयांना धर्म आणि मंदिराच्या जाळ्यात अडकून हक्काचा मतदार बनवला आहे. या समाजात जागृती करणे ही तुमच्या आमच्या समोरील आव्हान आहे हा समाज दलितांचे नेतृत्व स्वीकारायला तयार नाही. कारण तो आजही स्वतःला श्रेष्ठ समजतो. अशा परिस्थितीत इतर मागासवर्गीयांना बाबासाहेब समजेपर्यंत दलित संघटनाने इतर मागासवर्गीयांचे नेतृत्व स्वीकारून प्रस्थापितांना सत्तेच्या बाहेर ठेवता येऊ शकते .

**संदर्भग्रंथ:**

- 1) डॉ. रावसाहेब कसबे, आंबेडकरवाद तत्व आणि व्यवहार, सुगावा प्रकाशन, पुणे
- 2) नामदेव कांबळे, महात्मा गांधी आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संघर्ष आणि समन्वय, राजहंस प्रकाशन, पुणे
- 3) भालचंद्र फडके, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर, श्री विद्या प्रकाशन, पुणे
- 4) डॉ.सदानंद मोरे, लोकमान्य ते महात्मा, राजहंस प्रकाशन, पुणे

## अण्णाभाऊंच्या कादंबरीतील आंबेडकरवाद

प्रा.डॉ.विलास अण्णाराव गाजरे

मराठी विभाग प्रमुख, कै.बापूसाहेब पाटील एकंबेकर महाविद्यालय, उदगीर

Email : [vilas.gajare50@gmail.com](mailto:vilas.gajare50@gmail.com)

DOI- 10.5281/zenodo.7431116

### प्रस्तावना :

अण्णाभाऊ साठे हे मराठी साहित्यातील बहुआयामी व्यक्तिमत्व होय. कामगार, कवी, लोकशाहीर, कथाकार, कादंबरीकार, नाटककार, चळवळीत काम करणारा कार्यकर्ता, लोकनाट्याचे जनक, उत्तम नट आणि माणसावर, मानवी जीवनावर उत्कट प्रेम करणारा माणूस असे विविध पैलू असलेले व्यक्तिमत्व आहे. 'संघर्ष' हा त्यांच्या व्यक्तिमत्त्वाचा केंद्रबिंदू आहे. अण्णाभाऊंनी समाज परिवर्तनाचे स्वप्न मणाशी बाळगून साहित्य निर्मिती केली. आंबेडकरवादाने प्रेरित होऊन समाज परिवर्तनासाठी एका हातात डफ आणि दुसऱ्या हातात लेखणी घेऊन लढणारा हा योद्धा होता. शोषणमुक्त नव समाज निर्मिती हे त्यांचे ध्येय होते. महात्मा ज्योतिबा फुले आणि राजर्षी शाहू महाराज यांची सामाजिक प्रबोधनाची चळवळ पुढे नेण्याचे कार्य डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर करीत होते. त्यांच्या या लढ्यातूनच आंबेडकरवादाचा उदय झालेला आहे. स्वातंत्र्य समता आणि बंधुभाव या मूल्यावर आधारलेला विचार म्हणजे आंबेडकरवाद होय. सामाजिक समता प्रस्थापित करून समाजातील प्रत्येक घटकाला माणूस म्हणून सन्मानाने जगण्याचा अधिकार प्राप्त करून देणे हे आंबेडकरवादाचे ध्येय आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या सामाजिक परिवर्तनाच्या लढ्याने अण्णाभाऊ साठे प्रभावित झाले. त्यांच्या समाज परिवर्तनाच्या लढ्याबद्दल अण्णाभाऊंच्या मनात आदर निर्माण झाला होता. त्यामुळेच त्यांनी आपली फकीरा ही कादंबरी डॉ. आंबेडकरांच्या झुंजार लेखणीला अर्पण केली आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी या देशातील सामाजिक विषमतेच्या विरोधात बंड पुकारलेले होते आणि यातूनच आंबेडकरवादाचा उदय झालेला आहे.

### आंबेडकरवाद म्हणजे काय?

आंबेडकरवाद विसाव्या शतकातील क्रांतिकारी तत्त्वज्ञान आहे. हजारो वर्षांपासून पददलित समाजाला पशुतुल्य जीवन जगायला भाग पाडणारी, व्यवस्थेला सुरंग लावणारे तत्त्वज्ञान, दलित समाजाला विषमतेच्या जोखडातून मुक्त करून स्वाभिमानाची जीवन जगायला लावणारे तत्त्वज्ञान. या तत्त्वज्ञानाने संपूर्ण क्षेत्रात बदलाची लाट निर्माण झाली. साहित्य क्षेत्र याला कसे अपवाद राहिल. आंबेडकरी प्रेरणेने नवी पिढी शिकू लागली. त्यांना जाणवले आपण जीवन जगतो त्या समाजाचे सुख दुःख कोणत्याही साहित्यात वाचायला मिळत नाही. त्यामुळे हा तरुण लिहिता झाला आपल्या साहित्यातून आग ओकू लागला. समता, स्वातंत्र्य, बंधुता, न्याय सांगणारा विचार साहित्यातून घेऊ लागला. हीच आंबेडकरवादी तत्त्वज्ञान साहित्य रुजविण्याची नांदी होती.

आंबेडकरवाद हा शब्द डॉ. भीमराव रामजी आंबेडकर यांच्या विचारधारणेतून निर्माण झाला आहे. आंबेडकरवाद व्यापक अर्थाने युक्त असा शब्द आहे. सतत गतिमान राहणारी जीवनप्रणाली आहे. दलित लेखकांनी लिहिलेल्या साहित्याला दलित साहित्य म्हणत, पण डॉ. यशवंत मनोहर यांनी प्रथमतः दलित शब्दाला नकार देऊन आंबेडकरवादी ही संकल्पना स्वीकारली. ही संकल्पना

स्वीकारण्याचे कारण ते सांगतात ते म्हणतात, "दलित हा काही जातीचे वर्णन करणारा शब्द आहे तो त्या समाजगटावर लादलेला द्योतक असा शब्द आहे. दलितत्व ही या देशातील शोषण व्यवस्थेच्या दृष्ट प्रतिभेने निर्माण केलेली आणि कोणाच्याही वाट्याला कधी जाऊ नये अशी अत्यंत ओंगळवाणी, घृणास्पद आणि अपमान जनक स्थिती आहे." या समाज व्यवस्थेने दलितांना जातीयतेच्या जात्यात जसे भरडले तसेच त्यांच्या साहित्यालाही जातीचे लेबल का? हा विचार मांडून आंबेडकरवाद ही संकल्पना कशासाठी हे सांगतात डॉ. यशवंत मनोहर म्हणतात, "आंबेडकरवाद ही संकल्पना एका तत्त्वज्ञानाची द्योतक आहे आंबेडकरवाद हा क्रांतीचा अत्यंत विशुद्ध विचार आहे. त्यामुळे दलित साहित्यासाठी आंबेडकरवादी साहित्य हीच संकल्पना स्वीकारणे हे प्रत्यक्ष जीवन क्रांतीच्या दृष्टीने आणि साहित्यक्रांतीच्या दृष्टीने हितावहच ठरणार आहे. आंबेडकरवाद अधिक विस्तृतपणे समजून घेण्यासाठी काही विचारवंतांच्या व्याख्या आपल्याला लक्षात घेता येतील.

### १) यशवंत मनोहर:-

"आंबेडकरवाद हे मानवी प्रतिष्ठेची गौरवशाली राज्य समाजवादी, समाज आणि बंधुत्वाची निर्मिती करण्याची प्रतिज्ञा उरात वागवणारे 'क्रांतीविज्ञान' आहे."

## २) रावसाहेब कसबे:-

“आंबेडकरवाद म्हणजे समाजवादी समाज निर्मितीसाठी या जगाची जी पुनर्रचना करावी लागेल त्यासाठी धम्माच्या साहाय्याने स्वातंत्र्य समता बंधुता आणि न्याय यावर उभ्या असणाऱ्या लोकशाही निर्मिती करण्याची प्रेरणा देणारे समाजविज्ञान आहे.”

## ३) प्रा. दामोदर मोरे:-

“आंबेडकरवाद हा मानवी स्वातंत्र्याची गाथा गाणारा, समतेचे सत्व जपणारा, बंधुत्वाचे विजारोपण करणारा, अन्यायाची चीड आणि न्यायाची चाड असणारा परिवर्तनशील विचार आहे. दिन, चाड दुखितांचे सर्वांगीन उन्नयन आणि उत्थापन निर्भय आणि निर्भीडपणे करणारा मानवी मूल्यावर अधिष्ठान असलेला धर्मनिरपेक्ष निरीश्वरवादी बुद्धिप्रामाण्यवादी क्रांतिकारी विचार म्हणजे आंबेडकरवाद.”

ह्या विविध व्याख्या वरून आंबेडकरवाद निरीश्वरवादी विचार असून देव, आत्मा, परमात्मा, पुनर्जन्म, पर लोक, स्वर्ग-नरक या संकल्पनांना नाकारून तथागत बुद्धाचा विज्ञानवाद स्वीकारणारा परिवर्तनवादी विचार आहे.

## अण्णाभाऊ साठे यांचा आंबेडकरवाद:-

अण्णाभाऊ आपल्या कुटुंबासमवेत कामधंद्यासाठी वाटेगावहून मुंबईला आले आणि मुंबईतील सामाजिक, राजकीय, शैक्षणिक, आर्थिक चळवळीची त्यांना जाणीव झाली. कळत नकळत ते विविध आंदोलनात ओढले गेले. त्याच काळात सामाजिक व राजकीय पटलावर दलित समाजातून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हे नाव चळवळी व आंदोलनासाठी गाजू लागले. अण्णाभाऊ साठे हे दलित कुटुंबातील असल्यामुळे त्यांनाही या चळवळी आंदोलनाविषयी आत्मीयता वाटू लागली. तत्कालीन काळात आंबेडकरांचे विचार शेवटच्या घटकापर्यंत पोहोचण्यासाठी जलसाकारांनी पुढाकार घेतला होता. अण्णाभाऊ आणि जलसा यांचे अतूट नाते होते. त्यांनी ‘लालबावटा’ कला पथकाची मित्रा समवेत स्थापना करून कामगार चळवळीत सक्रिय होऊन समाजाला जागृत करण्यासाठी पोवाडे गीते गाऊ लागले.

‘जग बदल घालूनी घाव

सांगून गेले मला भीमराव’

हे आंबेडकरी प्रेरणेतून गीत लिहिले व अनेक ठिकाणी लोकजागृतीसाठी गायले. अण्णाभाऊंच्या साहित्यात फुल्यांची व्यापक दृष्टी, शाहू महाराजांची सामाजिक जाणीव आणि आंबेडकरांचा स्वाभिमान दिसून येतो. अण्णाभाऊ डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या सामाजिक लढ्यांनी सामाजिक

समतेसाठी सुरू असलेल्या वर्णअंताच्या विचारांनी प्रभावित झालेले होते. मार्क्सने कामगारांच्या हातात क्रांतीच्या मशाली दिल्या तर डॉ. आंबेडकरांनी दलितांना आंदोलनकारी केले. अण्णाभाऊ ज्या प्रगत साहित्य सभेचे सदस्य होते. त्यात आंबेडकरी साहित्यिक मोठ्या प्रमाणात त्यांच्यासोबत सहवासात होते. त्यामध्ये नारायण सुर्वे, वसंत बापट, विं.दा. करंदीकर, राजा ढाले, दया पवार, केशव मेश्राम, बाबुराव बागुल, सदा कऱ्हाडे, अर्जुन डांगळे इत्यादी शाहीर विठ्ठल हे तर आयुष्यभर शाहिरीशी जुळून राहिले.

अण्णाभाऊंच्या लेखणीमध्ये प्रामाणिकपणा, संघर्ष, मेहनत, स्वाभिमान, देशकार्य दिसून येते. अण्णाभाऊ साठे यांचा संघर्ष शोषक विरुद्ध शोषित असा होता. शोषक वर्ग शोषितांचा विकास होऊ देत नाहीत. कामगारांचे शोषण करून भांडवलदारांचे पोषण होते. म्हणून भांडवलशाही विरोधात कामगारांचा आवाज अण्णाभाऊ साठे बनले होते. अण्णाभाऊ साठे यांना मानवाचे संपूर्ण स्वातंत्र्य पाहिजे होते. कामगारांचे उपेक्षितांचे शोषण थांबवून त्यांना न्याय मिळावा यासाठी त्यांचा लढा होता. ब्रिटिशांनी भारताला स्वातंत्र्य देऊन सत्ता भारतीयाकडे दिली तो दिवस म्हणजे 15 ऑगस्ट 1947. संपूर्ण देशाने स्वातंत्र्य दिवस साजरा केला, परंतु 16 ऑगस्ट 1947 ला अण्णाभाऊ साठे यांनी लाखोंच्या सभेमध्ये भर पावसात ‘ये आजादी झूठी है देश की जनता भूकी है’ असे जाहीर करून सर्वसामान्य लोकांना उपेक्षितांना कामगारांना हे स्वातंत्र्य लागूच नाही अशा प्रकारचे मत मांडून मानवी स्वातंत्र्याची उपेक्षा व्यक्त केली होती.

1959 सली अण्णाभाऊंनी ‘फकीरा’ ही कादंबरी लिहिली आणि ही कादंबरी डॉ. आंबेडकरांच्या झुंजार लेखणीला अर्पण केली. वारणेच्या खोऱ्यात, वारणेचा वाघ, वैजयंता, आवडी, फकीरा या कादंबऱ्या आंबेडकरी विचाराने प्रभावित होऊन लिहिलेल्या आहेत. म.ज्योतिबा फुले व डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचा विचार शेवटच्या घटकापर्यंत नेण्याचे काम अण्णाभाऊंनी केले. अण्णाभाऊंच्या साहित्यात सत्य असत्य या प्रवृत्तीचा संघर्ष दिसून येतो.

## अण्णाभाऊंच्या कादंबरीतील आंबेडकरवाद:-

अण्णाभाऊ साठे यांनी जवळपास आपल्या सर्व कादंबऱ्यातून दलित, शोषित, पीडित, गरीब शेतकरी, कष्टकरी स्त्रियांचे चित्रण केले आहे. जे आजपर्यंत कधी कथा विषय झाले नाही असा समाज व त्या समाजाचे प्रश्न कादंबरीतून मांडले आहेत. जवळपास सर्वच कादंबरीतील नायक अन्याय अत्याचाराच्या विरुद्ध विद्रोह करणारे, शेतकरी, कष्टकरी

यांच्या मागे उभे राहणारे समाजामध्ये समता, स्वातंत्र्य, बंधुता प्रस्थापित व्हावी यासाठी झटणारे आहेत. समाजातील विविध प्रथा परंपरा यांना ठोकर मारून जातीपातीचे बंद तोडणारे आहेत. त्यांच्या बहुतांश कादंबऱ्या स्त्री प्रधान आहेत. त्या सुद्धा जातीय भेदाभेद न पाळता निडरपणे अन्याय विरुद्ध आपल्या शिलरक्षणासाठी हातात शस्त्र घेऊन लढतात. हा सर्व आंबेडकरी विचार आहे. या विचारांच्या काही कादंबऱ्यांचा आढावा आपल्याला घेता येईल.

### **'वारणेच्या खोऱ्यात'**

अण्णाभाऊ साठे यांची पहिली कादंबरी 1951 साली 'वारणेच्या खोऱ्यात' प्रकाशित झाली. ही कादंबरी लढणाऱ्या माणसाची आहे. जी माणसे दलित, शोषित, कष्टकरी, भटक्या समाजातील आहेत. अशा समाजाला नायकत्व देण्याचे महत्त्वाचे कार्य ते करतात. ध्येयवादी, लढवय्या लोकांचे शौर्य ह्या कादंबरीचा आत्माच आहे. मानवतावादी तत्त्वज्ञान आणि जग बदलण्याची जिद्द अण्णा भाऊंच्या नायकांमध्ये आपणास दिसून येते.

'वारणेच्या खोऱ्यात' ही सहसाचे चित्र करणारीच कादंबरी आहे. त्यात दिसणारा नायक नुसता देखणा आहे असे नाही. त्याच्याकडे वास्तववादी जीवदृष्टी आहे. त्यामुळे भोवतालच्या परिस्थितीचे परीक्षण ते करतात. वारणा खोऱ्यात प्रतिसरकार स्थापन करणाऱ्या हिंदूरावाची कथा या कादंबरीत चित्रित झालेली आहे. त्यातील पात्र व्यक्तिरेखा शक्तिमान, नीतीमान स्वातंत्र्यकाक्षी देशप्रेमी व त्यागी आहेत. क्रांतिकारी हिंदूरावांनी तरुणांची चळवळ उभारून सरंजामशाही विरुद्ध बंड पुकारले आहे. वारणेच्या खोऱ्यात मूळचा शेतकरी असलेल्या हिंदूरावाला बंडखोर अन्याय विरुद्ध लढणारा आणि शोषित लोकांना त्यांचे हक्क प्राप्त करून देणारा नायक म्हणून अण्णाभाऊंनी अतिशय ताकदीने उभं केलं आहे. त्याची प्रचिती ही कादंबरी वाचतांना निश्चितच येते हिंदुराव हा तरुण हक्कासाठी धडपडणारा आहे ग्रामीण भागातील जमीनदाराच्या शोषण पद्धतीला विरोध करून समाजामध्ये समता प्रस्थापित करण्याचा प्रयत्न करतो हिंदुराव हा तरुण मुक्त व परिवर्तनवादी विचारांचा असल्यामुळे कोणत्याही सामाजिक रूढी परंपरा अंधश्रद्धा जात-पात मानत नाही याचा अर्थ हा आंबेडकरवादाने प्रेरित आहे.

### **'फकीरा'**

'फकीरा' ही अण्णाभाऊंची सर्वात जास्त गाजलेली कादंबरी. त्यांनी ती डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांना अर्पण केली. ती ऐतिहासिक व साहसप्रधान कादंबरी आहे. तिच्यातील संघर्ष

तत्कालीन नसून चिरंतन आहे. जित्यांची मगूरी आणि जितांचा स्वाभिमान, दुर्जनांचा दुष्टपणा आणि सज्जनांची सज्जनता यातील संघर्ष येथे वर्णन केलेला आहे. कादंबरीतील माणसे दुःखी आहेत पण लाचार नाहीत माणसाला आगतिक करणाऱ्या व्यवस्थेविरुद्ध ती बंड करतात ही माणसे केवळ उच्चवर्णीयाविरुद्ध लढा देत नाहीत तर उच्चवर्णीयाविरुद्धही लढतात. हा लढा जातीय आणि वर्गीय असा दोन्ही प्रकारचा दिसतो 'फकीरा' उपेक्षित स्तरावरील असला तरी निर्भय होता. दुष्काळात सरकार काहीच करत नाही दलितावर होणारे अन्याय त्याची उपासमार डोळे उघडे ठेवून पाहतो. म्हणून तो संतापून म्हणतो, 'हे कुंभकर्णाच्या अवलादीचे राज्य हाय अपुन तलवार घेऊन यांच्या उरावर नाचलं पाहिजे'.

अण्णाभाऊंच्या एकूण कादंबरी लेखनामध्ये 'फकीरा' ही कादंबरी सर्वोत्तम समजली जाते. या कादंबरीच्या अर्पणपत्रिकेतून सुद्धा लेखकाची बंडखोर भूमिका लक्षात येते. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या झूजार लेखणीला अण्णाभाऊंनी ही कादंबरी अर्पण केली आहे. फकीराच्या सुरुवातीलाच लेखकाने मांडलेली कैफियत बरेच काही सांगून जाते. फकीरा हा राणोजी सारखाच शूर पराक्रमी आणि बंडखोर आहे. त्याला अन्यायाची अत्याचाराची प्रचंड चिड आहे. अर्थातच तो एक उपेक्षित बंडखोर विद्रोही नायक आहे. या कादंबरीमध्ये सामाजिकतेपेक्षा आर्थिक घटक अधिक प्रभावी आहे. फकीरा दारिद्र्यामुळे दरोडेखोर होतो. या दारिद्र्याचे स्वरूप वर्णन करताना तो म्हणतो, "मांग, महार भोपळीचा नि करडी चा पाला खाऊन जगतोय..... नुसती उपासमार असती तर पोट बांधून काळीज शाबूत ठेवलं असतं पण कडेलोट केलाय आमचा, भाकरी भाकरी करून चरफडून मरावं आणि त्यांचा तो हंबरडा आता माझ्याने ऐकवेना डेकळावाणी काळीज विरघळते माझं". आर्थिक विषमता हीच दलितांच्या दुःखाला कारण आहे हे लेखकाला सांगायचे आहे फकीरा सरकारी खजिना लुटतो पोलिसांच्या भीतीने जंगलात दडून राहतो दरोडा टाकतो, सरकारला त्रस्त करतो तेव्हा शिपाई मांगाच्या घरातील बायकापोर पकडून नेतात. आपल्यासाठी त्यांचे हाल होऊ नये म्हणून तो स्वतःहून साहेबापुढे हजर होतो साहेबांना निर्भयपणे सांगतो, "साहेब तलवारीला धार नसेल तर ती काय कामाची? धारे वाचून तलवार आणि बळावाचून बंड लटकं असतं. माझी पाठबळ कोणी पडली म्हणून ही तलवार म्या तुम्हाला दिली". हा झूजार लढाऊ मांग उपेक्षितांचा आधार सरकारला शरण जातो आणि हसतमुखाने मृत्यूला सामोरा जातो. फकीराचा उमदा स्वभाव अन्याय विरुद्ध लढा देण्याची वृत्ती स्वाभिमान

अशा गुणांचे चित्र अण्णाभाऊंनी केले आहे 'फकीरा' हा नायक आंबेडकरांच्या शंभर दिवस शेळी होऊन जगण्यापेक्षा एक दिवस वाघ होऊन जगा हे सांगणारा आहे. हीच आंबेडकरी विचारधारा फकीराच्या रूपाने अण्णाभाऊ मांडताना दिसतात. डॉ. यशवंत मनोहर म्हणतात, "अण्णाभाऊ मार्क्सवादापासून वा आंबेडकरवादापासून दूर नव्हते. 'फकीरा' ही कादंबरी त्यांनी आंबेडकरांच्या झुंजार लेखणीला अर्पण केली. महत्त्वाचे असे की डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचा मृत्यू झाल्यानंतर म्हणजे 1960 साली केली. या अर्पणामागील अण्णाभाऊ साठे यांची वैचारिकता समजून घ्यायला हवी.

### **'वारणेचा वाघ'**

'वारणेचा वाघ' कादंबरीतील नायक सत्तू भोसले सातवीपर्यंत शिक्षण झालेला लढाऊ व विद्रोही नायक आहे. स्वतः दलित नसला तरी दलित स्त्रियांवर होणारा अत्याचार रोखण्यासाठी गुन्हेगार झालेला नायक आहे. अण्णाभाऊंनी केवळ मांग जमातीचे चित्रण केलेले नाही तर तळागाळातल्या समाजाचाही विचार केला सत्तू प्रवृत्तीचा विजय आणि अपप्रवृत्तीचा पराजय हे सूत्र बऱ्याच ठिकाणी आढळते. पराक्रमी व कर्तृत्ववान सत्तूला परिस्थितीमुळे सैन्यात भरती व्हावे लागले, पण अधिकाऱ्यांच्या शोषण व अन्यायकारी वागणूकीमुळे तो राजीनामा देतो. गावातील माथाजी चौगुले जमीनदार हा महार गरोदर स्त्री 'सईला' मारहाण करतो. हा अन्याय त्याला सहन न झाल्यामुळे त्याचे रक्त खवळते, आणि त्याला तो जागीच ठार मारतो. तेव्हापासून संपूर्ण खोऱ्यात उर्मट व गरिबांना अत्याचार करणारा माणूस ठेवायचा नाही असा निश्चय करून परागंधा होतो. हीच स्वातंत्र्य समता, अन्याया विरुद्ध पेटवून उठायची उर्मी म्हणजे आंबेडकरवाद होय. गरिबांना मदत करणाऱ्या निर्भीड सत्तूला लेखकाने 'वारणेचा वाघ' म्हटले आहे. सत्तू स्वतः जातपात धर्म भेदभाव पाळित नाही व तसे आपल्या आईलाही सांगतो, "सई महारीण म्हणून तिला दूर ठेवू नको, ती देईल ते खा तिनं आणलेलं पाणी पी". डॉ. राजेश्वर दुडूकनाळे म्हणतात, "तत्कालीन व्यवस्थेच्या विरोधात विद्रोह पुकारणारा सत्तू हा समाज माणसाच्या दृष्टीने खरा लोकनायक ठरतो."

### **'आवडी'**

'आवडी' ही नायिका प्रधान कादंबरी आहे. संपूर्ण कादंबरीचे कथानक आवडीभोवतीच गुंफले जाते. घरंदाज कुटुंबातील कत्या पुरुषाच्या हेकेखोर धोरणामुळे घरातील सुंदर सालस मुलीच्या जीवन स्वप्नाचा चुराडा कसा होतो याचे मन हेलावून सोडणारे चित्रण आवडीतून पहावयास मिळते. आवडी

ही तात्याबा चौगुले या पाटलाची सुंदर, शिकलेली लाडकी लेक. लग्नमध्ये तिची फसवणूक होते. तो अन्याय तिला सहन होत नाही, ती धनाजी रामोशा वर प्रेम करू लागते आणि तोही तिला प्रतिसाद देतो आणि एक दिवस गणगोत, समाज, प्रतिष्ठा, वैभव या सर्व गोष्टींचा त्याग करून धनाजीकडे राहायला जाते कादंबरीतील नायिका आवडी या अनिष्ट सामाजिक रूढी परंपरा विरुद्ध बंड पुकारते हे स्वातंत्र्यवादी विचार आंबेडकरी प्रेरणेतून आलेले दिसतात.

### **'वैजयंता'**

'वैजयंता' ही तमासगिरांच्या जीवनावर प्रकाश टाकणारी कादंबरी आहे. या कादंबरीच्या प्रस्तावनेत ते म्हणतात, "देश सुखी व्हावा, समृद्ध व्हावा नी सभ्य व्हावा, इथे समता नांदावी, महाराष्ट्र भूमीचे नंदनवन व्हावे अशी मला रोज स्वप्ने पडतात". हाच विचार वैजयंता करवी अण्णाभाऊ सांगतात स्त्रीला स्त्री म्हणून वागणूक मिळाली पाहिजे. मग ती स्त्री कोणत्या जाती धर्माची आहे याचा विचार न करता ती माणूस आहे या भावनेतून समतेचा विचार या कादंबरीतून अण्णाभाऊ मांडतात.

### **वैर**

'वैर' कादंबरी मधून जुन्या चालीरीती दूर कराव्यात आणि जुन्या पण लोप पावलेल्या प्रगत प्रथांना पुढे आणावे. हेवे दावे, दुष्टावे, वैर यांचा घोर परिणाम दाखवावा आणि या नव महाराष्ट्रात प्रेम सलोखा यांची वाढ व्हावी, जनता सुखी संपन्न व्हावी आणि महाराष्ट्रात विषमता नष्ट होऊन समाजवादाचा अरुणोदय झालेला पाहावा असा विचार अण्णाभाऊ कादंबरीतून मांडतात यावरून लक्षात येते की ही कादंबरी डॉ. आंबेडकरांच्या प्रेरणेतूनच निर्माण झालेली आहे. मुक्तिदा, गोपाळराव, भिडे, परश्या हे सगळे कोणाना कोणाशी तरी वैर पत्करत असतात. एका गावात राहायचं तर सर्वांनी एका कुटुंबातील माणसाप्रमाणे राहावं. अशा प्रकारच्या समतेचा विचार अण्णाभाऊंनी मांडला आहे.

### **चिखलातील कमळ:**

ग्रामीण भागातील मुरळी प्रथेवर प्रकाश टाकणारी कादंबरी या कादंबरीची नायिका सीता आपले मुरळीचे आयुष्य झुगारून देऊन सामाजिक रूढी परंपराविरुद्ध बंड पुकारते ही सीतामध्ये निर्माण झालेली ताकदच आंबेडकरवाद आहे.

### **समारोप:-**

अण्णाभाऊंनी आपल्या कादंबरीतून अनेक सामाजिक प्रथा परंपरावर घाव घालून आंबेडकरवाद पेरण्याचा यशस्वी प्रयत्न केलेला आहे अण्णाभाऊंना जसे मार्क्सवादी म्हणणे योग्य

आहे तसेच ते आंबेडकरवादीही आहेत. त्यामुळे त्यांच्या साहित्याचा विचार आंबेडकरवादी म्हणून करणे आवश्यक आहे याविषयी डॉ. अविनाश सांगोलकर म्हणतात, “अण्णाभाऊ साठे यांच्या व्यक्तिमत्त्वांमध्ये विचारांमध्ये कार्यामध्ये सहाजिकच त्यांच्या समग्र वाङ्मयामध्ये मार्क्सवाद व आंबेडकरवाद या दोघांचे मिश्रण आढळते”. आंबेडकरवादा नुसार त्यांची कादंबरी शोषित, पीडित, दलित, आदिवासी, दुर्लक्षित समाज घटक, स्त्रिया यांचे चित्रण करते ते एक वास्तववादी लेखक आहेत. अण्णाभाऊंनी आपल्या कादंबरीतून स्वातंत्र्य, समता, बंधुता, स्त्री-पुरुष समानतेचा म्हणजेच मानवी मूल्य किती उपयुक्त आहेत याचा संदेश दिला म्हणून ते आंबेडकरवादी साहित्यिक आहेत असे आपल्याला म्हणता येते.

**संदर्भ ग्रंथ :**

1. डॉ. यशवंत मनोहर, आंबेडकरवादी मराठी साहित्य.
2. डॉ. रावसाहेब कसबे, आंबेडकरवाद तत्व आणि व्यवहार.
3. प्रा.दोमोदर मोरे, आंबेडकरवादी साहित्य विचार.
4. डॉ. राजेश्वर दुडूकनाळे, विद्रोही कलावंत – अण्णाभाऊ साठे.
5. साहित्यरत्न लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे, चरित्र साधने प्रकाशन समिती, महाराष्ट्र शासन, निवडक वाङ्मय कादंबरी खंड-1.
6. प्रा. निला पांडरे, लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे.

**Chief Editor**

Dr. R. V. Bhole

'Ravichandram' Survey No-101/1, Plot, No-23,  
Mundada Nagar, Jalgaon (M.S.) 425102

Email- [rbhole1965@gmail.com](mailto:rbhole1965@gmail.com)

Visit-[www.jrdrvb.com](http://www.jrdrvb.com)

---

**Address**

'Ravichandram' Survey No-101/1, Plot, No-23,  
Mundada Nagar, Jalgaon (M.S.) 425102

---